अंक : 122 वर्ष : 31 जुलाई–सितंबर, 2008

प्रशिक्षण विशेषांक

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

राजभाषा विभाग की समीक्षा कार्यक्रम में माननीय गृह राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद । साथ में हैं राजभाषा विभाग के सचिव श्री रंजीत ईस्सर तथा संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी ।

29 जून, 2008 को बैंगलूरू स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों के प्रमुखों के साथ हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी विचार-विमर्श कार्यक्रम में माननीय गृह राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद जी ।

सत्यमेव जयते

शिवराज वि. पाटील
SHIVRAJ V. PATIL
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

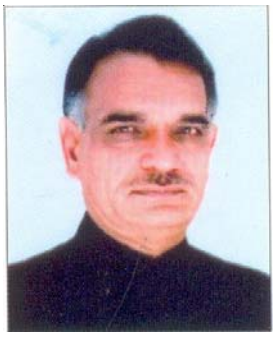

प्रिय देशवासियों,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

भारत एक विशाल और बहुभाषा-भाषी देश है । यहां विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं । इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जिसे देश में सबसे अधिक लोग बोल सकते हों और समझ सकते हों । इसे ध्यान में रख कर और काफी चिंतन-मनन करने के उपरांत ही हमारे देश के संतों, मनीषियों और महापुरुषों ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया । सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होने के कारण संविधान सभा के सदस्यों ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया ।

सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक धरोहर और बहुमूल्य परम्पराओं के रूप में विश्व में हमारी अपनी विशिष्ट पहचान है । यह विशिष्टता हमने अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम से ही अर्जित की है । पहले यह कार्य संस्कृत भाषा के द्वारा किया गया था और अब इसे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं बखूबी निभा रही हैं । इसलिए हमारा यह प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी भाषाओं को विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से और उन्नत बनाते हुए अपनी संस्कृति के उच्च आदर्शों को कायम रखें ।

संस्कृति और सभ्यता की समृद्धि के लिए जरूरी है कि विश्व की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध उच्च स्तरीय साहित्य का हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए । साथ ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर उच्चकोटि का साहित्य मूल रूप से हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी तैयार किया जाना चाहिए ।

यद्यपि इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा मौलिक पुस्तक लेखन योजनाएं चलाई जा रही हैं । इन योजनाओं के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत भी किया जाता है । लेकिन स्तरीय पुस्तकों की कमी अभी भी महसूस की जा रही है । हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है । अतएव उच्च स्तरीय सर्जनात्मक कार्य के लिए विषय-विशेषज्ञों, लेखकों, प्रकाशकों को आगे आना होगा ।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हम जो भी नए कीर्तिमान बनाएं उसका लाभ आम जनता तक पहुँचे । इसके लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीकी साहित्य में सरल शब्दों और शैलियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि वह आसानी से समझ में आ सके । यह कोई कठिन कार्य नहीं है क्योंकि विदेशी भाषाओं की तुलना में हमारी शब्द संपदा काफी समृद्ध है ।

हमें अपनी भाषाओं को सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ भी जोड़ना होगा । यह हमारे लिए परम आवश्यक है क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी भाषाओं का विकास रुक जाएगा । इसलिए हमें अपनी भाषाओं में काम करने के लिए आधुनिक तकनीकी से युक्त उन्नत सॉफ्टवेयर बनाने होंगे ।

यह एक अच्छी बात है कि भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस ओर सक्रिय रूप से कार्यरत है । विभाग द्वारा सी-डेक, पुणे के सहयोग से अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर की हिंदी सीखने के लिए लीला राजभाषा सॉफ्टवेयर, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हेतु मंत्र राजभाषा सॉफ्टवेयर, हिंदी स्पीच से हिंदी टेक्स्ट के लिए श्रुतलेखन राजभाषा सॉफ्टवेयर और अंग्रेजी डिक्टेशन को कम्प्यूटर द्वारा अनुवाद करके हिंदी टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए वाचांतर सॉफ्टवेयर, विकसित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था भी की जा रही है ।

हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी है उसे निभाने में राजभाषा हिंदी पूरी तरह सक्षम है । आइए, हम सब मिलकर यह सिद्ध करें कि राजभाषा हिंदी जन-जन की भाषा बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान करे ।

जय हिंद !

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2008

(शिवराज वि. पाटील)

सत्यमेव जयते

डॉ. शकील अहमद
गृह राज्यमंत्री, भारत
14 सितम्बर,2008

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस,2008 के अवसर पर अपनी त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का 122वां अंक **प्रशिक्षण विशेषांक** के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है ।

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको आदि में विभिन्न क्षेत्रों और भाषा समूहों से अधिकारी और कर्मचारी आते हैं । इन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में किया जाना अपेक्षित है । केन्द्रीय सरकार के कार्मिक राजभाषा हिंदी में अपना सरकारी कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसके लिए उन्हें समय-समय पर उनसे संबंधित विषयों की अद्यतन जानकारी हिंदी में उपलबध करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने आवश्यक हैं ।

सरकार के निदेश है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा चलाए जा रहे समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रशिक्षण सामग्री हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो । साथ ही प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को भी हिंदी में प्रशिक्षण देने का अनुभव होना चाहिए । केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह जरूरी है कि कार्मिकों को हिंदी कार्य में सहायक विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी हो । सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है । राजभाषा विभाग द्वारा भी हिंदी कार्य में सहायक विभिन्न सॉफ्टवेयर विकसित करवाए गए हैं । केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षणार्थियों को इन सॉफ्टवेयरों की जानकारी भी दी जानी चाहिए ।

राजभाषा भारती के प्रस्तुत विशेषांक में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं तथा प्रशिक्षण तकनीक से संबंधित लेख समाहित किए गए हैं । मैं आशा करता हूं कि प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के कार्मिकों के लिए यह विशेषांक अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ।

राजभाषा भारती के **प्रशिक्षण विशेषांक** के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

शकील अहमद

(डॉ. शकील अहमद)

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
–निराला

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 31

अंक : 122

जुलाई–सितंबर, 2008

प्रशिक्षण विशेषांक

❑ **संपादक :**
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ **सहायक संपादक :**
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ **निःशुल्क वितरण के लिए**

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

❑ **पत्र-व्यवहार का पता :**
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची **पृष्ठ**

❑ **संपादकीय** (iii)

❑ **लेख**

1. सचिवालय प्रशिक्षण व राजभाषा हिंदी– एक अंतर्दर्शन –शचीन्द्र शर्मा 1
2. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम –के. विनोद 4
3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-कंप्यूटर प्रशिक्षण –केवल कृष्ण 6
4. राजभाषा प्रबंधन में प्रशिक्षण की भूमिका –के. सी. श्रीवास्तव 8
5. राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता–एक पुनरावलोकन –डॉ. एम. एल. गुप्ता 10
6. इंडियन ऑयल में प्रशिक्षण व्यवस्था –डॉ. माणिक मृगेश 13
7. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के बारे में –बीना भंडोरिया 15
8. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में प्रशिक्षण परिदृश्य –नगेन्द्र कुमार मिश्र 18
9. बैंकिंग के बदलते परिवेश में प्रशिक्षण का महत्व –राजेन्द्र सिंह 22
10. वैज्ञानिक संस्थानों में व्यावहारिक हिंदी कार्यान्वयन एवं शिक्षण –डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश' 27
11. प्रबंधकीय दक्षता में हिंदी की भूमिका –राज बहादुर गुप्ता 32
12. यूनीकोड–विश्वस्तरीय मानक –डॉ. दलसिंगार यादव 36
13. शिक्षा व मनोविज्ञान –डॉ. मुक्ता 41

❑ **राजभाषा संबंधी गतिविधियां**

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 44

आकाशवाणी, कोलकाता; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गुवाहाटी; आकाशवाणी, कडपा; केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर; सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गोवा; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद; मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना; आयकर आयुक्त, अमृतसर; महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर; महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल हाजीपुर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, गाजियाबाद; आकाशवाणी, शिमला; दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली बोकारो स्टील प्लांट

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 50

चेन्नई; शिलचर; कोलकाता (बैंक); तृश्शूर; चण्डीगढ़; भंडारा; पटियाला; शिमला

(ग) कार्यशालाएं 55

मुख्य आयकर गुवाहाटी; भारी पानी संयंत्र, तालचेर; मुख्य आयकर आयुक्त हैदराबाद; केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान, बहरमपुर; लोकताक पावर स्टेशन, मणिपुर; नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन; गुवाहाटी रिफाइनरी; हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. पंचग्राम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई; मुख्य अभियंता सेवक परियोजना; रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, चण्डीगढ़; परमाणु ऊर्जा विभाग, बडोदरा; भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड; आकाशवाणी, नागपुर; बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र भंडारा; राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़; गोवा शिपयार्ड लि., गोवा; एन.एच.पी.सी. लि., चण्डीगढ़

❑ **प्रेरणा-पुंज** 62

–श्री टी. वेंकट रेड्डी, अध्यक्ष नराकास (बैंक) चेन्नई एवं महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई

–श्री के. सीताराम, अध्यक्ष नराकास मदुरै एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मदुरै

❑ **हिंदी के बढ़ते चरण** 68

दक्षिण में हिंदी के बढ़ते कदम

❑ **संगोष्ठी/सम्मेलन** 71

भारत संचार निगम लि. चेन्नई; पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, शिलांग; नराकास नवी मुंबई; केनरा बैंक, रांची; भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

❑ **विविध** 76

–गृह राज्य मंत्री द्वारा राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक

–गृह राज्य मंत्री द्वारा बेंगलूर में राजभाषा संबंधी कार्यकलापों एवं गतिविधियों की समीक्षा
–कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयंबत्तूर द्वारा राजभाषा सी डी का विमोचन

❑ **पाठकों के पत्र** 79

संपादकीय

संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है । इसमें निहित उपबंधों के अनुसार ही विध ायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अपने विभिन्न कार्यों को निष्पादित करती है । राजभाषा के संबंध में संविधान सभा के सदस्यों ने काफी चिंतन-मनन किया । तदनुसार 14-9-1949 को देवनागरी में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । हिंदी की सम्प्रेषण शक्ति अपार है जिसे पढ़ने लिखने में कोई कठिनाई नहीं है । संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी की खूबियत सर्वविदित है । हिंदी आजादी के आंदोलन के दिनों में विभिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने का साधन रही है । देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी ने निभाई । गाँधी जी ने हिंदी के जरिए ही जनमानस में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना फूंक डाली थी । संविधान निर्माताओं ने भी हिंदी के इस महत्व को पहचान कर देश की राजभाषा का उच्च पद हिंदी को दिया ।

संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है । सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा साथ ही 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रावधान रखा गया । संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1952 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार राज्यपालों तथा उच्च और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्रों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ देवनागरी अंकों का प्रयोग अधिकृत किया गया । तीन साल बाद और एक आदेश जारी किया गया जिसके अनुसार जनता के साथ पत्राचार प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएं, संसदीय रिपोर्ट, संकल्प, हिंदी राज्यों के साथ पत्राचार, संधियां और करार, अन्य देशों की सरकारों और सरकारी दूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्राचार आदि के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग भी अधिकृत किया गया । इस सिलसिले में राष्ट्रपति का तीसरे आदेश में वैज्ञानिक, प्रशासनिक और विधिक प्रयोजनों के लिए हिंदी शब्दावली के विकास, प्रशासनिक और कार्यविधि संबंधी सामग्री के लिए हिंदी अनुवाद और भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया ।

राजभाषा विभाग समय-समय पर "राजभाषा भारती" के विशेषांक प्रकाशित करता रहा है; जैसे-स्वर्ण जयंती विशेषांक, आर्थिक विशेषांक, काव्य विशेषांक,

प्रौद्योगिकी विशेषांक आदि । इसी शृंखला में हिंदी दिवस 2008 के अवसर पर यह "प्रशिक्षण विशेषांक" आपके हाथों में है ।

प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत अंक में शामिल किया गया है, जैसे- "सचिवालय प्रशिक्षण व राजभाषा हिंदी-एक अंतर्दर्शन" में कार्यालयों, सचिवालय व अन्य संगठनों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया है । "राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम" की जानकारी दी गई है । "राजभाषा प्रबंधन में प्रशिक्षण की भूमिका" की एक झलक तथा वर्तमान में "राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता" पर पुनरावलोकन किया गया है । इसी तरह संस्थानों में जैसे इंडियन ऑयल में प्रशिक्षण की व्यवस्था, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में प्रशिक्षण परिदृश्य, के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है । "बैंकिंग के बदलते परिवेश में प्रशिक्षण" का महत्व, "वैज्ञानिक संस्थानों में व्यवहारिक हिंदी कार्यान्वयन एवं शिक्षण" तथा "प्रबंधकीय दक्षता में हिंदी की भूमिका" आदि में विद्वानों द्वारा अपने विचार दिए गए हैं । "कंप्यूटर प्रणाली में यूनीकोड-विश्वस्तरीय मानक" लेख में लेखक ने महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत किया है ।

प्रस्तुत अंक में "प्रेरणा-पुंज" नामक नया स्तंभ जोड़ा गया है । इसमें जिन कार्यालयों/ उपक्रमों /बैंकों/ नराकास/स्वयं सेवी संस्थाओं आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है उनके प्रमुखों/अध्यक्षों/सदस्य सचिवों आदि के साक्षात्कार/भेंटवार्ता प्रकाशित किए जाएंगे । प्रस्तुत अंक में नराकास (बैंक) चेन्नई के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई तथा नराकास बैंक मदुरै के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मदुरै के साथ हुई भेंटवार्ता के अंश दिए गए हैं । आशा है इससे अन्य कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों एवं नराकास आदि को भी राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी ।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति राजभाषा भारती की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजभाषा संबंधी गतिविधियां तथा अन्य नियमित स्तंभ भी सदैव की भाँति इस अंक में दिए जा रहे हैं ।

आशा है इस अंक को भी पाठक रुचिकर और उपयोगी पाएंगे । प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग व उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी ।

–संपादक

सचिवालय प्रशिक्षण व राजभाषा हिंदी - एक अंतर्दर्शन

–शचीन्द्र शर्मा*
पूर्व निदेशक (कार्यान्वयन)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है । हम चाहें अथवा न चाहें प्रतिपल कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है । इसमें भी सन्देह नहीं कि प्रत्येक परिवर्तन कुछ न कुछ नयापन लिए रहता है । यही नयापन हमें कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है । परिवर्तित स्थिति को साधने के लिए ज्ञानार्जन अनिवार्य हो जाता है । इस विषय में जो बात वैयक्तिक स्तर पर सही है वही समूहात्मक, सामाजिक अथवा संगठनात्मक स्तर पर भी सही बैठती है ।

व्यक्ति, समूह, समाज अथवा संगठन छोटा हो या बड़ा अपने चारों ओर के परिवर्तन से अछूता नहीं रह सकता । अपने आसपास हो रहे परिवर्तन से उसकी कार्य पद्धति, नियोजित प्रणाली, लक्ष्य, उद्देश्य आदि सभी किसी न किसी हद तक प्रभावित होते रहते हैं । बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में आसपास तो क्या दूर दराज तथा अन्य कार्यक्षेत्रों में होने वाली उथल पुथल, सुदूर स्थित किसी भी क्षेत्र को अलग-अलग रूप में प्रभावित करती है । ऐसा कई कारणों से हो सकता है, यथा –

– नयी संस्कृति का समावेश ;
– नये कार्य क्षेत्र में प्रवेश ;
– कार्य प्रणाली में परिवर्तन ;
– नई तकनीक का अपनाया जाना ; आदि

संभावित बदलाव से प्राय: संगठन के सभी घटक, जिसमें कार्मिक विशेष रूप से उथल पुथल का शिकार होते हैं । कार्मिकों में भय, अनिश्चितता, पूर्वाग्रह तथा दूर दुराव की स्थिति उत्पन्न होती है । इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हो जाता है कि नये ज्ञान/नई जानकारी, नवीन कार्यकौशल, कार्यव्यवहार में आवश्यक परिवर्तन के विषय में भ्रमपूर्ण पूर्वाग्रहों, अनर्गल विचारों का समय से निवारण करते हुए वस्तुस्थिति की पूर्ण और संतुलित जानकारी प्रदान की जाए ।

भारत सरकार एक विशाल संगठन है । सरकार की उद्देश्य पूर्ति के लिए विभिन्न कार्य नियोजित ढ़ंग से अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, कम्पनियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, प्राधिकरणों आदि में कार्यरत उच्च एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं । इन कार्यों में अपने विवेक के साथ-साथ उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान के प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि में प्रदत्त अधिकारों, कार्य पद्धतियों, दिशानिर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष होकर जनहित में कार्य निष्पादन करें । इसमें उनकी सहायता के लिए संगठन पद्धति/कार्यविधि; अधिकार प्रत्यायोजन नियम, करणीय व अकरणीय सूत्र, लेखा/नजीर आदि के रख रखाव की व्यवस्था संबंधी मैन्यूअलों, कूटों आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इन सब बातों का अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास सचिवालय प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता है ।

कार्यालयों तथा सचिवालय की कार्य प्रणाली अन्य संगठनों की कार्य प्रणाली से भिन्न होती है । प्रजातंत्र में कार्यपालिका संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होती है । अतएव नीति-निर्धारण तथा उसके निर्वाह के दौरान लिए गए निर्णयों को भविष्य में लेखा परीक्षा के लिए अथवा न्यायिक संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करना होता है । इसलिए फाइल पर नोटिंग/ड्राफ्टिंग के माध्यम से प्रत्येक बात का लेखा जोखा रखा जाता है ताकि पता चल सके कि किसके द्वारा क्या निर्णय कब व क्योंकर लिया गया । विभिन्न स्तरों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों, विनियमों आदि की व्याख्या/विश्लेषण अन्य मामलों में नजीर की तरह उद्धृत किए जाते हैं । इन सब अति महत्व की बातों के कारण 'सचिवालय प्रशिक्षण' सरकारी काम काज के निष्पादन में मूल्यवान योगदान प्रदान करता है ।

आज के सतत् परिवर्तनशील विश्व के चहुंमुखी प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण में यह अत्यावश्यक हो जाता है कि हमारे असैनिक-जनसेवक अपने कार्य के प्रति असाधारण रूप से उत्तरदायी तथा सक्षम सिद्ध हों । सरकारी तंत्र का

***सी-3, फाइन होम अपार्टमेंटस, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091**

जिम्मेदार तथा जवाबदेह विकास बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इसके विभिन्न स्तर के कार्मिकों के ज्ञान, कार्यकुशलता तथा कार्य के प्रति दृष्टिकोण का क्या स्तर है। देखा जाए तो यही तीन बातें प्रशिक्षण का मर्म हैं तथा उसकी नाभिकीय कक्षा के अभिन्न अंग हैं। किसी पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मात्र ही उस पद के कार्य निष्पादन की अंतिम जमानत नहीं कही जा सकती । कार्य निष्पादन के लिए उस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षण से व्यक्ति की कार्यक्षमता में निखार आता है ।

जहाँ तक भारत सरकार का प्रश्न है इसका प्रशिक्षण तंत्र इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपनी सेवा-विशेष अथवा संबद्ध सेवा के लिए प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था करेगा । उदाहरण के लिए विदेश मंत्रालय के अंन्तर्गत 'विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान'; गृह मंत्रालय के अन्तर्गत 'सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस आकदमी'; कार्मिक विभाग के अन्तर्गत 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी' तथा 'सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान' कार्यरत हैं । समूह 'ग' तथा 'घ' के सचिवालय कर्मचारी अपने-अपने मंत्रालयों में विकेन्द्रित प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाते हैं ।

सचिवालय प्रशिक्षण में मुख्यतया मध्य स्तर प्रशासकों – जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' अधिकारियों की आवश्यकता है । यह तकनीकी प्रशिक्षण से पूर्णतया भिन्न है । जहाँ तकनीकी प्रशिक्षण में कार्य अभ्यास के दौरान कोचिंग तकनीक द्वारा प्रक्रिया में आने वाली त्रुटियों/समस्याओं का निवारण किया जाता है वहाँ ही सचिवालय प्रशिक्षण में व्याख्यान पद्धति से संविधान के अनुच्छेदों, अधिनियमों/नियमों/विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या/विश्लेषण तथा अन्य बारीकियों को समझाते हुए उनके प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाता है जिससे कि कार्यालय/सचिवालय में विभिन्न मामलों तथा स्थितियों में उनका यथोचित और प्रासंगिक उपयोग किया जा सके ।

सचिवालय प्रशिक्षण की उपादेयता का सीधा संबंध उसमें प्रयुक्त माध्यम से होता है । क्योंकि जिस भाषा में नियम विनियम आदि समझाए जाएंगे उसी भाषा में उनका प्रयोग सहजता से किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त जन साधारण की समस्याओं का निराकरण उस भाषा में जिसे अधिकांश जन समझ सकते हैं न सिर्फ करने से बल्कि समझाने में भी अधिक युक्ति युक्त व तर्क संगत लगता है । जनतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है । व्यक्ति, समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संबंध रखने के कारण कार्यालयों/सचिवालय के कार्य में भावनात्मकता तथा सूक्ष्मग्राहिता का समावेश स्वभाविक है । इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक पक्षों का शमन, सम्प्रेषण की कुशलता पर पूरी तरह निर्भर करता है । बहुधा सरकारी कार्यालयों तथा सचिवालय में आमने-सामने का सम्प्रेषण सम्भव नहीं हो पाता है । ऐसे में भाषा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि भाषा सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम है विशेषकर तब, जबकि आने वाले समय में बार-बार कृत कार्रवाई का लेखा जोखा जाँच-परख के लिए उपलब्ध कराना एक आवश्यकता हो । और जब कार्यालय सम्प्रेषण की बात हो तो राजभाषा पर जोर देना अत्यावश्यक हो जाता है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है । हाँ, संविधान के ही अनुच्छेद 343(2) को जब राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(1) के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी । हिंदी राजभाषा होने के कारण वरीयता की हकदार है । कार्य व्यवहार में क्रमशः इसे यथोचित स्थान दिलाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण किया गया जिसे प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा सद्भावना के माध्यम से लागू किया जा रहा है । फिलहाल, जो कार्य अंग्रेजी में लिए जाते थे वे उसी भाषा में हो रहे हैं तथा रिपोर्टों आदि के द्विभाषिक संस्करण हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत होते हैं ।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में रुकावटों के संदर्भ में प्रायः यह उलाहना दिया जाता है कि यह अनुवाद की बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ रही है और इस तरह "नौ दिन चले अढ़ाई कोस" से अधिक क्या हो सकेगा । एक प्रकार से यह ठीक लगता है किन्तु व्यर्थ अरण्य रोदन की बजाय कुछ किए जाने की आवश्यकता है । इस दिशा में नीति के अनुसार चलना श्रेयस्कर रहेगा । विचार प्रवाह मूलतः हिंदी में हो इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कार्मिक/अधिकारी को शुरुआती प्रशिक्षण हिंदी के माध्यम से दिया जाए । राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जा रहे 'संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम' में सम्मिलित राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है :

> " 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में, सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से होना चाहिए । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं

में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए" ।

अतएव हम सभी का परम कर्तव्य हो जाता है कि नीति निर्देशों का अक्षरश: पालन करें । इस बारे में पहली जरुरत है आत्मावलोकन की । संगठन के स्तर पर कानूनी नियम तथा नीति निर्देशों का अनुपालन प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है । इस संबंध में राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 को उद्धृत करना समीचीन होगा–

"12 अनुपालन का उत्तरदायित्व - (1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उप-नियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

(2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक् अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नियमावली अथवा निदेशावली में कमी नहीं है । कमी है तो उन्हें रुचिपूर्वक निष्ठा से लागू करने की ।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संदर्भ में प्रशिक्षण के पहलू हैं –

(क) राजभाषा हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान को बढ़ावा देना; तथा

(ख) राजकाज में प्रयुक्त होने वाले अधिनियम, नियम, विनियम पद्धति, करणीय एवं अकरणीय सूत्र आदि की व्याख्या, विश्लेषण, स्पष्टीकरण को हिंदी के माध्यम से प्रदान करना तथा उनके प्रयोग के अभ्यास कराना ।

उपरोक्त (क) के लिए राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना चलाई जा रही है । इसके अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ व हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा हिंदी सीखने के लिए विशेष सुविधाएं एवं प्रोत्साहन तथा नकद पुरस्कार दिए जाते हैं । केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अपने नई दिल्ली स्थित परिसर और मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई तथा गुवाहाटी स्थित उप संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों की कक्षाएँ चला रहा है । इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग के तकनीकी प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद; तथा सी-डेक, नोएडा के माध्यम से कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की है ।

राजभाषा विभाग की 'लीला-राजभाषा' योजना के अन्तर्गत प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी, विभाग द्वारा सी-डेक, पुणे के सहयोग से विकसित, विभिन्न भाषाओं के माध्यम से, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा सहजता से स्वयं सीखी जा सकती । ये सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग के पोर्टल से नि:शुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

जहाँ तक उपर्युक्त (ख) में वर्णित नियम, विनियम, पद्धति आदि के हिंदी में प्रशिक्षण का प्रश्न है सभी मंत्रालयों/विभागों व उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीन प्रशिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में ज्ञानार्जन, कार्यकौशल-अभ्यास तथा कार्य व्यवहार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु अनुदेशन/शिक्षण की व्यवस्था हिंदी के माध्यम से करें तथा 'ग' क्षेत्र में अनुदेशों के अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराएं । ऐसा करके हम न सिर्फ हम राजभाषा का समुचित विकास व उपयोग सुनिश्चित कर सकेंगे बल्कि अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार की कोताही के अपराधबोध से भी मुक्ति पाएंगे । कहना न होगा कि वर्षों से अंग्रेजी में चले आ रहे पाठ्यक्रमों, अनुदेशों के संकलनों आदि को हिंदी में तैयार किया जाना तब तक सम्भव नहीं हो पाएगा जब तक प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे अनुभवी संकाय सदस्य/अतिथि संकाय सदस्य जिन्हें विषय के साथ-साथ हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त हो, उपलब्ध न होंगे । इसके अतिरिक्त इस महत् कार्य के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर विशेष उद्देश्य कार्यवाहिनी प्रत्येक संस्थान में स्थापित करनी होगी। इन कार्रवाई एककों में कार्यरत तथा कार्यमुक्त (जरूरत के मुताबिक) दोनों प्रकार के कर्मचारी रखे जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त यह कार्य, तैयार की जाने वाली सामग्री की मात्रा को देखते हुए, संकाय सदस्यों से मानदेय के आधार पर अथवा परामर्शदाता नियुक्त करके भी कराया जा सकता है । जितना शीघ्र यह कार्य सम्पन्न हो सके उतना श्रेयस्कर है । इसके अतिरिक्त, आगे के लिए संकाय सदस्यों की भर्ती करते हुए यह ध्यान में रखना होगा कि विषय के साथ-साथ दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ चुने जाएँ । इस बात को ध्यान में रखते हुए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने पर भी तत्काल विचार करना उचित रहेगा ।

सभी के सक्रिय सहयोग से प्रशिक्षण के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से दैनन्दिन कार्यों को भी हिंदी में करने में सहायता मिलेगी तथा इस बारे में तय वार्षिक लक्ष्य स्वत: प्राप्त होते जाएंगे । ■

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

–के. विनोद*

सफल संगठनों का यह एक सामान्य लक्षण है कि वे अपने कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार लगातार प्रशिक्षित करवाते रहते हैं । यह विकसित एवं दक्ष संगठनों की पहचान है । राजभाषा विभाग जोकि हिंदी में कार्य करने को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेन्सी है, भाषा अनुप्रयोग उपकरणों के विकास में अग्रगामी है, विशेषकर जिनमें हिंदी भाषा सीखने, अंग्रेजी से हिंदी मशीन साधित अनुवाद तथा हिंदी श्रुतलेख साफ्टवेयर शामिल है । अत: यह अत्यावश्यक था कि विभाग द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुव्यवस्थित तरीके से विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर एवं अन्य हिंदी साफ्टवेयरों के प्रयोग में प्रशिक्षित किया जाए ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा विभाग की हाल ही में किए गए प्लान स्कीमों/कार्यक्रमों के अध्ययन में पाया गया कि विभाग द्वारा विकसित करवाए गए साफ्टवेयर उपयोगी हैं, परन्तु कर्मचारियों द्वारा इनका प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए इनके इन्स्टालेशन व प्रयोग का प्रशिक्षण आवश्यक है । इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कुछ उपयोगी हिंदी साफ्टवेयर उपकरण इंटरनेट तथा सी.डी. के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं । राजभाषा विभाग ने इन उपयोगी साफ्टवेयर को अपनाया है तथा हिंदी फांट में एकरूपता लाने के लिए यूनीकोड एनकोडिंग, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानकीकृत है, का उपयोग करने में सहमति जताई है । इन सभी तीन तथ्यों को एक साथ रखते हुए हिंदी में कार्य करने हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है ।

यद्यपि राजभाषा विभाग द्वारा कंप्यूटरों हिंदी प्रशिक्षण पिछले 15 वर्षों से दिया जा रहा है, पर केवल वर्ष 2008-09 से प्रशिक्षण को दो श्रेणियों में दिया जा रहा है, जोकि आधारभूत तथा उच्च स्तर कार्यक्रमों में बांटा गया है । आधारभूत प्रशिक्षण में हार्डवेयर उपकरणों का परिचय, आपरेटिंग सिस्टम, हिंदी में नोट पैड तथा वर्ड पैड का प्रयोग, शब्द संसाधक (word processor) का प्रयोग, विस्तृत तालिका (spread sheet) तथा प्रस्तुतीकरण साफ्टवेयर है । लीला, मंत्रा तथा श्रुतलेख साफ्टवेयर का परिचय, हिंदी में कार्य करने के लिए उपलब्ध अन्य साफ्टवेयरों का परिचय, इंटरनेट तथा ई-मेल शामिल है । उच्च स्तर के कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजभाषा तथा अन्य द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाए गए विवृत स्रोत साफ्टवेयर (open source) को प्रयोग करना तथा उन्हें प्राप्त करना, प्रयोग करने में आने वाली समस्याओं के निवारण पर जोर दिया जाता है ।

विभाग द्वारा आयोजित 'कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग' एवं 'कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग' कार्यक्रमों का प्रपत्र एवं कैलेंडर विषय सूची सहित विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर हर वर्ष अप्रैल माह में उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2008-09 से जारी 'कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग' प्रशिक्षण कार्यक्रम चर्चा योग्य है । इन कार्यक्रमों में वे प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे जो कंप्यूटर पर पहले से ही काम कर रहे हैं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों में कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग संबंधी आवश्यक जानकारी एवं हिंदी प्रयोग में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है ताकि प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रशिक्षणार्थी कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग सरलता पूर्वक, कुशलता से कार्य कर सके । इस कार्यक्रम के लिए कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग का साधारण ज्ञान व अनुभव जिसमें इंटरनेट एवं ई-मेल का प्रयोग शामिल है, का ज्ञान अपेक्षित है । 'कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग' कार्यक्रम के पाठ्यक्रम भाग ले रहे प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकतानुसार कार्यक्रम की विषयवस्तु की समीक्षा करके उसको प्रासंगिक एवं समसामयिक/अद्यतित किया जाता है । सामान्यत: कार्यक्रम के पंजीकरण के बाद लगभग 30 मिनट के एक सत्र के जरिए इन प्रशिक्षणार्थियों से उनका अनुभव एवं समस्याओं की जानकारी ली जाती है । तत्पश्चात् विषय-सूची प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बताई गई सामान्य समस्याओं में से कम से कम 90 प्रतिशत समाधान में सक्षम होने योग्य उपयुक्त पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है । निश्चित

*सहायक निदेशक, तकनीकी कक्ष, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

पाठ्यक्रम के अलावा बची हुई विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम के अन्तिम दिन एक सत्र रखा जाता है ।

भारत सरकार एवं अन्य संगठनों/संघों द्वारा हिंदी प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए हैं । इनमें से जो साफ्टवेयर यूनीकोड मानक के अनुकूल हैं एवं जिनका उपयोग कार्यालयों में वर्तमान में हो रहे कंप्यूटर पर विपरीत असर डालने की संभावना नहीं है, उनकी जानकारी दी जाती है । भारत सरकार (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजभाषा विभाग, सरकारी संस्थान एवं सरकार के अधीन संगठन, स्वायत सोसाइटी (सी-डेक आदि) के द्वारा सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रयोग के लिए विकसित किए गए साफ्टवेयरों जैसे ओपन आफिस, बॉस (Boss) आदि एवं अन्य संसाधनों की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल है । विभाग द्वारा विकसित लीला, मंत्रा एवं श्रुतलेखन साफ्टवेयर की जानकारी भी दी जाती है जिसमें इनकी उपयोगिता, क्षमता, पूर्वापेक्ष, प्राप्त/इंस्टाल करना, प्रयोग करना एवं अन्य जरूरी जानकारी शामिल है । कंप्यूटर पर हिंदी में एकरूपता से कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा यूनीकोड इनकोडिंग को मान्यता दी है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विंडो-2000, विंडो-एक्स. पी., विंडो विस्टा आधारित कंप्यूटरों में हिंदी यूनीकोड में कार्य करने हेतु कंप्यूटर को सक्रिय किए जाने की प्रक्रिया बताई जाती है। यद्यपि इनस्क्रीप्ट की बोर्ड को मानक के रूप में मान्यता दे दी गई है, फिर भी जो प्रयोगकर्ता रेमिंटन की बोर्ड के जरिए टाइपिंग करते हैं उन्हें रेमिंटन की बोर्ड ड्राइवर प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया, उपलब्ध विकल्प (www.ildc.in पर उपलब्ध GIST टाइपिंग टूल, www.bhashaindia.com पर उपलब्ध IME की बोर्ड ड्राइवर) के बारे में भी बताया जाता है । इसके अलावा इन कार्यालयों में पहले से यूनीकोडइतर फोटो को यूनीकोड फोटो में परिवर्तित करने के लिए उपलब्ध परिवर्तन 2.0 एवं टी बी आई एल कनवर्टर के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है । विषय सूची के अतिरिक्त, विकास स्वरूप तकनीक में आए बदलाव एवं उन्नत तकनीक की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में अतिरिक्त जानकारी/विषय शामिल किए जाते हैं । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं । यह कार्यक्रम पांच दिवसीय है एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रपत्र में संलग्न तालिका में सूचित अपने निकटतम केंद्र के लिए नामांकन पत्र प्रशिक्षण संस्था को भेजे जाने हैं एवं इसकी प्रति राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष में भेजी जानी है । प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामांकन प्रपत्र भरकर कार्यक्रम के आरंभ होने से एक माह पूर्व डाक या ई-मेल द्वारा संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को भेजे जाने हैं । विभाग द्वारा प्रायोजित, हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सी-डेक एवं एन.पी. टी.आई. द्वारा आयोजित किए जाते हैं । प्रशिक्षण संस्थानों का पता जहां पर नामांकन प्रपत्र भेजे जाने हैं निम्न प्रकार से है :—

1. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
   श्री केवल कृष्ण,
   तकनीकी निदेशक,
   2रा तल, बी विंग,
   कमरा सं. बी-7, कंप्यूटर कक्ष,
   लोकनायक भवन, खान मार्केट,
   नई दिल्ली-110003
   दूरभाष/फैक्स 011-24619960
   ई-मेल kewal.krishan@nic.in

2. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
   श्री चंदन सिंह, निदेशक (प्रशा.),
   राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान,
   एन.पी.टी.आई. परिसर,
   सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003.
   दूरभाष : 0129-2272142
   फैक्स : 0129-2272309
   ई-मेल veenabhandoria@yahoo.co.in

3. सी-डेक
   श्री वी. के. शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर,
   सी-डेक, अनुसंधान भवन, सी-56,
   इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर-62,
   नोएडा-2611307
   दूरभाष : 0120-2402551-60
   फैक्स : 0120-2402569
   ई-मेल vksharma@cdacnoida.in

अब तक विभाग द्वारा कुल 650 पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 16,000 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा विभाग के **'कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग' एवं 'कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग'** प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जा सकता है और कंप्यूटर पर हिंदी में कुशलता से काम करने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। ■

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र–कंप्यूटर प्रशिक्षण

–केवल कृष्ण*

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अन्तर्गत एक अग्रणी संस्था है । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों के लिए, अपने विश्वव्यापी नेटवर्क, निकनेट द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की व्यापक रेंज प्रस्तुत करता है । इन सेवाओं में निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं :-

(क) विकेंद्रीकृत आयोजनों के लिए राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क स्थापित करना (ख) सरकारी सेवाओं में सुधार लाना (ग) केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के बीच व्यापक पारदर्शिता लाना ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि ई-शासन परियोजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाए और प्रयोक्ताओं को नवीनतम सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं । अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एक एजेंट के रूप में उभरा है जोकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर लागत प्रभावी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । तदनुसार, रासूवि केंद्र मुख्यालय तथा रा.सु.वि. केंद्र राज्य एककों पर प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है । रा.सू.वि. केंद्र के जिला एककों पर भी चल रही परियोजनाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

गत कुछ वर्षों में सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । ई-शासन के संबंध में मंत्रालयों/विभागों में जागरूकता एवं उसके कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन को निर्मित करने के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित सरकार में ई-शासन तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित हिंदी में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

सरकारी पदाधिकारियों के लिए

- ई-प्रशासन रूपरेखा से संबंधित कार्यशाला पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- सरकार में कार्यालय स्वचालन तथा ई-तैयारी के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के पूर्व-अभिज्ञत मुख्य अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करना । ये अधिकारी क्रमशः अपने संबद्ध विभागों में कंप्यूटर संस्कृति को फैलाने में मल्टीप्लायर का प्रभाव लाने में कैटालिस्ट की भूमिका अदा करेंगे ।
- हिंदी में कंप्यूटर के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता पैदा करना ।

विकासशील देशों के लिए

रा.सू.वि.केंद्र सुविज्ञता व अनुभव की भागेदारी के लिए विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना ।

प्रशिक्षण सुविधाओं की मुख्य विशेषताएं

पाठ्यक्रम विषय सूची

पाठ्यक्रम विषय सूची कंप्यूटिंग सुविधाओं का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए प्रयोक्ताओं की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक अभिकल्पित किया गया है । जैसे ही विक्रेता, सॉफ्टवेयर का नवीनतम रूपांतर तथा नया उत्पाद जारी करता है वैसे ही समय-समय पर संबंधित पाठ्यक्रम विषय सूची संशोधित की जाती है ।

संकाय

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण प्रभाग के पास अपना स्थायी संकाय है तथा उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी व प्रशिक्षण में कई वर्षों का अनुभव रखने वाला अतिकुशल शैक्षणिक अर्हता वाला स्टाफ है । संकाय कार्य करते समय अपने आप को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से अद्यतन रखता

*तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ए, ब्लाक, सी.जी.ओ. कंप्लेक्स, लोदीरोड, नई दिल्ली

है तथा नीवनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता रहता है । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहायता ग्रुपों से विषय संबंधित विशेषज्ञता सहायता ली जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहर की विशेषज्ञ संकाय को भी आमंत्रित किया जाता है ।

शिक्षण कार्य-प्रणाली

इसके नवीनतम आडियो-वीडियो उपकरणों, कंप्यूटर आधारित अनुशिक्षक पैकेज तथा अच्छी प्रकार से अभिकल्पित पाठ्य-पुस्तकों का इस्तेमाल होता है । शिक्षण कार्य-प्रणाली में व्याख्यान व सीधा प्रदर्शन, अभ्यास सत्र में विचार-विमर्श, क्षेत्रीय दौरे आदि शामिल हैं । अभ्यास सत्र के दौरान मानव-मशीन का अनुपात 1:1 रखा जाता है ।

पाठ्यक्रम सामग्री

पाठ्यक्रम सामग्री बहुत ही व्यवस्थित रूप में सुसज्जित की गई है जिनमें संदर्भ सामग्री, पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं । पाठ्यक्रम सामग्री सॉफ्टवेयर के नवीनतम रूपांतरण के अनुसार समय-समय पर अद्यतन की जाती है । पाठ्यक्रम सामग्री व्यापक दृष्टिकोण हेतु वेब पर भी प्रकाशित की गई है ।

अवसंरचना

प्रशिक्षण प्रभाग के पास प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए समागम हॉल, व्याख्यान हॉल, कांफ्रेस कक्ष अत्याधुनिक हैं । प्रभाग में कंप्यूटर लैब में 60 वर्क स्टेशन हैं । जिनमें तीव्र गति इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं ई-लर्निंग/ अनुशिक्षक पैकेज उपलब्ध है । कंप्यूटर लैब को प्रशिक्षण प्रभाग के लैन के साथ जोड़ा गया है ।

वेब-आधारित कार्यालय स्वचालन

विभिन्न प्रशिक्षण प्रभाग के कार्यकलापों के वेब आधारित स्वचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में ऑन-लाइन सूचना, नामांकन प्रक्रिया, अनुसूची तैयारी, प्रमाणपत्रों को जारी करना आदि शामिल किया गया है जिससे प्रशिक्षण प्रभाग के कंप्यूटरीकृत आंतरिक कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कार्य प्रणाली अध्ययन भी प्रदर्शित किया जाता है । प्रशिक्षिण प्रभाग के पास इस प्रयोजन के लिए http:/training.nic.in वेब साइट है ।

हिंदी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित कंप्यूटर कार्यक्रम

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कंप्यूटर पर सामान्य: प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयरों के प्रयोग द्वारा कुशलतापूर्वक हिंदी में प्रयोग करने संबंधी जानकारी देने के अतिरिक्त कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग में आने वाली सामान्य समस्याओं के हल एवं अन्य उपयोगी जानकारी दी जाती है । यह देखते हुए कि आजकल काफी कर्मचारी/अधिकारी पहले ही कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो स्तरों पर उपलब्ध कराया गया है। पहले कार्यक्रम 'कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग' में कंप्यूटर पर कार्य का ज्ञान न रखने वालों को कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग सिखाया जाता है । दूसरा कार्यक्रम 'कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग' उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है जो कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग का कुछ ज्ञान/अनुभव रखते हैं । यह कार्यक्रम नामत: (क) कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग तथा (ख) कंप्यूटर पर कुशल हिंदी प्रयोग से चलाए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र व्यवसायियों के लिए

- राष्ट्रीय स्तर पर ई-शासन परियोजनाओं के लिए नई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण ।
- प्रबंधन व डोमेन विषयक प्रशिक्षण प्रदान करना ।

ये सभी कार्यक्रम क्लास-रूम प्रशिक्षण के अतिरिक्त वीडियो-कान्फ्रेंसिंग तथा वर्चुअल क्लास-रूम (ई-लर्निंग) प्रशिक्षण द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं।

दक्षता विकास कार्यक्रम

सरकारी मंत्रालयों/विभागों के मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लाभ के लिए रा.सू.वि. केंद्र दक्षता विकास कार्यक्रमों को आयोजित करता है जिससे उन्हें उनके संगठनों में सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को पूरी तरह समझने में मदद मिलेगी । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नए विचारों को सृजित करने के अलावा आवश्यक कंप्यूटर दक्षता भी प्रदान करते रहेंगे ।

यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र अपने इतने वर्षों के अनुभव को, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा अधिकाधिक बांटना चाहता है और इस दिशा में सफलतापूर्वक अग्रसर होते हुए राष्ट्र में ई-शासन के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है । ■

राजभाषा प्रबंधन में प्रशिक्षण की भूमिका

–के. सी. श्रीवास्तव*

केंद्र सरकार से संबन्धित कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों, स्वयत्त संस्थानों, निगमों एवं निकायों में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजभाषा हिंदी के पद सृजित किए गए हैं और उन पर नियुक्तियाँ की गई हैं । किंतु विडम्बना है कि इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । अप्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी कर्मचारियों को हिंदी में कम से कम कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे और हिंदी प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त करेंगे । क्या यह दुराशा मात्र नहीं है ?

अन्य सभी सेवाओं के कर्मचारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है । कुछ सेवाओं में नियुक्तियों के तुरन्त बाद ही तैनाती के पूर्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है जिसमें लगभग एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । प्रशिक्षण के सफलता-पूर्वक समाप्ति पर ही उनकी तैनाती उनके संवर्गों में की जाती है । सेवा काल के दौरान भी कार्मिकों के लिए पुनश्चर्य और अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में वांछनीय है कि राजभाषा प्रबंधन से संबद्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था की जाए । विशेष रूप से सीधी भर्ती से आए हुए कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है ।

प्राय: कनिष्ठ अनुवादक और सहायक निदेशक/हिंदी अधिकारी स्तर सीधी भर्ती का प्रावधान है । कनिष्ठ अनुवादक के पद के लिए शैक्षिणिक अर्हता स्नातक (Graduate) अथवा स्नातकोत्तर (Post Graduate) है । इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य में डिप्लोमा वांछनीय होता है । कनिष्ट अनुवादकों को सरकारी कार्यालयों में काम करने का अनुभव प्राय: नहीं होता ।

इसी प्रकार सहायक निदेशक/हिंदी अधिकारी भी सीधी भर्ती से अंशत: नियुक्त किए जाते हैं । यद्यपि उन्हें अन्य कार्यालयों-बैंकों आदि अथवा अध्यापन का अनुभव प्राप्त होता है किंतु सरकारी कार्यालयों में काम करने का अनुभव नहीं होता । इस स्थिति में सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता स्वत: स्पष्ट है ।

नए अनुवादक सरकारी शब्दावली से भी परिचित नहीं होते । प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें शासकीय शब्दावली, वाक्य विन्यास, पत्राचार आदि का ज्ञान दिया जा सकता है ।

विशेष रूप से मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत राजभाषा कार्मिकों को संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों आदि से राजभाषा नीति के अनुपालन और कार्यान्वयन संबंधी पत्राचार करना अपेक्षित होता है अतएव पत्राचार का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण भी वांछनीय है । यद्यपि अधिकांश कार्मिक कंप्यूटर से परिचित हो चुके हैं किंतु कार्यकुशलता के लिए कदाचित प्रशिक्षण आवश्यक होगा ।

सहायक निदेशक/हिंदी अधिकारी स्तर पर अधिक गहन एवं स्तरीय प्रशिक्षण अपेक्षित है । सहायक निदेशक का पद राजपत्रित है । मंत्रालयों/विभागों में समतुल्य अनुभव अधिकारी पदधारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान द्वारा की जाती है । केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सहायक निदेशकों के प्रशिक्षण का आयोजन भी सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपेक्षित हैं । अन्यथा राजभाषा विभाग के अन्तर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को यह दायित्व दिया जाना चाहिए । प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालय पद्धति (Office

*55 सी, एम.आई.जी फ्लैट्स, अशोक विहार फेस-III, पाकेट-सी, दिल्ली-110052

rocedure), वित्तीय नियम (Financial Rules), मूल नियम और अनुपूरक नियम (FR and SR), वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Financial Power Rules) और आचरण नियम (Conduct Rules) का ज्ञान कराया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान विशेष रूप से राजभाषा संबंधी प्रावधान, राजभाषा संकल्प, राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा के विषय में समय-समय पर जारी आदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं ।

उपर्युक्त विषय, मैंने अनुभव के आधार पर इंगित किए हैं, इस बारे में विस्तृत विवेचन राजभाषा कार्मिकों के प्रशिक्षण की संकल्पना (concept) की स्वीकृति के पश्चात् संबन्धित प्राधिकारी कर सकते हैं । इस बारे में विचार करने के लिए समिति भी गठित की जा सकती है ।

प्रत्येक विभागीय पदोन्नति पर, उच्चतर पद पर पात्रता हेतु कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी समीचीन होगी ।

इसके अतिरिक्त कार्मिकों को अल्पकालीन पुनश्चर्या और अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भी नामित किया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त सभी सुझावों पर गहन विचार अपेक्षित है । अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण के फलस्वरूप कार्मिकों के दृष्टिकोण में व्यापकता आई है और कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है ।

निम्नलिखित उद्धरण प्रशिक्षण की महत्ता को रेखांकित करता है :—

'Training is widely recognised as an intervention leading to enhanced knowledge, proper skills and changed attitudes. It is believed that a new configuration of knowledge, skills and attitudes will provide the needed stimulus to initiate impulses of change in the administrative apparatus generally and administrators in particular. To enlarge the concept in a more practical sense, it can be argued that training should lead to improved efficiency, productivity and administrative performance.' ■

राजभाषा कार्यान्वयन में हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता- एक पुनरावलोकन

–डॉ. एम. एल. गुप्ता*

14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकारते हुए राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों का निर्णय ले लिया गया था । 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान प्रभावी हुआ और हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा बन गई । राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिन कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई उनमें सर्वोपरि था केंद्रीय कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का प्रशिक्षण । इसलिए सर्वप्रथम 1952 में हिंदीतर भाषी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया ।

राजभाषा आयोग-1955 तथा इस आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए गठित संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति के 1960 के आदेशों के अनुसार गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना की गई। 1974 में स्वायत्त संस्थानों, सांविधिक निकायों, केंद्रीय उपक्रमों तथा बैंकों को भी इस प्रशिक्षण योजना के दायरे में लाया गया । प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का भी गठन किया गया जिनके अंतर्गत निरंतर केंद्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

हिंदीतर भाषी केंद्रीय कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ का प्रशिक्षण उनकी मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए क्रमशः प्राइमरी, मिडिल तथा मैट्रिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान करवाने की दृष्टि से प्रारम्भ किए गए थे । जिस अधिकारी/कर्मचारी ने मैट्रिक स्तर या समकक्ष स्तर का हिंदी ज्ञान प्राप्त किया था उनके बारे में सोचा गया था कि ऐसे कर्मचारी कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने में सक्षम होंगे, इसलिए 1976 में जब राजभाषा नियम लागू हुए तो उसमें ऐसे कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना गया । यही नहीं इसमें ऐसा उपबंध भी किया गया कि यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से यह घोषणा कर दे कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तो उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान मान लिया जाएगा ।

हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की इस परिभाषा के चलते ऐसे लाखों कर्मचारी कार्यसाधक ज्ञान की श्रेणी में आ गए जिन्होंने दक्षिण या पूर्वोत्तर भारत से दसवीं-बारहवीं तक हिंदी पढ़ी तो थी, लेकिन इनमें अनेक ऐसे भी थे जिनका हिंदी ज्ञान का स्तर इतना कम था कि कार्यालयीन हिंदी व नोटिंग-ड्राफ्टिंग तो दूर की बात जो ठीक से हिंदी बोल व लिख भी नहीं सकते थे । उससे भी ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई, हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा संबंधी उपबंध के कारण । बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी जो हिंदी प्रशिक्षण के इच्छुक नहीं थे या वे कार्यालय जो अपने कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिलवाने में कुछ कठिनाई अनुभव करते थे, वहां इस उपबंध के अंतर्गत लाखों कर्मचारियों द्वारा ऐसे घोषणा पत्र भरे या भरवा दिए गए जिनके लिए कार्यालयीन कार्य हिंदी में करना संभव ही नहीं था । इनमें ऐसे भी अनेक थे जो ठीक से हिंदी बोल या लिख भी नहीं सकते थे । परिणाम यह हुआ कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई लेकिन कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने का हेतु नहीं सधा ।

अब उन अधिकारियों/कर्मचारियों की बात करें जो "क" क्षेत्र से हैं और हिंदी भाषी की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने दसवीं-बारहवीं या उच्चतर स्तर पर हिंदी पढ़ी है । जो पहले से ही प्रशिक्षण के दायरे से बाहर थे, क्या वे अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में कर पा रहे हैं या कर पाए ; यदि ऐसा होता तो राजधानी दिल्ली स्थित केंद्रीय

*उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (प.) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, छठा तल, केंद्रीय सदन, सैकटर-10, बेलापुर, नवीं मुम्बई-400614

मंत्रालयों/विभागों तथा "क" क्षेत्र स्थित अन्य कार्यालयों में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में मूल नोटिंग/ड्राफ्टिंग, पत्राचार या अन्य कार्य सरलता से हिंदी में कर रहे होते, लेकिन यहां भी स्थिति उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती । मानसिकता जैसी बातों को छोड़ भी दें तो भी हिंदी के प्रति रूचि रखने वाले हिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी भी प्राय: मूल नोटिंग/ड्राफ्टिंग में कठिनाई अनुभव करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक से अंग्रेजी न जानने वाला हिंदी भाषी भी हिंदी के बजाए अपना कार्यालयीन कार्य अंग्रेजी में करना सुगम क्यों पाता है ? इन तथ्यों पर गहराई से विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

यदि व्यावहारिक स्तर पर देखें तो सर्वप्रथम यह कि जिन राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के हिंदी सामान्य व्यवहार में प्रचलन में नहीं है या किसी अन्य विषय के साथ संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है या बहुत संक्षिप्त पाठ्यक्रम, न्यून ज्ञान या न्यून अंक प्राप्त करने पर भी हिंदी विषय में उत्तीर्ण किए जाने की स्थितियाँ है, वहां दसवीं-बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी भी हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं रखता, इसलिए ऐसे कर्मचारियों को प्रारम्भिक स्तर पर यथास्थिति प्रबोध एवं प्रवीण स्तर का हिंदी भाषा का ज्ञान करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । फिर जिन्होंने बिना किसी योग्यता के घोषणा पत्र के जरिए कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया है उनके हिंदी भाषा ज्ञान को परख कर भी आवश्यकतानुसार अपेक्षित स्तर का हिंदी प्रशिक्षण तो दिया ही जा सकता है ।

अब हम उन कर्मचारियों की बात करें जिन्होंने उन राज्यों से शिक्षा ग्रहण की है जहां की राजभाषा हिंदी है या जो सामान्य व्यवहार की हिंदी का ज्ञान रखते हैं और दसवीं-बारहवीं या उच्चतर स्तर पर भी हिंदी पढ़ी है वे हिंदी में बातें तो करते है, लिख-पढ़ भी सकते हैं लेकिन हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग के नाम पर उनके हाथ-पांव फूलते हैं, ऐसा क्यों ?

मैंने हिंदी का समुचित ज्ञान रखने वाले और अंग्रेजी का अपेक्षाकृत कम ज्ञान रखने वाले अनेक कार्यालयों के हजारों अधिकारियों/कर्मचारियों से जब पूछा कि उन्होंने कार्यालयीन कार्य अंग्रेजी में क्यों और कैसे करना शुरू किया तो सामान्यत: एक ही उत्तर मिलता है, "हमने पिछली फाइल की नोटिंग/ड्राफ्टिंग, प्रोफार्मा वगैरह देखकर यथावश्यक परिवर्तन कर कार्य करना शुरू किया, थोड़े दिन में वह कार्यपद्धति, शैली, शब्द, पदबंध, वाक्य याद हो गए । हिंदी में न तो पहले से यह था, न ही सिखाया गया इसलिए कार्य अंग्रेजी में करना सरल है । लगभग वैसी ही स्थिति उनकी भी थी जो अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान रखते हैं । वे भी नकल के माध्यम से अंग्रेजी कार्य में पारंगत होते हैं । उनकी प्रशिक्षक होती हैं पुरानी फाइलें लेकिन हिंदी में नकल की वैसी सुविधा तो रही नहीं, वैसा प्रभाव, प्रोत्साहन भी नहीं रहा । इसलिए यदि केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी भाषा में कार्य करवाना है तो ऐसे हिंदी जानने वाले कर्मचारियों को उस तरह का ज्ञान देना होगा, जिसके अभाव में वे नकल के माध्यम से पारंगत होने के लिए विवश होते हैं ।

कार्यालयीन कार्य हिंदी या किसी भी भाषा में करवाए जाने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से निम्नलिखित विषयों का ज्ञान व अभ्यास आवश्यक प्रतीत होता है :-

(1) स्कूल कॉलेज में न तो कार्यालयीन कार्य पद्धति पढ़ाई जाती है और न ही कार्यालयीन कार्य के लिए प्रयुक्त विभिन्न आरूपों के प्रयोग की जानकारी दी जाती जिसके कारण सामान्यत: हर कार्मिक पिछली फाइलों की नकल के लिए विवश होता है (जो प्राय: पहल से अंग्रेजी में रही हैं ।) अत: हर कार्मिक को कार्यालयीन पद्धति, प्रबंधन, आरुप, प्रक्रिया आदि की समुचित जानकारी हिंदी माध्यम से दी जानी चाहिए ।

(2) यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कार्यालयीन भाषा-शैली जो मूलत: अंग्रेजी से ली गई वह अंग्रेजी में ही नहीं हिंदी में भी सामान्य व्यवहार की भाषा से अलग है । कार्यालयीन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली भी सामान्य व्यवहार की शब्दावली, रूप आदि से भिन्न है जिसका प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ।

(3) पूर्व परम्परा से हटाकर कर्मचारी अंग्रेजी के बजाए हिंदी में कार्य करें इसके लिए यह भी आवश्यक है कि साथ ही साथ उन्हें संघ की राजभाषा नीति से संबन्धित मुख्य बातों व प्रोत्साहन योजनाओं आदि की भी जानकारी दी जाए । इस प्रकार प्रशिक्षण अधिक उपयोगी भी होगा और आकर्षक भी ।

यदि इस प्रकार "कार्यालयीन पद्धति, प्रबंधन एवं राजभाषा" का प्रशिक्षण सभी कार्मिकों को दिया जाए (नए

भर्ती होने वाले कार्मिकों को परिवीक्षाकाल में ही) और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप उक्त प्रशिक्षण दिए जाने पर हिंदी में कार्य करने की घोषणा करने वाले कार्मिकों को स्थायी वेतन वृद्धि दिए जाने की व्यवस्था की जाए, तो राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त की जा सकेगी ।

आवश्यकता इस बात की भी है कि प्रशिक्षण के लिए उन स्थानों पर सुविधा संपन्न, साफ-सुथरे, आकर्षक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएँ जहां-जहां केंद्रीय कार्यालय अधिक हों और विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी वहां सरलता से पहुंच सकें । इन केंद्रों को कंप्यूटर सुविधायुक्त बनाते हुए राजभाषा विभाग द्वारा भाषा प्रशिक्षण हेतु बनवाए गए लीला श्रेणी के भाषा प्रशिक्षण साफ्टवेयरों का प्रशिक्षण में उपयोग भी काफी उपयोगी होगा ।

यहां यह कहना असंगत न होगा कि प्राइवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में मात्र फॉर्म भर कर अपने ही कार्यालय में परीक्षा देने की परम्परा से भी उतना लाभ नहीं हुआ है जितना कि अपेक्षित था । इसलिए यह भी आवश्यक होगा कि प्राइवेट/पत्राचार या कंप्यूटर पर ऑन लाइन प्रशिक्षण जानने वाले कार्मिकों के लिए भी परीक्षा से पूर्व केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आवश्यकतानुसार एक या दो सप्ताह के प्रशिक्षण/व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम चलाए जाएं जहां प्रशिक्षार्थी कार्यालय के कार्य से हटकर पूरी तरह प्रशिक्षण पर ध्यान दे सकें तथा अपनी शंकाओं का समाधान करें, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें और अभ्यास कर सकें ।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को उनके हिंदी ज्ञान के अनुसार उचित स्तर का हिंदी भाषा प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ सभी कर्मचारियों को "कार्यालयीन पद्धति, प्रबंधन एवं राजभाषा" का प्रशिक्षण दिलवाया जाए और समुचित प्रोत्साहन दिया जाए तो निश्चय ही राजभाषा संबन्धी संवैधानिक उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे । ■

इंडियन ऑयल में प्रशिक्षण व्यवस्था

–डॉ. माणिक मृगेश*

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की नवरत्न कंपनियों में शीर्षस्थ तथा विश्व फार्च्यून 500 की अनुसूची में 116वां स्थान प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम व्यापारिक कंपनी है । इंडियन ऑयल की स्थापना इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड तथा इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के विलय के साथ 1964 में हुई थी ।

भारत की 19 रिफाइनरियों में से 10 रिफाइनरियों का मालिकाना अधिकार इंडियन ऑयल समूह कंपनियों के पास है । राष्ट्रीय तेल शोधन क्षमता में 40.4 प्रतिशत की भागीदारी इंडियन ऑयल के पास है । विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिग्बोई रिफाइनरी 1901 से कार्यरत है । यह रिफाइनरी भी इंडियन ऑयल के पास है ।

इंडियन ऑयल का मुख्य कार्य तेल शोधन है । तेल शोधन के बाद विपणन का कार्य है ।

इंडियन ऑयल में प्रशिक्षण व्यवस्था :

प्रत्येक यूनिट/रिफाइनरी में प्रशिक्षण केंद्र :

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रत्येक प्रभाग के मुख्यालयों व क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रत्येक रिफाइनरी में आंतरिक प्रशिक्षण देने के लिए अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों से सज्जित प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो कि रिफाइनरी के क्षेत्र में रिफाइनरी में कार्यरत स्टॉफ व अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । आंतरिक व्याख्याताओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है तथा बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है ।

इंडियन ऑयल प्रंबधन अकादमी हल्दिया :

कोलकाता के पास स्थित हल्दिया रिफाइनरी की टाउनशिप में एक उच्चस्तरीय प्रबंधन अकादमी स्थापित की गई है । यह आवासीय अकादमी है । इस अकादमी में विशेष प्रबंधकीय तथा उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं । चूँकि यह अकादमी अनवरत प्रवाहित रहने वाली हल्दी नदी के किनारे है, इसलिए प्रशिक्षणार्थियों को एक पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा वातावरण प्राप्त होता है ।

इंडियन ऑयल पेट्रोलियम प्रंबधन संस्थान, गुड़गांव :

गुड़गांव के सेक्टर 18 में प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित लगभग 17 एकड़ भूमि पर इंडियन ऑयल ने विश्वस्तरीय शीर्ष पेट्रोलियम प्रबंधन स्थापित किया है । आईएसओ 9001:2000 से प्रमाणित तथा गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग पुरस्कार से सम्मानित यह संस्थान पूरे पेट्रोलियम सेक्टर में एक अनुपम प्रबंधन संस्थान है । इस संस्थान में व्यापारिक प्रगति व विकास को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक एवं जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशन व प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन प्रबंधन व वित्त प्रंबधन की बारीक से बारीक तकनीकियों को सुयोग्य व अनुभवी संकाय सदस्यों के माध्यम से सिखाया जाता है । सभी प्रशिक्षणों का एक मात्र उद्देश्य कॉर्पोरेशन की लाभप्रदत्ता व स्ट्रेटजिक नीति को संबर्द्धित करना है । इस संस्थान में प्रति वर्ष 1300 कार्यपालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

संस्थान द्वारा अपने ही व्यापारिक अनुभागों से सुयोग्य व अनुभवी कार्यपालक चुनकर संकाय सदस्यों का एक पूल बनाया है । इसके साथ-साथ आईआईएम अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलुर तथा आईआईटीज़ से भी विशषज्ञों को आंमत्रित किया जाता है ।

यह संस्थान पूर्णत: वातानुकूलित आवासीय संस्थान है जिसमें एक साथ 100 प्रतिभागियों को समायोजित किया जा सकता है । वर्ष 2004 से संस्थान द्वारा स्ट्रैस मेनेजमेंट तथा योग प्रशिक्षण देना भी प्रांरभ कर दिया है । अब तक 2800 कार्यपालकों को योग प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

*वरिष्ठ प्रशासन प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., स्कोप कंप्लेक्स, कोर-2, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

संस्थान अति आधुनिक कंप्यूटरों, लैब व लाइब्रेरी से युक्त है । मल्टीमीडिया, कलर लेज़र प्रिंटर वीडियो तथा ऑडियो सभी सुविधाएं हैं । इस संस्थान में संस्थान द्वारा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से ईराकी तेल कंपनियों के कार्यपालकों को भी प्रशिक्षित किया गया है । संस्थान के संकाय सदस्यों को मलेशिया, ओमान, आबूधाबी, कतार एवं नाइजीरिया आदि की रिफाइनरियों में प्रशिक्षण हेतु आंमत्रित किया गया है ।

प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्र :

प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं :

- प्लांट ऑपरेशन एवं ट्रबलशूटिंग
- अनुरक्षण व निरीक्षण तकनीक
- पर्यावरण प्रबंधन तकनीक व प्रणाली
- रिफाइनरी अर्थशास्त्र व लाभप्रदता
- प्रबंधन प्रणाली व सुधार पहलें
- सुरक्षा प्रंबधन व प्रणाली
- तेल उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण
- सेंट्रीफ्युगल कम्प्रेसरों का प्रचालन व अनुरक्षण
- कॉस्ट एवं प्लांड बज़टिंग
- फ्ल्यूड केटेलिस्ट क्रेकिंग प्रचालन सिद्धान्त
- हाइड्रोकेकिंग की जानकारी
- इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन प्रौद्योगिकी

प्रशिक्षण माध्यम:

सभी पाठयक्रमों का माध्यम हिंदी-अंग्रेजी युक्त मिली जुली भाषा रहता है । कोशिश की जाती है कि प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषिक उपलब्ध कराई जाए ।

राजभाषा प्रशिक्षण :

इंडियन ऑयल के अधिकांशत: कार्यालय अधिसूचित हैं । कुछ कार्यालय शेष हैं उनके कर्मचारियों को प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन :

इंडियल ऑयल कॉर्पोरेशन के सभी प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय व यूनिटें उन कर्मचारियों जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं के लिए नियमित त्रैमासिक तौर पर हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करती हैं ।

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजभाषा कार्यान्वयन का एक सत्र :

सभी यूनिटों द्वारा चलाए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सत्र हिंदी कार्यान्वयन को अवश्य रखा जाता है । जिसमें राजभाषा नियमों की जानकारी दी जाती है ।

निष्कर्षत: विश्वसाख के अनुरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तकनीकी व हिंदी प्रशिक्षण की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं । ■

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) के बारे में

– श्रीमती बीना भंडोरिया*

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी – राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) भारतीय विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों में मानव संसाधनों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है । एनपीटीआई के अपने निगमित केंद्र फरीदाबाद तथा विशिष्ट केंद्रों अर्थात् पावर सिस्टम ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (पीएसटीआई) एवं हॉट लाइन ट्रेनिंग सेन्टर (एचएलटीसी, बंगलौर) के साथ उच्च प्रबन्धन एवं विद्युत अध्ययन केंद्र (कैम्प्स) एवं प्रस्तावित हाइड्रो ट्रेनिंग यूनिट, फरीदाबाद सहित पांच क्षेत्रीय संस्थान जो कि नैवेली (तमिलनाडु), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बदरपुर (नई दिल्ली), नागपुर (महाराष्ट्र) तथा गुवाहाटी (असम) पर स्थित हैं, के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर इनका संचालन किया जाता है ।

इसके सभी संस्थान भारतीय विद्युत एवं इससे जुड़े क्षेत्रों से संबधित विभिन्न विषयों जैसे थर्मल, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों की आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए प्रबंधन विषयों के साथ-साथ विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए विश्व स्तरीय उच्च तकनीकी संरचनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित है । एनपीटीआई को औद्योगिक विशिष्ट तकनीकी अंतर्रापृष्ठ सहित विद्युत क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में लगभग 4 दशकों की व्यवसायिक दक्षता प्राप्त है । एनपीटीआई उच्च तकनीक प्रशिक्षण सुविधाओं जैसे मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग (सीबीटी) सेन्टर तथा स्टेट ऑफ दी आर्ट नल स्कोप एवं डिस्ट्रीब्यूटिड डिजीटल कंट्रोल, उच्च कर्तव्यपरायणता, उच्च गुणवत्ता, रियल टाइम ट्रेनिंग सिम्यूलेटरों के विकास में विद्युत उद्योग में भी अग्रणी है ।

एनपीटीआई निगमित केंद्र का अपना परिसर लगभग 15 एकड़ के अनुपम भूखंड पर फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नई दिल्ली से सटे उक्त उपनगर में साफ सुथरा योजनाबद्ध एवं औद्योगिक रूप से विकसित है । यह परिसर नई दिल्ली-हरियाणा बार्डर से लगभग 5 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

इस परिसर में संस्थान का मुख्य भवन, अतिथि-गृह, छात्रावास, खेलकूद कांप्लेक्स एवं शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्टाफ दोनों के लिए आवासीय क्वार्टर शामिल हैं । संस्थान के मुख्य भवन में 4 लैक्चर हॉल, एक सिंडीकेट रूम, बोर्ड रूम (सेंक्टम सेंक्टोरम), पुस्तकालय, रीयल टाइमफुल स्कोप एवं डीडीसी पर आधारित दोहरी सुविधाओं से युक्त 500 मेगावाट ट्रेनिंग सिम्यूलेटर, 430 मेगावाट फुल स्कोप कम्बाइंड साइकल गैस टरबाइन सिम्यूलेटर एवं सूचना एवं प्रोद्योगिकी केंद्र, परामर्शक चैम्बर्स तथा कार्यालय इत्यादि हैं । मनोरंजन केंद्र के रूप में एक बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण किया गया है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है । सेमिनार, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों को आयोजित करने के लिए एक अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त सम्मेलन कक्ष भी बनाया गया है । एनपीटीआई की आधुनिकतम कंप्यूटर सुविधा को 115 लेन से भी ज्यादा नोड्स से जोड़ा गया है । सभी नोड्स को आरएफ लिंक के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा गया है । इसके अतिरिक्त एनपीटीआई पर एक अनन्य मल्टीमीडिया कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी) केंद्र उपलब्ध है । इसके साथ ही निगमित कार्यालय फरीदाबाद पर जीआईएस संसाधन केंद्र की स्थापना भी की गई है ।

उच्च प्रबंधन एवं विद्युत अध्ययन केंद्र (कैम्प्स)

एनपीटीआई को प्रौन्नत तथा अग्रणी प्रौद्योगिकियों में विद्युत क्षेत्र की उच्च सोपानकों के लिए समुन्नत शिक्षा तथा प्रबंधन अध्ययन के लिए एक प्रमुख नोडल संस्थान के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिसमें उच्च प्रबंधन एवं विद्युत

* उप निदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर-33 फरीदाबाद

अध्ययन केंद्र (कैम्प्स) भी स्थापित किया है । यह केंद्र जल विद्युत, ताप विद्युत, विद्युत प्रणालियों, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, कार्यपालक विकास प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में व्यापक कैप्सुल पाठयक्रम विकसित कर रहा है । विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रणाली के सृजन हेतु प्रबंधन सहित अग्रणी प्रौद्योगिकी की अद्यतन सूचना के साथ कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा सम्मेलनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रबंधन अन्तर्रापृष्ठ, विद्युत परिवेश अन्तर्रापृष्ठ, विद्युत वित्त पोषण, निजीकरण एवं विनियामक मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए भी प्रतिबद्ध है । कैम्प्स के तत्वावधान में विद्युत प्रबंध न में एक 2 वर्षीय एमबीए पाठयक्रम आयोजित किया गया है । कैम्प्स द्वारा पावर एवं संबद्ध ऊर्जा क्षेत्रों के उच्च सोपानकों के लिए प्रौन्नत प्रौद्योगिकीयों तथा प्रबंधकीय पहलुओं पर अनेक उच्च विशिष्टीकृत कार्यक्रमों, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं को भी प्रस्तुत किया गया है ।

सिम्यूलेटर प्रशिक्षण

एनपीटीआई ने अपने निगमित कार्यालय फरीदाबाद पर 500 मेगावाट एवं 430 मेगावाट सीसीजीटी प्रशिक्षण सिम्यूलेटरों तथा इसके नई दिल्ली एवं नागपुर स्थित क्षेत्रीय संस्थानों पर उच्च गुणवत्ता, उच्च तदरूपता, रियल टाइम, फुलस्कोप, एवं डीडीसी/वीपीसी/सीआरटी - कीबोर्ड आधारित 210 मेगावाट प्रशिक्षण सिम्युलेरों (दो नम्बर) से स्वयं को सुसज्जित किया है । राज्य बिजली बोर्डों, लाभ के लिए स्व-चालित कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण पैकेजों को विकसित किया है ।

500 मेगावाट सिम्यूलेटर

500 मेगावाट के एक फुलस्कोप फोसाइल फ्यूल फार्यड पावर प्लांट प्रशिक्षण सिम्यूलेटर की स्थापना एनपीटीआई निगमित केंद्र पर की गई है । यह सिम्यूलेटर अर्थपूर्ण एवं ऑफ-जॉब ऑपरेटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वास्तविक परिदृश्य में सम्पूर्ण सिम्यूलेशन की प्रक्रिया का अनुकरण करता है । यह सिम्यूलेटर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के चन्दरपुर थर्मल पावर स्टेशन के 500 मेगावाट यूनिट -5, चरण-3 की प्रतिकृति है । इस पर परंपरागत कंट्रोल पैनलों के साथ-साथ वीडियो प्रोसस कंट्रोल (सीआरटी-कीबोर्ड यूनिट परिचालन/डीडीसी) पर दोहरा प्रशिक्षण प्रदान करने की अद्वितीय सुविधा उपलब्ध है । वीडियो प्रोसेस कंट्रोल के संचालन की दो अनन्य विधियों वर्चुअल पैनल एवं कंट्रोल स्किमैटिक हैं । यह सभी विशिष्टताएं विद्युत संयंत्र के संचालन की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं । एकीकृत प्लांट प्रक्रिया प्रचालन परिदृश्य में 250 से भी अधिक विषम परिस्थितियों से निबटने का ध्यान रखा गया है। इंजीनियरों/ऑपरेटरों को परिचालन की फुल रेंज के अनुभव के साथ विषम परिस्थितियों में प्लांट के सुरक्षित परिचालन की सभी स्थितियों में सहायता करता है। इंजीनियरों/ऑपरेटरों को प्रदत्त प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप अच्छे निर्णय लेने की क्षमता, प्लांट ट्रिप के मामलों में कमी, दोष रहित स्टार्ट-अप, प्लांट सब सिस्टम की युक्ति, ऑग्जिलरी संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग, अर्थ रहित समय, न्यूनतम लागत तथा उपकरणों के जीवन विस्तार में बढ़ोतरी होती है ।

इस सिम्यूलेटर पर सफलतापूर्वक अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं ।

कंबाइंड साईकल गैस टरबाइन सिम्यूलेटर

एनपीटीआई निगमित कार्यालय, फरीदाबाद पर उच्च गुणवत्ता, उच्च तदरूपता युक्त रिअल टाइम 430 मेगावाट कंबाइंड साईकल गैस टरबाइन पावर प्लांट सिम्यूलेटर की स्थापना की गई है । यह सिक्यूलेटर वास्तविक परिदृश्य में एक अर्थपूर्ण तथा ऑफ-जॉब आपरेटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सिक्यूलेटरों की समग्र प्रक्रिया के व्यवहार का वास्तविक अनुकरण करता है । 2-143 मैगावाट गैस टरबाइन एवं 1-144 मेगावाट स्टीम टरबाईन से युक्त सीमेन्स निर्मित 5-94-2 मॉडल का यह सिमूलेटर एनटीपीसी फरीदाबाद गैस पॉवर प्लांट की प्रतिकृति है ।

मल्टीमीडिया कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण

कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण को अत्यधिक किफायती, स्वचालित प्रशिक्षण साधन के रुप में पहचानते हुए एनपीटीआई निगमित केंद्र पर विद्युत उत्पादन से संबन्धित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के साथ-साथ प्रबन्धन के क्षेत्रों से सम्बन्धित सीबीटी पैकेजों को विकसित करने के लिए एक मल्टीमीडिया सीबीटी सैल की स्थापना की गई है । यह सेल्फ इन्टरएक्टिव पैकेज विद्युत निकायों पर उनके प्रशिक्षण केंद्रों तथा विद्युत स्टेशनों पर प्रयोग के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं । एनपीटीआई के क्षेत्रीय संस्थानों पर ओपन लरनिंग सेन्टर (ओएलसी) सथापित किए गए हैं जहां प्रशिक्षणार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषय विशेषज्ञों की सहायता लिए बिना इन

पैकेजों को चलाकर देख सकते हैं । इस सैल के द्वारा राज्य बिजली बोर्डों एवं निकायों को उनके अपने कार्य स्थल पर ओपन लरनिंग सेन्टरों (ओएलसी) को स्थापित किए जाने के लिए सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती हैं । इन पैकेजों को विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के कार्मिक अपनी सुविधानुसार अपने कार्यस्थल पर प्रशिक्षण संस्थानों पर औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना प्रयोग में ला सकते हैं जिससे समय तथा धन दोनों की बचत होती है ।

जीआईएस आधारित इलैक्ट्रिकल वितरण नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सुविधाएं

एनपीटीआई निगमित कार्यालय, फरीदाबाद पर जीआईएस आधारित विद्युत वितरण नेटवर्क योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्श के लिए उच्च तकनीक प्रशिक्षण उपकरणों से सुसज्जित एक जीआईएस संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है । इस सुविधा का उपयोग ड्रम परियोजना एवं एपीडीआरपी के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है ।

हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनपीटीआई निगमित कार्यालय (फरीदाबाद), बदरपुर, नागपुर, दुर्गापुर एवं पीएसटीआई बंगलौर द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे अधिकारियों/कार्मिकों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया रहा है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिभागियों को संबन्धित कार्यालय पैकेजों जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट, अक्षर, लीप ऑफिस, इंटरनेट एवं ई-मूल आदि से अवगत करवाया जाता है । इसके अतिरिक्त राजभाषा नीति एवं नियमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरणादायक वातावरण के सृजन हेतु एनपीटीआई निगमित कार्यालय एवं इसके संस्थानों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है । ■

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में प्रशिक्षण परिदृश्य

-नगेन्द्र कुमार मिश्र*

कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, केवल एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जो सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करें ।

Nobody on this earth can teach anybody anything but, can create an environment where learning starts taking place.

उपर्युक्त कथन में अध्ययन-अध्यापन का मानदंड और संकल्पना दोनों परिभाषित होते हैं । आज के युग में प्रशिक्षण या Training की उपादेयता और उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता । जैसे-जैसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे प्रशिक्षण का महत्व भी बढ़ता जा रहा है । प्रशिक्षण के महत्व को इस बात से जाना जा सकता है कि कई देशों में औद्योगिक संस्थानों को कानूनन अपनी आय का निश्चित प्रतिशत प्रशिक्षण अर्थात् अनुसंधान तथा विकास पर लगाना पड़ता है। यही नहीं, कई देशों में प्रशिक्षण आदि पर किए गए खर्च को व्यय में दर्शाया जाता है और उस पर आय कर आदि की छूट भी होती है ।

सामाजिक विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण एक अनिवार्य और अनवरत प्रक्रिया है, जो अपने व्यापक संदर्भ में अनौपचारिक रूप से शिशु के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है और औपचारिक रूप से विद्यालय इसकी प्रथम प्रयोगशाला होते हैं ।

आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि प्रशिक्षण कितना उपयोगी है अथवा नहीं है अपितु आज प्रशिक्षण सामग्री उपकरण, आधुनिक सुविधाओं इत्यादि ने जहां प्रशिक्षण को सार्थक, आकर्षक और प्रभावोत्पादक बनाने में सहायता दी है वहीं इससे संस्थागत लागत भी बहुत बढ़ गई है । प्रशिक्षण निरर्थक, लागत बढ़ाने वाला और श्रमघंटों की क्षति करने वाला नहीं होना चाहिए । इसलिए सही अर्थों में प्रशिक्षण क्या है?

हिंदी में प्रशिक्षण अंग्रेजी के Training शब्द का पर्याय है । प्रशिक्षण में प्रशिक्षु ज्ञनार्जन करके क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है । प्रशिक्षु वह सीखता जो उसे प्रशिक्षक सिखाता है । सीखे हुए से जहां प्रशिक्षु में स्थायी परिवर्तन होता है वहीं उसके परिणामस्वरूप उसके कार्य व्यवहार में भी गुणात्मक सुधार होता है । प्रशिक्षण एक सीमित दायरे में संस्थागत दायित्व है—जो विशिष्ट कार्यक्रम से आरंभ होकर उसी में समाप्त हो जाता है ।

यही कारण है कि संगठनों में विशिष्ट कार्यक्रम जिन्हें "Need Base Training या आवश्यकता—साधित-प्रशिक्षण" कार्यक्रम कहते हैं, अधिक लोकप्रिय और अधिक प्रभावोत्पादक होने के साथ प्रयोजन सिद्ध भी होते हैं। किसी भी संगठन में उभरते नए औद्योगिक तनावों और परिवर्तनों को बेहतर रूप में आत्मसात करने में प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनी अहम् भूमिका निभाते हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आमतौर पर कोई भी संगठन प्रशिक्षण नीति का अनुपालन करता है । प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में चार तत्व महत्वपूर्ण होते हैं :—

1. प्रशिक्षण नीति (Training Strategy)
2. लक्ष्य निर्धारण (Setting Goals)
3. अभिलक्षण निरूपण (Planning for Specification)
4. संसाधनों का संयोजन (Programming Resources)

प्रशिक्षण नीति के तहत कोई संगठन अपने संगठन में ऐसे प्रावधान करने की चेष्टा करता है जिसमें किसी भी संगठन की परिवर्तित होती कार्य-आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रणाली सतत् रूप से विकासमान रहे । इसके लिए संगठन के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के कार्य व्यापारों का अध्ययन किया जाता है । इसके बाद प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिनको प्रभावी बनाना है । दूसरे अर्थों में, यहीं से लक्ष्य की प्रक्रिया भी आरंभ होती है क्योंकि अपेक्षित परिवर्तन आवश्यक है तो इसका तात्पर्य है कि परिवर्तन किसमें करना है, स्पष्ट है कि परिवर्तन जन-संसाधनों में करना है । अत: आवश्यकता होगी उन लोगों का पता लगाने की जिनको प्रशिक्षित किया जाना है । आवश्यकता

*उप प्रबंधक, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

होगी उन प्रणालियों, प्रशिक्षकों और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की जिनके माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जाना है । प्रशिक्षण कार्यक्रम की समयावधि, कौशलों, सुविधाओं और प्रशिक्षकों को तय करने की । यही अभिलक्षण निरूपण या (Planning for Specification) है । अंतिम चरण प्रशिक्षण में समस्त संसाधनों को एक व्यवस्थित क्रम देना होता है । उनमें अन्योन्यश्रितता तय करना होगा । संस्थागत दृष्टिगत से प्रशिक्षण की प्रक्रिया को निम्न आरेख से समझा जा सकता है ।

आकृति 1

प्रतिभागी	प्रशिक्षण	प्रतिभागियों में व्यवहारगत परिवर्तन	संशोधित परिवर्तन
		फीडबैक	
संस्था	प्रक्रिया	अधिकाधिक संस्थागत प्रभावोत्पादकता	संस्थागत संवर्धन

स्रोत : *Training for Development : Rolf P. Lynton & Parcekh*

प्रशिक्षण आवश्यकता स्थापित हो जाने के बाद प्रशिक्षण की प्रकृति पर विचार किया जाता है कि यह प्रशिक्षण संकल्पनागत होगा या अभ्यासगत । यदि अभ्यासगत होगा तो गतिविधिपरक रखना है या क्रियापरक मोटे तौर पर प्रशिक्षण की प्रकृति के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों विभाजन निम्नानुसार सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है ।

विषय वस्तु *Content*

i. अकादमीय	iii. गतिविधिपरक
	iv. क्रियापरक
संकल्पना ———	——— अभ्यास *Practice*
Concept ii.	v. व्यक्तिक विकास
प्रायोगिक	vi. संगठनात्मक विकास

प्रक्रिया *Process*

उपर्युक्त रेखाचित्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्य प्रकृति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है । कुछ कार्यक्रम सैद्धांतिक अधिक होते हैं । कुछ अभ्यासपरक होते हैं । इसलिए इनके दो छोर हैं विषयवस्तुपरक एवं प्रक्रिया । लेकिन यदि कार्यक्रम कुछ नई संकल्पना सीखने के हैं तो वे *Concept* छोर के निकट होंगे । यदि मौजूदा ज्ञान में या कौशल में किसी मशीनरी को चलाने की जानकारी देना है तो वे प्रक्रिया के अधिक निकट होंगे । नेतृत्व के गुण और तनावों से जूझने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना, उत्पादकता वर्धन हेतु संसाधनों के समुचित उपयोग का प्रशिक्षण देना आदि अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने अलग-अलग उद्देश्यों और प्रशिक्षण उपलब्धियों के आधार पर अलग-अलग श्रेणी में आएंगे ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तुलनात्मक स्वरूप

प्रशिक्षण प्रकृति	उद्देश्य	क्रिया
अकादमी	विषयवस्तु पहुंचाना संकल्पनात्मक बोध का विकास करना	लेक्चर, सेमिनार, व्यक्तिगत पठन-पाठन
प्रायोगिक	कार्य प्रक्रिया और प्रशिक्षण प्रक्रिया के परिवर्तन पर जोर	मुक्त अन्वेषण परिचर्चा प्रयोग
गतिविधिपरक	कौशल का विकास,	सुपरवाइजर की निगरानी में जॉब वर्क करना ।
क्रियापरक	विशिष्ट कौशल का अभ्यास	फील्ड वर्क, विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण आदि
व्यक्तिगत कौशल	विभिन्न कार्यों में व्यक्तिगत क्षमता का विकास करना	फील्ड प्रशिक्षण, केस स्टडी परिचर्च, ग्रुप डिस्कशन आदि
संगठनात्मक विकास	संगठनात्मक संवर्धन	संगठनात्मक आवश्यकतानुकूल सर्वेक्षण

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में प्रशिक्षण परिदृश्य

इंजीनिर्स इंडिया लिमिटेड भारत की एक अग्रणी इंजीनियरी और परामर्शी कंपनी है जिसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। यह छठे दशक के मध्य से ही धातुकर्मीय उद्योगों सहित पेट्रोलियम, पेट्रोरसायनों और अन्य प्रोसेस उद्योगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2000-01 में ईआईएल ने आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रवेश किया और तब से आसूचना भवनों, एक्सप्रेस राजमार्गों, नदी/नहर परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण/विकास से संबंधित अनेक कार्य प्राप्त किए हैं। ईआईएल कमीशनिंग तथा संयंत्र चालू करने के लिए पर्यवेक्षी सेवाओं के माध्यम से परियोजना व्यवहार्यता, प्रोसेस डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरी, अधिप्राप्ति, निर्माण और परियोजना प्रबंधन क्षेत्रों में सभी प्रकार की परियोजना इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करती है। ईआईएल परियोजनाओं को एलएसटीके आधार पर भी करती है। यह भारत और विदेशों में हाइड्रोकार्बन और प्रोसेस उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ईआईएल की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ मानकों के अनुरूप है (आईएसओ-9001 : 2000 संस्करण)।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक ज्ञानाधारित उपक्रम है। इसके संसाधन इसके कर्मचारी और उनकी विशद् अनुभव है। ईआईएल जिस प्रकार के प्रौद्योगिकीय वातावरण में कार्य करता है उसमें अद्यतन रहना एक अनिवार्यता है और इसलिए प्रशिक्षण का महत्व भी बढ़ जाता है।

इसलिए अपने प्रशिक्षण दायित्वों को और अधिक कारगर बनाने के लिए 1994 में गुड़गांव में स्वत:पूर्ण स्वतंत्र प्रशिक्षण परिसर की स्थापना की गई। यह केंद्रीय वातानुकूलित प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों से सुसजिज्त सम्मेलन कक्ष 2 सिंडिकेट कक्ष, 48 कमरों का प्रशिक्षणार्थियों का सुसज्जित छात्रावास, 2 भोजनालय, पुस्तकालय आदि शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी के विभिन्न विभागों के सुयोग्य अधिकारीगण प्रमुख वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं देने और एक स्वतंत्र विभाग पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करता है।

सभी कर्मचारियों के सुलभ संदर्भ के लिए प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी ईआईएल के पोर्टल पर उपलब्ध है जहां वे विभिन्न पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सतत रूप से प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े रह सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-

तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम कंपनी द्वारा स्वयं और बाहरी संकायों द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम आवश्यकता आधारित (Need Base) के साथ-साथ सामान्य रूप से भी किए जाते हैं। हाल ही में कुछेक विषय जिन पर तकनीकी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- उन्नत ताप एवं द्रव्य अंतरण
- उन्नत पावर प्रणाली अध्ययन
- भूकम्प इंजीनियरिंग
- भूकम्प इंजीनियरिंग-II
- प्रोसेस उपकरण डिजाइन
- कंक्रीट संरचना की मरम्मत व पुनर्वास
- प्रोसेस नियंत्रण के लिए वायरलैस संप्रेषण
- पेवमेंट डिजाइन

प्रबंधकीय कार्यक्रमों में जैसा कि बताया गया है कि प्रबंध कौशल के विकास हेतु अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें कई विषयों को कवर किया जाता है और इसमें कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ मनोवृत्ति, व्यवहार कुशलता, तनाव एवं दबाव, सेवानिवृत्ति आयोजना इत्यादि और भी अनेक विषयों को समय-समय पर शामिल किया जाता है। हाल ही में किए गए कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किए गए :—

- टीक्यूएम बेसिक
- उत्पादकता उत्कृष्टता के लिए रणनीति
- बीपीआर बेसिक्स
- सिक्स सिगमा परिदृश्य
- पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक मार्गदर्शन
- यू आर लर्निंग
- टीम निर्माण
- दी जोहरी विंडो

- काउंसलिंग
- तनाव से कैसे बचें

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रशिक्षण कार्यकलाप सभी श्रेणियों के कर्मचारियों अर्थात् नियमित कर्मचारी प्रबंध प्रशिक्षु, ड्राफ्टसमैन और व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए होते हैं जिसमें तकनीकी पहलू शामिल होते हैं और भारत और विदेश में कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों या बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मदद से प्रबंधक कौशल का विकास किया जाता है ।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता अंतराल विश्लेषण के आधार पर तय किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों के लिए हमारा निम्नलिखित मापदण्ड है :—

(i) तकनीकी

(ii) प्रबंधन

(iii) व्यावहारिक

(iv) कौशल विकास

(v) बहु कौशल विकास/क्रॉस फंक्शनल

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गैर-तकनीकी विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों में कई बार राजभाषा नीति विषयों पर भी सत्र रखे जाते हैं । ऐसे कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली अध्ययन सामग्री आदि भी द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाते हैं । कंपनी में हिंदी रोस्टर के अनुसार राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिए हिंदीतर कर्मचारियों के लिए कंपनी में ही प्राध्यापक की सेवाएं लेकर हिंदी कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त वे प्राइवेट प्रशिक्षणार्थी के रूप में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की परीक्षा में बैठते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यकता आधार पर 1976 से लागू है । बीच में 100 प्रतिशत हिंदी में प्रशिक्षित कर्मचारियों का लक्ष्य हासिल करने के बाद कक्षाएं बंद हो गई थीं । अब पुनः हिंदीतर कर्मचारियों की संख्या बढ़ने पर कक्षाएं पुनः आरंभ कर दी गई हैं । प्रशिक्षणार्थियों को इन्टरनेट पर हिंदी संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने राजभाषा संबंधी दायित्वों से जानकारी नहीं है वरन् अपने अथक प्रयासों से अधुनातन सुविधाएं हिंदी प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करवाकर कंपनी ने हिंदी के प्रयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को फलीभूत किया है । ■

बैंकिंग के बदलते परिवेश में प्रशिक्षण का महत्व

-राजेन्द्र सिंह*

आर्थिक सुधार कार्यक्रमों—उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आने से भारतीय बैंकिंग में आमूल-चूल परिवर्तन आया है । जहां बैंक इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बदले वातावरण में अपने को ढाल ही रहे थे कि उसी समय सूचना प्रौद्योगिकी का भी प्रवेश हो गया । इन सबका परिणाम यह हुआ कि बैंकों में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया । आज भारतीय बैंकों का रूपान्तरण विभिन्न क्षेत्रों जैसे—स्वामित्व, संरचना, प्रणाली, प्रक्रिया, बाजार, वितरण के चैनल, उत्पाद व तकनीकी में हो रहा है ।

अभी वर्ष 2009 में 20 विदेशी बैंक हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं । इनके आने से वैश्वीकरण प्रक्रिया में और तेजी आने की सम्भावना है । यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हमें चार महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं :—विलय एवं अभिग्रहण द्वारा समेकन प्रक्रिया में तेजी आना, वैश्वीकृत वातावरण में परिचालन व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव और बैंकिंग का विश्वव्यापीकरण ।

आज विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं । इसी प्रसंग में सुश्री अन्न ओ. क्रेगर (प्रथम उपप्रबंध निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष) की पुस्तक ''लेटिंग द फ्यूचर इन इंडियाज कंटीन्यूयिंग रिफॉर्म'' के जरिए तथा नवम्बर 2004 को 'वैश्विक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की आवश्यकता' पर बोलते हुए विचार व्यक्त किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत इससे भी बेहतर कार्य प्रदर्शन कर सकता है । अतएव इस कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें अपने आप को सक्षम और कुशल बनाना है ।

इस परिवर्तन के प्रबंधन की जिम्मेदारी बैंक कर्मियों के कंधों पर है । विश्व के अनेक देशों का अनुभव है कि बैंक कर्मी ही संगठन की वास्तविक शक्ति होते हैं जो प्रति-स्पर्धात्मक वातावरण में भी व्यवसाय में बढ़त प्रदान करते हैं । बैंकिंग तो एक सेवा उद्योग है अतएव इसकी सफलता इसके मानव संसाधन पर ही आधारित है । इस ''ज्ञानयुग'' में एक बैंक कर्मी केवल ''श्रम'' का ही साधन नहीं है बल्कि इसे ''पूंजी/साधन'' का नाम दिया जाता है । ''मानवीय पूँजी'' के अंतर्गत ज्ञान, कुशलता, निपुणता, क्षमता और दक्षता शामिल हैं । इस ''मानवीय पूँजी'' में कमी बहुत तेजी से होती है अतएव इसके पुनर्पुजीकरण के लिए नया ज्ञान, नई कुशलता, निपुणता व दक्षता का बना रहना आवश्यक होता है ।

निपुणता एवं कुशलता—समय की मांग

उदारीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति, विवेकपूर्ण मानदण्डों और बैंकिंग व्यवहार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के फलस्वरूप बैंक कर्मियों को निपुण एवं कुशल बनना होगा । उपलब्धियों को बनाए रखने और मार्केट शेयर में वृद्धि करने हेतु सभी बैंक—चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों, निजी क्षेत्र के हों या विदेशी हों, सभी को एक दीर्घकालीन रणनीति अपनानी होगी । इस रणनीति में प्रशिक्षण की एक निर्णायक भूमिका है ।

प्रशिक्षण की परिभाषा

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अनुसार ''किसी भी संस्था में ऐसे क्रिया-कलाप को प्रशिक्षण कहते हैं जो रोजगारपरक व्यावहारिक, ज्ञान, दक्षता तथा रूझान प्रदान करने के उद्देश्य से दिए जाएं ।''

सी.आर. डूले के अनुसार, ''प्रशिक्षण ऐसी वस्तु नहीं है जो नए कर्मचारियों को एक बार दी जाती है । प्रत्येक क्षण जब आप किसी व्यक्ति से अपनी मर्जी के अनुसार कोई कार्य निष्पादित करने के लिए कहते हैं, तो यह भी प्रशिक्षण कहा जाता है । प्रत्येक क्षण जब आप निर्देश देते हैं या विधि के बारे में विवेचन करते हैं तब भी आप प्रशिक्षण दे रहे होते हैं ।''

प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्ट्रेटन ने प्रशिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है—''ज्ञान, दक्षता, तकनीक, रूझान तथा अनुभव का ऐसा विकास जो किसी भी व्यक्ति को इतना योग्य बना दे कि वह जिस संस्था में है, उसमें अधिक प्रभावशाली योगदान दे सकें ।''

*मुख्य प्रबंधक, आईओ बी (से.नि), 15/141, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016

शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों में आधार-भूत अंतर हैं । शिक्षण द्वारा मानवीय, रचनात्मक एवं उपयोगी शक्तियों का विकास होता है जिससे मनुष्य के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है । इसके विपरीत प्रशिक्षण द्वारा किसी विषय की सभी जटिलताओं से परिचय कराया जाता है और इनका समाधान किया जाता है । एडविन बी फिलप्पों के अनुसार, ''एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने का कार्य प्रशिक्षण कहलाता है ।''

बैंकों में प्रशिक्षण का महत्व

आज पूरे विश्व में सभी संगठन इस बात को मान रहे हैं कि वे अपने मानव संसाधन को बेहतर प्रशिक्षण देकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं और बाजार में टिके रह सकते हैं । संदेश स्पष्ट है कि जहां अच्छे लोग होंगे वहीं संस्था आगे बढ़ेगी । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो कंपनियाँ विश्व स्तर पर अपना कारोबार चला रही हैं वे अपने आय का न्यूनतम 3 प्रतिशत प्रशिक्षण पर व्यय करती हैं और इसके बदले वे 3 डालर से लेकर 300 डालर की आमदनी प्रति डालर व्यय पर कमाती भी हैं । इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल्यवान व्यावसायिक कुशलता और ज्ञान मुफ्त में ही आता है ।

सारणी-1 : बैंकों में प्रशिक्षण का महत्व

स्त्रोत : आई.बी.ए. बुलेटिन, जून 2002

आज पूरे विश्व बैंक प्रशिक्षण की नई तकनीकों जैसे; मल्टी मीडिया शैक्षिक नेटवर्क के माध्यम से दुनियां में किसी कोने में रहकर प्रशिक्षण लिया जा सकता है । एक ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार ने एक वेब आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसके माध्यम से इसके ग्राहकों और कर्मचारियों को विश्व के हर कोने में प्रशिक्षित किया जा सकता है । इण्टरनेट द्वारा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर ही दिया जा सकता है ।

कनाडा के एक प्रसिद्ध बैंक ने अपने 48000 कर्मचारियों को लगभग 1000 स्थानों पर नेटवर्क द्वारा प्रशिक्षण आयोजन करने के लिए 84 मिलियन डालर का व्यय किया । इसमें प्रशिक्षण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक और वैयक्तिक बैंकिंग सेवाओं, निवेश बैंकिंग और ऋण पुनर्संरचना, ग्राहक सेवा, विक्रय कौशल और अन्य कैरियर एवं व्यक्तिगत विकास संबन्धी विषय शामिल है ।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

आज प्रशिक्षण द्वारा बैंक कर्मियों की कुशलता बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । आज प्रशिक्षण का उद्देश्य पेशेवर बैंकर तैयार करना है जिनमें श्रेष्ठ योग्यता हो, अभिवृत्ति

हो, जो सभी स्तरों पर अच्छे कार्य निष्पादन द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने और बैंक की सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का सामर्थ्य पैदा करना है ।

बैंकों में प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति

आज बैंक कर्मियों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु अनेक संस्थाएं अपनी सेवायें प्रदान कर रही हैं । इनमें से कुछ संस्थाओं का जिक्र यहां किया जा रहा है :—

1. सभी बैंकों द्वारा स्थापित आन्तरिक/स्टाफ कालेज एवं स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र ।
2. राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे ।
3. भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान, मुम्बई ।
4. भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ।
5. बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुम्बई ।
6. कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे ।
7. राष्ट्रीय बैंक स्टाफ कालेज एवं स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र।
8. बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ ।

आज बैंक कर्मियों को इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है परन्तु इस प्रशिक्षण में निम्न समस्याएं सामने आ रही हैं :—

- जो बैंक कर्मी एक विषय से जुड़े हैं, उनसे हटकर अन्य विषयों का प्रशिक्षण ।
- कुछ चुनिन्दा स्टाफ सदस्यों को बार-बार प्रशिक्षण ।
- प्रशिक्षण के लिए चुने गए स्टाफ सदस्यों की अवमुक्ति में कठिनाई ।
- प्रशिक्षण की लम्बी अवधि ।
- स्टाफ की रुचि का अभाव, बोझिलता आदि ।
- बैंक कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए नामांकन प्रक्रिया का योजनाबद्ध न होना । प्रशिक्षण आवश्यकता का पूर्वानुमान न लगाना ।
- प्रशिक्षण के पहले चुने गए बैंक कर्मियों को पाठ्यक्रम का विवरण उपलब्ध न होना ।
- प्रशिक्षण के बाद बैंक कर्मियों का मूल्यांकन न होना जैसे उनके अभिवृत्ति में परिवर्तन या उत्पादकतों में योगदान आदि ।
- प्रशिक्षण के बाद बैंक कर्मियों का उचित स्थापन न होना ।
- प्रशिक्षण को बैंक की प्रबंध लेखा-परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत न लाया जाना ।

वर्तमान प्रशिक्षण प्रणाली की समीक्षा

वर्तमान दौर प्रौद्योगिक उन्नयन का है । कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ इण्टरनेट बैंकिंग, नेटवर्किंग, स्वचालित टेलर मशीनों आदि जैसे अत्याधुनिक साधनों के प्रवेश ने बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रतियोगी व कार्यक्षम बना दिया है । इस दौड़ में जो भी आगे रहेगा, व्यावसायिक संभावनाएं उसकी उतनी ही प्रबल रहेंगी । विभिन्न बैंकों के मानव संसाधन प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बैंक कर्मियों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण, अद्यतन जानकारियों से अवगत कराते रहें जिससे वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें । साथ ही बैंक कर्मियों का यह भी दायित्व है कि वे पुरानीकार्य प्रणाली के स्थान पर नवीन विचारों, प्रौद्योगिक को ग्राह्य करने के लिए स्वयं को तैयर रखें ताकि उसके माध्यम से ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं त्वरित रूप से मिल सकें ।

भावी चुनौतियाँ

उदारीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति, विवेकपूर्ण मानदण्डों और बैंकिंग व्यवहार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के फलस्वरूप बैंकों को नई योग्यताएं प्राप्त करनी होंगी जिसकी संक्षिप्त चर्चा यहां की जा रही है :--

- नए बास्ले पूंजी समझौते के मानकों के लागू होने पर बैंकों में प्रयोग होने वाले आन्तरिक रेटिंग माडल के विकास, परीक्षण और उनकी मान्यता के लिए निपुण लोगों की आवश्यकता है । साथ ही जोखिम प्रबंधन बैंकों के समक्ष एक विशेष चुनौती होगा ।
- वित्तीय बाजार में परिचालन की जटिलताओं को देखते हुए बैंकों को आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए अपने आप को निपुण बनाना होगा ।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार बैंकों में अनुत्पादक परिसम्पत्तियों के बढ़ने के कारण आन्तरिक भी है, जिसमें कमजोर ऋण मूल्यांकन और ऋणों के मानदण्डों का अनुपालन न करना है । आज अनुत्पादक परिसम्पत्तियों की परिभाषा बदल गई है। मार्च 2004 से अनुत्पादक आस्तियों की परिभाषा 180 दिनों से घटाकर अब 90 दिन कर दी गई है। इसके

लिए प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि करना है और निपुणता में वृद्धि सुनिश्चित करना होगा ।

- आज बैंकों को फिल्म निर्माण, साफ्टवेयर उद्योग, मूलभूत सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए भी ऋण देना पड़ रहा है जिसके लिए विशेष निपुणता की आवश्यकता है ।
- सूचना प्रौद्योगिकी के लागू होने के बाद बैंक कर्मियों की योग्यता में और सुधार आना है । यहां इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि प्रौद्योगिकी ही केवल आवश्यक नहीं है बल्कि बैंक कर्मियों की निपुणता, और कार्यकुशलता भी आवश्यक है, जिससे ग्राहकों को इसका लाभ पहुंच सके ।

वेब आधारित प्रशिक्षण

यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी शुरू में महंगी पड़ती है लेकिन धीरे-धीरे यह पारम्परिक तौर-तरीके से सस्ती पड़ती है । साथ ही इससे बैंकों का अपार लाभ भी होता है । एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान कंपनी के अनुसार ''आज के ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था में, इण्टरनेट सम्बंधी प्रशिक्षण सबसे अधिक सफल साबित हो सकता है और इस तरह आन-लाइन प्रशिक्षण एक क्रान्तिकारी कदम साबित हो सकता है ।'' उनके अनुमान के आधार पर वेब आधारित प्रशिक्षण आने वाले समय में काफी लोकप्रिय हो सकते हैं क्योंकि बाजार में इसके ग्राहक अधिक होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना भी परिपक्व होगी, सेवा पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी, वेंचर कैपिटल स्त्रोतों से अधिक निधियां उपलब्ध होंगी और इण्टरनेट प्रौद्योगिकी में सतत् नए-नए कीर्तिमान स्थापित होंगे ।

वेब आधारित प्रशिक्षण की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जैसे कम लागत, उपयोग में आसान और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच । इसी कंपनी के एक अध्ययन के अनुसार यद्यपि क्लास रूम प्रशिक्षण अब भी एक मुख्य जरिया है फिर भी वेब आधारित प्रशिक्षण धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है । बैंक और अन्य संस्थाएं धीरे-धीरे क्लास रूम प्रशिक्षण में होने वाले व्यय को कम करने के प्रयासरत हैं ।

स्वतः प्रशिक्षण तकनीक

स्वतः प्रशिक्षण का तात्पर्य स्वयं के विकास से संबन्धित है । इसके लिए कोई औपचारिक प्रबंध नहीं होता। किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षार्थी को स्वयं ही अध्ययन करना पड़ता है । इससे एक बैंक कर्मी थोड़े ही समय में ज्ञान प्राप्त कर अपने को सक्षम एवं निपुण बना सकता है । इसमें बैंक कर्मी अपने विषय स्वयं चुनता है । यहां बैंक को एक आयोजक के रूप में कार्य करना पड़ता है उदाहरण के लिए प्रशिक्षण सामग्री के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि ।

सागंठनिक/प्रशासनिक कर्मियों के कारण अब बैंक कर्मी अपने कार्य स्थल से ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। अतएव स्वतः प्रशिक्षण अब महत्वपूर्ण हो गया है । स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात् बैंकों में स्टाफ की कमी के कारण स्वतः प्रशिक्षण के द्वारा स्वयं को विकसित करना समय की मांग है ।

एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री संस्था ने 15-मोड्यूल का स्वयं अध्ययन मल्टीमीडिया प्रोग्राम का विकास किया है, जिससे कार्य स्थल पर ही प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

स्वतः प्रशिक्षण तकनीकी से लाभ

- प्रशिक्षण में समय की बचत ।
- प्रशिक्षार्थियों का सकारात्मक विचार भाव ।
- प्रशिक्षकों के ऊपर निर्भरता कम होना ।
- लचीलापन (प्रशिक्षार्थी अपने मुताबिक प्रशिक्षण ले सकते हैं) ।
- लागत में कमी ।

पुनः निपुणता प्राप्त करना (रिस्किलिंग)

आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों, निजी क्षेत्र के बैंक हों सभी बीमा संबन्धित क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं । अतएव आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान बैंक कर्मियों को पुनः निपुण बनाया जाए ।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आंधी में सभी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के लिए बाजार में टिके रहना संभव नहीं है, जिससे विलय और अधिग्रहण की संभावनाएं बढ़ गई हैं । अतएव कर्मचारी यूनियन अब स्वयं यह प्रयत्न कर रही है कि बैंक कर्मी स्वयं अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करें ।

रिस्किलिंग में बुनियादी क्षमताओं पर ध्यान देते हुए मानव संसाधन की योग्यता और कुशलता बढ़ाकर उन्हें नए परिवेश में कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है । इससे बैंक कर्मियों का मनोबल भी बढ़ता है जो उत्पादकता के लिए आवश्यक है ।

रिस्किलिंग के तत्व

- उच्च प्रबंधन का सहयोग ।
- रिस्किलिंग योजना को बैंक के अपेक्षित लक्ष्यों से जोड़ना ।
- अच्छा संप्रेषण एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान ।
- रिस्किलिंग प्राप्त करने वालों के लिए बेहतर स्थापन।
- प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं में स्वत: कमी आने की संभावना है ।
- नए-नए विभागों/क्षेत्रों के लिए आवश्यक क्षमताओं का निर्धारण करना ।
- रिस्किलिंग के लिए पाठ्यक्रमों का विकास ।
- बैंक कर्मियों के विभागों में परिवर्तन के कारण संभावित मनोवैज्ञानिक दबाव से छुटकारा पाने के लिए सलाह देना ।
- प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं वातावरण में कार्य करने हेतु तैयार करने के लिए उनमें तकनीकी, अन्तर-वैयक्तिक और विश्लेषणात्मक कुशलता का विकास करना ।

उपसंहार

ऐसा अनुभव किया गया है कि मौजूदा स्टाफ नई और उभरती हुई कुशलता मांगों, विशेष रूप से प्रणाली आयोजना, प्रणाली आडिट, जोखिम प्रबंधन, विपणन आदि के प्रति पूरी तरह जानकार नहीं है ।

चूँकि नई भर्ती के द्वारा इस कमी को पूरा करने में समय लगेगा अतएव प्रशिक्षण द्वारा एक तरफ तो प्रौद्योगिकी और ज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करना होगा तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की मानसिकता में वांछित परिवर्तन लाने के लिए ठोस उपाय करना होगा । तभी हम वर्तमान प्रति-स्पर्धात्मक वातावरण का सामना करने में सफल हो सकेंगे ।

वर्ष 2009-10 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों से काफी संख्या में लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे । जो बचेंगें, उनमें से अधिकांश युवा वर्ग के होंगे, जो आकर्षक वेतन के चलते विदेशी बैंकों की ओर प्रस्थान करेंगे । जो कुछ भी बेचेंगें उन्हीं के ऊपर बैंकों की सारी जिम्मेदारी होगी । अतएव इस समस्या से निपटने के लिए विलय एवं अभिग्रहण द्वारा समेकन प्रक्रिया की तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए । बैंकों में समेकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं में स्वत: कमी आने की पूर्ण संभावना है । ■

वैज्ञानिक संस्थानों में व्यावहारिक हिंदी कार्यान्वयन एवं शिक्षण

—डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश', डी. लिट्.*

हिंदी कालांतर से ही भारतीय संस्कृति, यहां की अक्षुण्ण बौद्धिक संपदा की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है। इसने अपनी प्रभविष्णुता के साथ जहां समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया, वहीं समग्र भारतीय भाषाओं के मध्य सेतु बन ज्ञान-विज्ञान के पारस्परिक वैचारिक संप्रेषण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। शासकीय स्तर पर हिंदी 14 सितंबर, 1949 को केंद्र सरकार के राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत की गई। इसके फलस्वरूप केंद्र सरकार के कार्यालयों में अधिकाधिक हिंदी के अनुप्रयोग को सुनिश्चित किए जाने की अवधारणा विकसित हुई। यद्यपि सरकारी हिंदी का विकास अथवा इसकी संकल्पना अनुवादी हिंदी के रूप में अधिक आंकी गई और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनिवार्यता के अनुपालन से यह संकल्पना अधिक दृढ़ हुई जो कहीं इसके विकास का प्रतिमान तो बनी लेकिन कहीं मौलिक हिंदी चिंतन एवं अभिव्यक्ति के मार्ग में आंशिक अवरोध की भी प्रतीति कराने लगी। कार्यालयीन हिंदी का विकास मौलिकता से अधिक अनुवाद के ही आधार पर अधिक हुआ है। यदि 'I have been directed to say that' को हिंदी में लिखा गया तो 'मुझे यह अवगत कराना है कि', 'मैं यह अवगत करना/बताना चाहता हूँ कि', 'मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि', 'इस संदर्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि', 'मुझे आपको यह सूचित करना है कि', 'मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि', अथवा 'मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि' या 'मुझे यह कहना है कि' लिखने के बजाय 'मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि' ही लिखा जाता है। निश्चित रूप में उपर्युक्त सभी मौलिक वाक्यों के बावजूद भी कार्यालय की प्रकृति अंतिम प्रकार के अनुवाद को ही स्वीकारती है या इसको स्वीकारने की उसकी प्रकृति हो गई है। अतः कार्यालयी भाषा मौलिकता के बजाय मौजूद वाक्यों के ढांचों अथवा हिज्जों के अनुरूप समानांतर हिंदी अभिव्यक्ति अर्थात् शब्दानुवाद की ही अपेक्षा करती है।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में मंत्रालयों, विभागों प्रतिष्ठानों, उपक्रमों आदि के साथ-साथ कई प्रकार के संस्थानों की कार्य-पद्धति उसकी अपनी कार्य प्रकृति तथा मैन्डेट के हिसाब से अलग-अलग है। कहीं 'क', 'ख' अथवा 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से दूसरे क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी कार्यालयों के साथ आपसी विचार-विनिमय अथवा पत्र-व्यवहार हिंदी में करने में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं जबकि कई कार्यालय ऐसे भी हैं जो अपना कार्य की प्रकृति के आधार पर, जिनमें अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने पर, किसी भी प्रकार की कोई व्यावहारिक दिक्कतें नही होती। भाषा का अनुप्रयोग प्रकृति प्रदत्त अवयव न होकर मानवकृत अथवा मानव प्रयुक्त है.... तो निश्चित रूप से दिक्कतों का समाधान भी उसी अनुपात में अनुप्रयोग एवं व्यवहार के धरातल पर खोजे जाने संभव हैं। किसी संस्थान, प्रतिष्ठान, उपक्रम अथवा विभाग में हिंदी के सफल कार्यान्वयन के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में आपसी वैचारिक संप्रेषण के लिए पत्र-व्यवहार के माध्यम से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के संस्थान जहां प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों की नियमित व्यवस्था होती है उनमें लिखित अथवा मौखिक आधार पर हिंदी के अत्यधिक प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि कुछ अत्यंत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के अनुसंधानपरक संस्थानों में प्रशासनिक काम-काज के अतिरिक्त अनेकानेक ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र होते हैं जिनकी जानकारी राजभाषा के माध्यम से जनसाधारण अथवा समूचे देश को प्रदान करने के लिए हिंदी सेतु का कार्य कर सकती है। यद्यपि पत्र-व्यवहार किसी भी कार्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान के काम-काज अथवा हिंदी काम-काज का एक महत्वपूर्ण पहलू है किंतु महज हिंदी पत्राचार से ही उस समचे प्रतिष्ठान कार्यालय अथवा मंत्रालय का वृहद् मूल्यांकन अथवा छवि निरूपण संभव नहीं है।

*वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं संपादक 'विकल्प' भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून-248005 (भारत)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां किसी भी उन्नत राष्ट्र का मेरुदंड होती हैं । जब तक हमारे विज्ञान एवं विकसित प्रौद्योगिकी की जानकारी इसके प्रयोक्ताओं, बृहद मानव समुदाय एवं देशवासियों को नहीं होगी तो इस प्रकार का प्रयोगशालाओं तक परिसीमित ज्ञान अपना दीर्घकालिक व बहुआयामी प्रभाव छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता । अत: आवश्यक है विश्व के उन्नत देशों के समानांतर चलने के लिए हम ज्ञान-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को अपनी राजभाषा हिंदी के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर प्रबुद्धजनों के साथ-साथ देश के जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करें । वैज्ञानिक संस्थानों की गतिविधियों को चलाने के लिए जहां प्रशासन, भंडार-क्रय तथा वित्त एवं लेखा जैसे विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वहीं उनके द्वारा किए जाने वाला हिंदी का काम संस्थान की समग्र छवि का एक चौथाई अंश हो सकता है, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण है उस संस्थान, प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय की व्युत्पत्ति से जुड़े हुए अधिकाधिक विषयों को हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से अधिसंख्य मानव समुदाय तक पहुंचाना । एक वैज्ञानिक संस्थान में हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण तथा हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाओं से इतर विज्ञान के लोकप्रियकरण के साथ-साथ राजभाषा के शिक्षण एवं कार्यान्वियन को निम्न तरीकों से गति दी जा सकती है:—

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कर्मियों में हिंदी के व्यावहारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर शब्दावली कार्यशालाओं के साथ-साथ वैज्ञानिक विषयों पर विशेषज्ञ वक्ताओं के हिंदी व्याख्यान आमंत्रित किए जा सकते हैं जो विद्वान वक्ताओं के सूचनात्मक, ज्ञानवर्द्धक एवं मौलिक ज्ञान को प्रतिबिंबित करते हों । इस प्रकार के व्याख्यान न केवल श्रवण एवं विषय विशेष के संदर्भ में अभिरुचि उत्पन्न करते हों अपितु श्रोताओं को अन्यान्य वैज्ञानिक विषयों को जनसामान्य तक संप्रेषित करने तथा हिंदी में मौलिक लेखन करने की भी प्रेरणा देते हों । इस प्रकार की विशिष्ट कार्यशालाओं के लिए उन लब्धप्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का चयन किया जा सकता है जिन्होंने उपलब्धिपरक जीवन के साथ-साथ हिंदी विज्ञान लेखन को भी व्यापक रूप से समृद्ध किया हो । इस प्रकार के प्रबुद्ध व्याख्याताओं के उद्बोधन से निश्चित रूप से विज्ञान की वे उपेक्षित विधाएं व विषय भी प्रकाश में आ सकते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होने पर भी हिंदी अथवा भारतीय भाषा में न उपलब्ध होने के कारण अभी तक अचर्चित रह गए थे ।

आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् का एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है । इसमें वैज्ञानिक विषयों को बुद्धिजीवियों तथा जनसामान्य तक संचारित-संप्रेषित करने के उद्देश्य से आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों के आयोजन की श्रृंखला प्रारंभ की गई है जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक न केवल उत्साह से भाग लेते हैं अपितु जटिलतम समझे जाने वाले वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में आलेख लिख कर अपनी प्रभावी प्रस्तुति भी देते हैं । अभी तक की आयोजित 21 संगोष्ठियों के एक सौ से अधिक आलेखों के प्रमुख विषय क्रमश: इस प्रकार है:—

'नई सहस्राब्दि में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत'; '21वीं सदी में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत'; 'जैव-प्रौद्योगिकी द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास'; 'ग्रामीण विकास में जैव ऊर्जा का योगदान'; 'डीजल गुणता और उत्सर्जन मानक'; 'डीजल वाहनों के निर्वात उत्सर्जन के पूर्वानुमान हेतु सह-संबंध'; 'भारतीय परिष्करण उद्योग में ईंधन गुणता का प्रबंधन'; 'ईंधन गुणता तथा उत्सर्जन मानक के क्षेत्र में उत्प्रेरकीय पुन:संभावन का महत्वपूर्ण योगदान'; 'ईंधन गुणता व उत्सर्जन मानक—एक वैश्लेषिक चुनौती'; 'मोम युक्त भारतीय खनिज तेल का निम्न ताप पर पाइपलाइन द्वारा प्रवाह: समस्याएं एवं समाधान'; 'गैसीकरण प्रक्रम का परिष्करणी में समावेश: एक लाभकारी विकल्प'; 'परिष्करणी प्रभागों में हाइड्रोजन सल्फाइड के अपनयन हेतु भापेसं-केआरएल की तकनीक'; 'विएरोमैटीकरण आधारित विमानन तेल/मिट्टी के तेल की परिष्करण प्रौद्योगिकी'; 'चक्रीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन अवयवों (नैफ्थीन) के हाईड्रोकार्बन मिश्रण से पृथक्करण की विधियां'; 'परिषद् की 10वीं पंचवर्षीय योजना तथा उसमें भापेसं की भूमिका'; 'मोटर वाहनों के लिए नवीन स्नेहकों का प्रसारण'; 'पुस्तकालय में प्रलेखन की आवश्यकता'; 'पेट्रोलियम एवं उत्पाद'; 'तरल उत्प्रेरकीय भंजन प्रक्रम एवं उत्प्रेरक'; 'प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रक्रम इष्टतमीकरण हेतु अनुकार प्रतिरूपण'; 'पेट्रोलियम उद्योग में जैव-प्रौद्योगिकी का परिदृश्य'; 'पेट्रोलियम प्रक्रम में नाभिकीय

चुम्बकीय अनुनाद का उपयोग'; पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रममिति का पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में उपयोग'; 'प्रयोगशाला एवं रासायनिक उद्योगों के मध्य सेतु के रूप में मूल अभियांत्रिकी पैकेज'; 'परियोजना मॉनिटरन तथा मूल्यांकन समूह का कार्य निष्पादन'; 'तापीय परिवर्तन प्रक्रिया का महत्व एवं भापेसं में अध्ययन'; 'देशज मधुरण उत्प्रेरक का विकास'; 'औद्योगिक एवं घरेलू दहन उपकरणों में प्रौद्योगिकीय विकास'; 'भारतीय परिष्करणियों में परिष्कृत खनिज तेलों का तुलनात्मक अध्ययन'; 'जैव-डीजल: भविष्य हेतु एक स्वच्छ तथा दीर्घजीवी ईंधन'; 'धातु सह तरल उत्प्रेरकीय भंजन उत्प्रेरक का विकास'; 'तरल उत्प्रेरकीय भंजन से प्राप्त नैफ्था के विगंधकीकरण हेतु नये प्रक्रम व अधिशोषण प्रौद्योगिकी का विकास'; 'भारतीय कच्चे तेलों को तुलनात्मक अध्ययन'; 'हलुक नैफ्था का समावयवीकरण और उत्प्रेरक का विकास'; 'पर्यावरण: समस्याएं एवं समाधान'; 'पेट्रोल एवं डीजल में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न योज्यों की कार्यविधि एवं इनके प्रभाव का विश्लेषण'; 'अपशिष्ट प्लास्टिक का निपटान: समस्याएं एवं समाधान'; '21वीं सदी में उभरते हुए ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस'; 'शीतलन जन संयंत्रों में संक्षारण नियंत्रण'; 'ग्रामीण परिवेश हेतु ईंधन दक्ष अनुप्रयुक्तियों का विकास (भापेसं की भूमिका)'; 'कार्डनॉल पर आधारित घर्षण एवं जीर्णन अवनमनकारी'; 'ऑक्सीकारक के रूप में आण्विक ऑक्सीजन/एलिडहाइड का प्रयोग कर रहे डीजल का ऑक्सीकारी विंगधकन'; 'पेट्रोलियम परिष्करणी अवशिष्ट तथा अपशिष्ट प्रबंधन एक समीक्षा'; तेल का विकल्प मीथेन एवं जैव डीजल'; 'मध्य आसुत ईंधन घटकों तथा मॉडल घटकों के स्नेहकता अभिलक्षण'; 'पर्यावरण अध्ययन में यांत्रिक विश्लेषण तकनीकों का प्रयोग'; 'प्रेशर स्विंग अधि शोषण प्रक्रिया द्वारा हिलीयम गैस का निष्कर्षण तथा परिष्करण'; 'ईंधन की गुणवत्ता: कल, आज और कल'; 'स्नेहक तेल की भौतिक रसायन गुणवत्ता'; 'ऐरोपार-हल्के नैफ्था से ऐरोमैटिक/उच्च ऑकटेन गैसोलीन के रूपांतरण हेतु प्रक्रम'; 'ऑक्सीकरण विधि द्वारा डीजल का विगंध कीकरण'; 'धातु-कार्बनिक मानक के रूप में हाइड्रोकार्बन-विलेय'; 'तापीय भंजन का अभिक्रिया-अणुगतिकी प्रतिरूपण-उपलब्ध अध्ययनों का विश्लेषण'; 'बिटुमिन की उपयोगिता; जैव-प्रौद्योगिकी में चरमरागी जीवाणुओं का उपयोग'; 'जैव डीजल: वैकल्पिक प्राकृतिक ईंधन'; 'तरल उत्प्रेरकीय भंजन प्रौद्योगिकी में योज्य की भूमिका'; 'ऑटोमोटिव तथा विनिर्माण यंत्रावली हेतु पर्यावरण स्नेही गुरु कार्य स्नेहक मांग'; 'अति क्रांतिक तरल वर्णलेखिकी का प्रयोग कर डीजल ईंधन तथा इसकी विभिन्न मिश्रित धाराओं में बहु-ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों का निर्धारण'; 'खनिज तेल एवं उनका मूल्यांकन'; 'विलायक आधारित द्रव-द्रव निष्कर्षण'; 'तरल अवस्था में हाइड्रोकार्बन ऑक्सीकरण का महत्व'; 'मानव निर्मित जलाशय और पर्यावरण'; 'श्यानता भंजन–कच्चे खनिज तेल के अवशेषों को परिवर्तित करने की एक साधारण तथा उपयोगी तकनीक'; 'उत्प्रेरण का पेट्रोलियम परिष्करण एवं ऊर्जा उत्पादन में महत्व'; 'सल्फर डाइऑक्साइड निकालने के लिए अवशोषण आधारित नए उपगम मार्ग (सीओआर 008/3)'; 'मानव क्लोनिंग'; 'पराबैंगनी दृश्य स्पैक्ट्रममिति द्वारा डीजल तेल में मोनो-डाइ तथा पॉली ऐरोमैटिक्स की प्रतिशतता का आकलन'; 'विलायक निष्कर्षण विधि द्वारा विमानन तेल'; 'हरित रसायन'; 'पेट्रोल व डीजल में मौजूद तत्व एवं उनसे होने वाला प्रदूषण'; 'जैव मात्रा'; 'पॉलिमरयुक्त बिटुमिन प्रौद्योगिकी'; 'औद्योगिक विकास में जैव-प्रौद्योगिकी का योगदान'; 'वैनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन परॉक्साइड द्वारा बैन्जीन के एक पदीय हाइड्रोक्सीकरण विधि द्वारा फिनॉल का निर्माण'; 'पवन चक्की में स्नहेक की चुनौतियां'; 'रसायन विज्ञान में मापिकी (एम.आई.सी. MiC): सामयिक प्रसंग एवं संक्षिप्त परिचय'; 'डाइमिथाइल ईथर: स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन'; 'गैसोलीन का अपमिश्रण'; 'एफ.सी.सी. गैसोलीन का मान श्रेण्योन्नयन'; 'पादप जैव-प्रौद्योगिकी'; 'पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग में उत्प्रेरक'; 'गैसोलीन की रचना एवं उसको बनाने की विधियां'; 'गैस वर्णलेखिकी का पेट्रोलियम के क्षेत्र में महत्व'; 'औषधीय विकास में जैव-प्रौद्योगिकी'; 'विलंबित विविक्त पदार्थ (SPM)'; 'अनुपयोगी पेट (पीईटी) का उपयोग: एक समीक्षात्मक अध्ययन'; 'हाइड्रोजन एवं प्राकृतिक गैस का मिश्रण-हाइथेन: वाहन प्रयोग के लिए उपयोगी गुण'; 'ग्रीन हाउस प्रभाव: कारण और निवारण'; 'विलायक विएसफाल्टन प्रक्रम में विलायक की अति क्रांतिक अवस्था में पुन:प्राप्ति'; 'डाइ-इथाइल ईथर: परिवहन ईंधन के रूप में संभावनाएं'; 'रिफॉर्मेट फीडस्टॉक से विशुद्ध ऐरोमैटिक अवयवों का निष्कर्षण; जैव-परिष्करणी'; 'वैश्विक ताप तथा जैव-विविधता की प्रतिपालितता'; 'सड़कों के निर्माण में बिटुमिन की उपयोगिता'; 'एनटीजीजी प्रक्रम विकास'; 'देशज (देशी) एलपीजी मधुरण उत्प्रेरक का विकास' 'निम्न गंधक पेट्रो-ईंधनों हेतु स्नेहकता को बढ़ाने वाले योज्य'; 'द्रव्य प्रवाहिकी:

एक समीक्षात्मक परिचर्चा'; 'जैव तेल: तेजी से उभरता हुआ ऊर्जा स्रोत'; 'निष्कर्षण के क्षेत्र में आयनिक द्रवों का प्रयोग'; 'ब्यूटेनॉल-गैसोलीन और इथेनॉल-गैसोलीन सम्मिश्र: परिवहन ईंधन के रूप में तुलनात्मक अध्ययन'; 'जलवायु परिवर्तन: अधिशोषण द्वारा CO_2 का नियंत्रण'; 'जेट्रोफा करकस-अवशिष्ट तेल का स्नेहक ग्रीज़ के सूत्रण में उपयोग'; 'विश्वभर में यात्री वाहन ईंधन किफायत तथा जीएचजी उत्सर्जन मानकों की तुलना'; 'निष्कर्षण तकनीक द्वारा नेफ्था से विशुद्ध ऐरोमैटिक (बीटीएक्स) का उत्पाद'; 'भारत में आर्सेनिक विषाक्तन: स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनीपूर्ण चुनौती' तथा 'पर्यावरण संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का योगदान'।

इसके अतिरिक्त संस्थान ने समय-समय पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में हिंदी अनुप्रयोग, वैज्ञानिक क्षेत्रों में शब्दावली के प्रयोग आदि विषयों पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से देश के लब्धप्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, विदवानों, लेखकों, पत्रकारों ने भी सहभागिता की, साथ ही संस्थान के अनेक वैज्ञानिकों ने भी इस अवसर पर अपने-अपने विषयों के आलेख हिंदी में प्रस्तुत किए। संस्थान द्वारा वर्ष 1998 में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी में पढ़े गए आलेखों का पुस्तकाकार प्रकाशन भी किया गया जो परोक्षत: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुई। प्रत्येक तिमाही में आयोजित संगोष्ठियों के आलेखों को पुस्तकाकार संकलित कर संबंधि तों आदि को परिचालित किया जाता है। संस्थान इस विषय पर भी विचार कर रहा है कि भविष्य में इन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आलेखों को धारावाहिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाए।

समय-समय पर वैज्ञानिक लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन

वैज्ञानिकों ने अपने से संबंधित वैज्ञानिक क्षेत्रों तथा जनोपयोगी विज्ञान के विषयों पर समय-समय पर राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में स्तरीय लेख लिख कर न केवल प्रतिभागिता की अपितु समय-समय पर स्तरीयता सिद्ध करते हुए पुरस्कार आदि भी प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के राजभाषा अनुभाग द्वारा समय-समय पर वैज्ञानिकों की आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन कर जहां स्तरीय लेखकों को पुरस्कृत करने की परंपरा विकसित की गई वहीं सामान्य एवं महत्वपूर्ण विषयों पर हिंदी में विज्ञान लेखन करने हेतु युवा वैज्ञानिकों को भी उत्प्रेरित किया जाता है।

वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

विज्ञान को अधिकाधिक प्रबुद्ध व चिंतनशील पाठकों तक पहुंचाने तथा विज्ञान के अनेकानेक क्षेत्रों में लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1991 से राजभाषा अनुभाग द्वारा 'विकल्प' नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया जिसमें सामान्य आलेखों के साथ-साथ निरंतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखों को प्रकाशित किया जाता है। समसामयिक तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संस्थान के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों तथा देश-विदेश के लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों के सहयोग से अनेक महत्वपूर्ण विशेषांक भी प्रकाशित किए गए। अभी तक 'विकल्प' के सामान्य अंकों से इतर 'राजभाषा', 'अनुवाद', 'स्वर्ण जयंती', 'हिंदी विज्ञान पत्रकारिता', 'पुराण-विज्ञान', 'सूचना-प्रौद्योगिकी', 'पेट्रोलियम-पर्यावरण', 'प्रयोजनमूलक हिंदी', 'जैव-प्रौद्योगिकी तथा 'जनसंचार' आदि विषयों पर भी विशेषांक प्रकाशित किए गए है जिनका विद्वत समाज में स्वागत हुआ है। अव्यावसायिक पत्रिका 'विकल्प' को देश-विदेश के नामसचीन विद्वानों की रचनाओं को प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। इन विशेषांकों में लगभग 250 से अधिक विद्वानों, विशेषज्ञों के शोधपरक, सारगर्भित एवं सूचनात्मक लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। हाल ही में 'विकल्प' के 'विश्व में हिंदी' तथा 'वैश्विक तापन' विशेषांक प्रकाशन की प्रक्रिया में है। निश्चित रूप से किसी संस्थान, प्रतिष्ठान, मंत्रालय अथवा कार्यालय के संचित बृहद ज्ञान को देश-विदेश तक पहुंचाने में हिंदी पत्रिकाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अत: हिंदी को व्यापक पैमाने पर अनुप्रयोग की भाषा बनाने के लिए सभी कार्यालयों को अपनी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन अवश्य करना चाहिए किंतु उनमें महज कविता, कहानी, चुटकले आदि हल्की विषयवस्तु का समावेश न कर कुछ श्रमसाध्य, ऐतिहासिक एवं शोधोपयोगी ज्ञान-विज्ञान की सामग्री का संकलन कर

अंक को ऐतिहासिक दस्तावेज का रूप दिया जा सकता है। समग्रत: अनेकानेक प्रतिष्ठानों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं के माध्यम से संप्रेषित ज्ञान निश्चित रूप से इस राष्ट्र की समृद्धि का पर्याय बन कर ज्ञान कोश का कार्य कर सकता है।

दृश्य एवं मुद्रित माध्यमों से वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रचार-प्रसार

प्राय: प्रयोगशालाओं के भीतर अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां सन्निहित रहती हैं किंतु उन महत्वपूर्ण खोजों, अनुसंधानों एवं शोध कार्यों से संबंधित कार्यालयों से भौतिक सन्निकटता के बावजूद भी जुड़ा हुआ व्यक्ति, ग्राम, समाज, प्रदेश अथवा राष्ट्र पूर्णत: उनकी संपूर्ण उपलब्धियों से अनभिज्ञ रहता है। अत: आवश्यक है कि समय-समय पर संस्थान प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय में आयोजित वैज्ञानिक संगोष्ठियों, क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का सीधा-सीधा प्रचार-प्रसार मुद्रित अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से किया जाए ताकि जहां गृहीता समाज उसको देख, सुन अथवा पढ़ कर अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करे, वहीं उन उपेक्षित विषयों पर कुछ नया व श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए भी उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो। प्रेस-विज्ञप्तियों, प्रेस-वार्ताओं तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि माध्यमों पर समय-समय पर हिंदी में प्रसारित वार्ताओं, परिचर्चाओं एवं जानकारियों के माध्यम से भी विज्ञान के प्रति समाज का ध्यान आकर्षण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने महत्वपूर्ण अनुसंधानों, प्रौद्योगिकियों की जानकारी जनसामान्य को पुस्तिकाओं, पत्रकों आदि के माध्यम से भी परिचालित कर दी जा सकती है।

विभागीय शब्दावली का प्रकाशन

संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मियों में आपसी विचार-विनिमय हिंदी के माध्यम से संपन्न करने के उद्देश्य से राजभाषा अनुभाग द्वारा **'पेट्रो-प्रशासनिक शब्दावली'** का प्रकाशन किया गया जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित उन चयनित शब्दों का संकलन किया गया जो प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों मे प्राय: प्रयुक्त होते हैं। इसके साथ-साथ प्रत्येक तिमाही में संपन्न होने वाली आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी शब्दावली के अनुप्रयोग पर बल दिया जाता है तथा प्रस्तुतियों के दौरान हिंदी शब्द के अंग्रेजी अनुवाद तथा अंग्रेजी शब्द के हिंदी अनुवाद को व्यावहारिक रूप देकर चर्चा की जाती है। प्रयोग व व्यवहार से ही शब्द, शब्दावली व भाषा सहज-संप्रेषण के एक 'टूल' के रूप में ग्राहय होती चली जाती है। वस्तुत: विशिष्ट प्रकार के कार्य करने वाले कार्यालयों को व्यापक रूप से अपने शब्द संग्रहों का संकलन करना चाहिए तथा आयोग के प्रमाणीकरण के उपरांत शब्दावली की मानकता को ध्यान में रखते हुए इनका प्रकाशन करना चाहिए जिससे शब्दों की व्यावहारिक उपादेयता के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकार्थता व एकरूपता भी सुनिश्चित हो सके। हमारे पास recruitment, appointment, employment, contract, engagement जैसै प्रशासनिक शब्द हों या फिर refining, rectification, modification, purification, reservoir, deposit, extraction, reforming, amendment जैसे पारिभाषिक व अर्ध पारिभाषिक शब्द.....सबकी अर्थछटा व अर्थवत्ता स्वतंत्र रूप से अलग-अलग है--न कि सबकी एक समान। यदि एक समान है तो फिर एक ही शब्द के लिए इतने शब्दों की आवश्यकता क्यों कर हैं? इस पर भी गंभीरता से विचार व मनन होना चाहिए। इस बात पर भी मूल रूप में विचार किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की सामग्री केवल हिंदी में ही क्लिष्ट दुरूह व अबोध गम्य क्यों हो जाती है ? चिकित्सक द्वारा लिखे गए अपठनीय नुस्खे से लेकर दवाइयों के अत्यंत जटिल व अनुच्चार्य नामों आदि में हमें कहीं भी क्लिष्टता का बोध नहीं होता...क्योंकि उसमें परोक्षत: हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है। भाषा व शब्दावली न कभी क्लिष्ट हुआ करती है और न सरल ही, महज परिचित व अपरिचित होती है जो दूसरे शब्दों में सरल अथवा कठिन मान ली जाती है। अंग्रेजी के जटिलतम शब्दों को भी हम कभी जटिल नहीं कहते। यह क्लिष्टता की अभिव्यक्ति केवल हिंदी के ही साथ क्यों ? इस पर मौलिकता में डूबकर चिंतन की आवश्यकता है।

बहरहाल, 'राजभाषा भारती' का यह प्रयास निश्चित रूप से श्लाघ्य है जो परोक्षत: कार्यालयों में हिंदी शिक्षण व व्यावहारिक कार्यान्वयन को सुदृढ़ कर मौलिक विज्ञान लेखन व हिंदी काम-काज में कर्मचारियों के लिए प्रेरक ग्रंथ की सी सामग्री का पर्याय बनेगा। इसके लिए विभाग साधुवाद का पात्र है। ■

3165—7 (70—75)

प्रबंधकीय दक्षता में हिंदी की भूमिका

–राज बहादुर गुप्ता*

भूमिका

प्रबंधन का वर्तमान स्वरूप वर्तमान समय में अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत हो गया है । प्रबंधन अपने व्यापक अर्थों में महज कल कारखानों के प्रबंधन अथवा उनके प्रचालन, रखरखाव तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब यह मानव,जीवन के सभी क्षेत्र ही नहीं अपितु इस संसार के सभी जीव एवं निर्जीव क्षेत्र के सभी प्रकार के प्रबंधन से है । जैसे औद्योगिक क्षेत्र, पर्यावरण प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय क्षेत्रों का सफल प्रबंधन आदि । इन सबके प्रबंधन तथा सफल प्रबंधन के लिए प्रबंधकों का आचरण, आदर्श तथा संप्रेषण करने की दक्षता पर निर्भर करता है । इसके लिए यह अति आवश्यक है कि प्रबंधकगण ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो उनमें चारित्रिक स्वच्छता व दृढ़ता कर्त्तव्यनिष्ठापूर्ण सेवाएँ, व्यावसायिक कार्य को एक राष्ट्रसेवा के रूप में, वेतन के हिसाब से कहीं अधिक योगदान, समय निष्ठा, सहायक यंत्रों के प्रयोग ज्ञान, सफल प्रबंधन प्रणाली का ज्ञान व उसमें सहयोग, तत्काल व सही निर्णय लेने की क्षमता तथा उत्पादकता व लाभप्रदता बढ़ाने हेतु योगदान और बाजार की नब्ज टटोलने की क्षमता का बोध करा सके, तथा एक ऐसी भाषा जिसका प्रबंधन शास्त्र साहित्य मानव आदर्शों पर आधारित हो। इन सब के लिए हिंदी में अनुभूति अभिव्यक्तिकरण की विलक्षण क्षमता है। इसी कारण प्रबंधन को दक्षता प्रदान करने में सभी प्रकार की समर्थ भूमिका का निर्वाह कर सकती है । हिंदी में उपलब्ध प्रबंधन शास्त्र से संबंधित साहित्य अति पुराना तथा सभी प्रमाणों पर खरा पाया गया है। इसी प्रकार आजकल पश्चिम देश तथा प्रबंधन पण्डित हिंदी में उपलब्ध भारतीय प्रबंधन साहित्य को समझ कर अपना रहे हैं ।

प्रबंधकीय दक्षता में भाषा की भूमिका

भाषा, विराट ब्रह्म की दिव्य-ज्योतिर्मय अलौकिक शक्ति है, जिससे समुद्र पर्यन्त सारा संसार आलोकित होता है और उसकी ज्ञान-रश्मियों से विश्व की मानवता अपने अज्ञानान्धकार को दूर कर प्रकाशित होती है तथा दैनंदिन के समस्त कार्यकलापों का संचालन करती है। इसके अभाव में सारा भूमण्डल, अज्ञान तिमिर से तिरोहित हो जाता है ।

प्रबंधकीय दक्षता में एक अति विकसित सशक्त भाषा का होना अति आवश्यक है । एक ऐसी भाषा जो अपनी संप्रेषणशील क्षमता से मनुष्य को मनुष्य से, समाज को समाज से, धर्म को धर्म से, संप्रदाय को संप्रदाय से, व्यवसाय को व्यवसाय से, जाति को जाति से, संस्कृति को संस्कृति से, क्षेत्र को क्षेत्र से और राष्ट्र को राष्ट्र से जोड़कर वसुधैव कुटुम्बकम् तथा विश्व बन्धुत्व की उदात्त भावना से विश्व की मानवता को न केवल अनुप्राणित कर सके अपितु उसकी धमनियों में नित नए रक्त का संचार कर उसमें आत्मज्ञान का नवोन्येष भी कर सके। इस प्रकार भाषा न केवल बहुमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यवहृत होती है, अपितु प्रबंधकीय दक्षता से त्वरण लाने के लिए सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान, शिक्षण-प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान और शिक्षण सामग्री के निर्माण का भी अद्‌वितीय साधन होता है ।

भारतीय प्रबंधन प्रणाली

जब प्रबंधन में हिंदी की भूमिका अथवा योग दान की बात आई है तो इसके लिए जरूरी है कि हम भारतीय प्रबंधन प्रणालियों पर एक नजर डालें। भारत एक परम्परागत समाज है जिसकी संस्कृति समृद्‌ध और जीवन्त है । भारत की देशी सभ्यता पर पिछले तीन हजार वर्षों से लगातार

*सहायक महा-प्रबंधक, पी.पी.एण्ड सी., सेल, रा.इ.सं., राउरकेला-769011

विभिन्न विदेशी संसृतियों और व्यवहारों का प्रभाव पड़ता रहा है । इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और प्रबंधन प्रक्रियाओं का निरंतर रूपान्तरण, संश्लेषण और पुनरूद्धार हुआ है। इस पुनरूद्धार में हिंदी भाषा में अपने अर्थ प्रबंध कीय साहित्य के माध्यम से एक सरावन भूमिका अदा की है। "रामायण", "श्रीमद्भागवत गीता" "महाभारत", जैसे ग्रन्थों से बढ़ कर प्रबंधकीय दक्षता के लिए और कोई शाथ दुनियाँ भर में नहीं है। इन सभी के बदौलत भारतीय प्रबंध न व्यवस्था ने अपनी आवश्यक भारतीयता को बनाए रखा है। भारतीय प्रबंधन प्रणाली में जो भी विकास हुआ है वह हिंदी की बदौलत बहुत कुछ हद तक है। भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत में समय-समय पर प्रचलित रहे प्रबंधन के विभिन्न तरीकों में हम सदा विचारों या मूल्यों का बैजोड़ प्रवाह पाते हैं।

प्रबंधकीय दक्षता की उन्नति में हिंदी में योगदान की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम होगी। क्योंकि हिंदी ही विश्व की एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके प्रत्येक ग्रंथ अपने-आप में एक प्रबंधन विज्ञान है, जिस-जिस संगठन ने इसको अंगीकार किया वह संगठन, कंपनी, समाज, पार्टी आदि हमेशा उन्नति तथा उत्थान की ओर अग्रसर होते गए हैं, उदाहरण के लिए टाटा स्टील कंपनी, अभी तक कभी भी हानि में नहीं चली, भिलाई इस्पात संयंत्र आदि। हिंदी में उपलब्ध प्रबंधन विज्ञान-एक अति विस्तृत शास्त्र है तथा इनमें संपूर्ण प्रबंधन ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जीवन पद्धति का निर्वाह का आदर्श है। यह भारतीय प्रबंधन पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं:--

1. वैदिक पद्धति पर आधारित प्रबंधन ।
2. भगवान कृष्ण की प्रबंधन प्रणाली ।
3. कर्म का सिद्धांत ।
4. राम का प्रबंधन ।
5. रावण की आत्मकेंद्रित प्रबंधन प्रणाली ।
6. कुबेर की प्रबंधन प्रणाली ।
7. भगवान शंकर की प्रबंधन प्रणाली ।
8. भगीरथ का प्रबंधन का यज्ञीय आदर्श ।
9. मनु-चाणक्य का नियामक प्रबंधन ।

प्रबंधन की वैदिक प्रणाली

वेदों का अर्थ है ज्ञान । वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध खजाना है । चारों वेद अर्थात्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, में मानवता के ज्ञान का सागर भरा हुआ है । प्रबंधन की दृष्टि से वेदों ने "कृतज्ञता के आत्मसात" को सफलता के लिए आवश्यक गुणों में से एक माना गया है । वेदों में यह सुझाव दिया है कि व्यक्ति को अपने अंहकार का दमन करना चाहिए और प्रशासन या प्रबंधन सहित जीवन के सभी मार्गों के सफल व्यक्ति बनने के लिए गायत्री मंत्र द्वारा ध्यान लगाना चाहिए । पर्यावरण प्रदूषण का हल करने के लिए यज्ञ का विधान बतलाया है । वेदों और अन्य हिंदी प्राचीन लेखों में किसी से प्रश्न किए बिना शब्दों को स्वीकार करने की आशा नहीं की गई है। वेद प्रबंधन की विद्यमान प्रणाली के लिए सूचक उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रक्रिया में राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक प्रत्येक के कर्त्तव्य या सम्भावित भूमिका या व्यवहार को हिंदी भाषा में जिस प्रकार से दर्शाया गया है । आज एक अनूठा प्रबंधकीय उदाहरण बन गया है। संगठनों की अनुशासन या आचारण कूट के बिना स्वयं को स्थापित नहीं कर सकता, इस वेद वाक्यों की देने प्रबंधकीय तंत्र की दक्षता के लिए सिर्फ हिंदी के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है ।

भगवान कृष्ण की प्रबंधन प्रणाली

श्रीमद्भगवद् गीता अपने आप में एक आधुनिक संपूर्ण प्रबंधन शास्त्र है जो जीवन की सभी स्थितियों में चरित्र के लिए अमोघ मार्गदर्शक है। इसमें अपने मालिक या प्रबंधक के प्रतिपूर्ण निष्ठा रखने की सलाह दी है ।

कर्म का सिद्धांत

कर्म (कार्य) का सिद्धांत भगवद्गीता के केंद्र स्थान में है । यह सिद्धांत भारतीय लेकाचार का एक अनिवार्य अंग है । आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वे जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हो सकते हैं वह उनके अपने प्रयास का फल है भी और होगा भी ।

उद्योग या सक्रिय कार्य मानवता का चिह्न है । व्यक्ति को फल की इच्छा किए बगैर लगातार कार्य करना चाहिए

(मा फलेषु कदाचन .....) भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रिया या कार्य के फल से दूर रहना सबसे अच्छा चिन्तन है। यही हिंदी के सफल प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा योगदान सम्पूर्ण विश्व को है।

प्रबंधकीय दक्षता का अनुपम उदाहरण, महाभारत (श्रीमद भगवद्गीता) से पुनः एक बार उद्धृत किया जा सकता है। किस प्रकार श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दौरान केवल अर्जुन के रथ को ही चला रहे थे। फिर भी ध र्म के प्रति अपनी सुध-बुध, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के परिणामस्वरूप वे कौरवों की बहुत बड़ी सेना के विरुद्ध पांडवों के लिए विजय प्राप्त कर सके। इस प्रकार एक प्रबंध क वह होता है, जो अपने पास किसी भी प्रकार के संसाध न न होते हुए भी सर्वोत्तम परिणाम दे सकता है। यदि एक प्रबंधक बहुत से संसाधन होने पर सफलता प्राप्त करता है, तो भी वह उस प्रबंधक से, जिसके पास संसाधन नहीं है, कम सक्षम होता है।

महाभारत में मृत्यु शय्या पर पड़े भीष्म युधिष्ठिर को एक साम्राज्य के अच्छे प्रशासन या प्रबंधन के सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार एक प्रबंधक या राजा को अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना चाहिए और कार्य को भगवान से भी अधिक महत्व देना चाहिए । यदि आरम्भ में वह किसी कार्य में विफल हो जाता है तो भी उसे अपनी नैतिकता नहीं खोनी चाहिए और बिना रूके उस कार्य को जारी रखना चाहिए । एक प्रबंधक या राजा को एक गर्भवती स्त्री की तरह होना चाहिए । गर्भवती स्त्री अपने पेट में पल रहे बच्चे की भलाई के लिए अच्छे (राजसी) योजन का त्याग कर देती है। इसी प्रकार प्रबंधन को अपने हितों का ध्यान रखने की बजाए अपनी प्रजा या लोगों के बहुमत के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए ।

प्रबंधक को निठल्ला नहीं बैठ जाना चाहिए । उसे सदैव कार्य करते रहना चाहिए । उसे अपने अधीनस्थों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसे यमराज की तरह न्याय करना चाहिए और कुबेर की तरह धन का संचय करना चाहिए। उसे सदैव मुस्कारते रहना चाहिए और बूढ़े तथा अक्षम लोगों की सेवा करनी चाहिए। उसे वेतन भत्तों के सही समय पर भुगतान का प्रबंध करना चाहिए । उसे कार्यकुशल व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधक, भद्रपुरूषों से घुल-मिल जानेवाला होना चाहिए। उसे बुद्धिमान लोगों को अपने अधीनस्थों के रूप में स्थान देना चाहिए। उसे अपने विषयों या कार्यबल का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने संगठन की नीति का पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा धूर्त व्यक्तियों को अपने संगठन या अपने साम्राज्य से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जीवन और शिक्षाएँ प्रबंधकीय दक्षता और प्रबंध संगठनों के लिए एक भरा पूरा खजाना है। एक अनूठा उदाहरण, कृष्ण ने बचपन और किशोरावस्था की प्रेमिका राधा से शादी नहीं की थी, क्योंकि एक नेता/प्रबंधक के रूप में उन्होंने अपने समाज के प्रति बहुत से कर्त्तव्यों का निर्वाह करना था उपरोक्त को यथार्थ में हिंदी के माध्यम से प्रबंधकीय प्रकरणों में उतारा जा रहा है। यही हिंदी की अहम् भूमिका रही है और आगे भी रहेगी ।

ज्ञान का प्रबंधन

भारतीय प्रबंधन, या भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब कभी प्रबंधन/प्रबंधकीय दक्षता की बात होती है तो यह बिना हिंदी के श्री राम एवं श्री कृष्ण, भोले शंकर कुबेर की प्रबंधन प्रणाली, मनु चाणक्य के नियामक प्रबंधन, के आदर्शों से अछूती नहीं रह सकती है।

भगवान राम अपने कार्यकुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, वही भगवान कृष्ण अपने प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं और यही दोनों प्रबंधकीय दक्षता को हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। रामजी ने सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है । चूँकि महान नेता कठिनाइयों में और अधिक मजबूत बने राम ने वानरों और अन्यों की सेना गठित की, के द्वारा उस समय के विश्व की अत्यधिक शक्तिशाली सेना को हराया। राम ने सभी क्षेत्रों में अपनी मर्यादायें स्थापित कीं। वह एक आदर्श बच्चा, एक आदर्श पिता, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा/प्रबंधक आदि स्थापित हुए । उन्हें आप भी संयम, शान्ति और खुशहाली के अभिशंसक के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त श्री राम ने आप के प्रबंधन तथ्यों की उसी समय व्याख्या कर दी थी जैसे पराक्रम, धैर्य सच्चाई, नेक आचरण, विवेक, स्वनियंत्रण क्षमा, दयालुता, मन की एकाग्रता, संतोष ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो श्री राम द्वारा

स्वंय को एक विभिन्न हितों वाले समूहों से बनाई गयी अंसगठित सेना को भी बिना मजदूरी के संचालित करने के लिए अपनाए गए थे क्योंकि सभी के दिमाग में एक ही लक्ष्य अर्थात धर्म अर्थात धर्मपरायणता की विजय किसी संगठन या समाज में । मैं धर्मपरायणता के साम्राज्य की प्राप्ति के लिए किसी बलिदान का कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार श्री राम ने संगठन के हितों को अपने व्यक्तिगत लाभों, इच्छाओं या प्यार से सदैव ऊपर रखा। उदाहरणार्थ उन्होंने एक धोबी द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर अपनी प्रिय पत्नी सीता को घर से निकाल दिया क्योंकि वे यह मानते थे कि राजा या प्रबंधक का निजी जीवन संदेह या सार्वजनिक आलोचना के दायरे से परे होना चाहिए । उनके अनुयामी या अधीनस्थ उनका अनुकरण करते हैं । (महाजनो सेन गतः सः पन्था) हिंदी में ही रामचरितमानस में स्वामी और सेवक या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की गई है । राम कहते हैं वह जो मेरी आज्ञा मानता है मेरा प्रिय सेवक है । यदि मैं नियमों या मानदण्डों के विरुद्ध कुछ कहता हूँ तो उसे बिना किसी भय के मुझे ऐसा करने से रोकना चाहिए। जब तक किसी संगठन में या संसार में स्वामी और सेवक के बीच सही ढंग से संबंध स्थापित नहीं होते, तब तक कोई प्रगति सम्भव नहीं है ।

इस प्रकार महान हिंदी महाकाव्य रामचरित मानस जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए प्रबंधन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यह हिंदी की प्रबंधकीय दक्षता का महान योगदान है ।

उपसंहार

प्रबंधकीय दक्षता में हिंदी ने रामचरित मानस में निहित ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । आधुनिक प्रबंधन केवल रामचरितमानस में निहित ज्ञान को हृदयंगम कर लें और राम को अपना आदर्श मानकर उसके अनुरूप अपनी प्रबंधन प्रक्रिया को चलाने का प्रयास करें तो उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । और इतने ही से उनका जीवन सार्थक हो जायेगा। रामचरित मानस पर आधारित प्रबंधन सारी मानवता का पथ प्रदर्शन करता रहेगा और एक ऐसे विश्व की संरचना से उपादेय होगा जिसमें कोई शोषण करने वाला नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होगा। कोई बेईमान तथा घूसखोर नहीं होगा । न रोग होगा न शोक होगा, न दरिद्रता होगी और जिसमें मनुष्य सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन यापन कर सकेगा, बीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े महापुरूष गाँधीजी ने इसी रामराज्य की परिकल्पना की थी । ■

यूनीकोड—विश्वस्तरीय मानक

–डॉ. दलसिंगार यादव*

निदेशक

राजभाषा विकास परिषद्*

कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं में या हिंदी में काम करने की समस्या स्थान से नहीं जुड़ी है । यह समस्या कंप्यूटर प्रणाली की भिन्नता से जुड़ी है । किसी भी संस्था, कार्यालय या अन्य संगठनों में समान हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का प्रचलन नहीं है । इनमें कोई-न-कोई भिन्नता अवश्य होती है जिसकी वजह से एक कंप्यूटर पर तैयार की गई फाइल दूसरे कंप्यूटर पर भेजी जाती है जिसका हार्डवेयर वही नहीं है अथवा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भिन्न है अथवा टेक्स्ट फ़ार्मैट में टेक्स्ट तैयार किया गया है अथवा वह फान्टफ़ार्मैट गंतव्य कंप्यूटर में नहीं है, जानकारी पढ़ने में नहीं आती है। स्थानीय आधार पर अलग-अलग कंपनियों ने अपने फॉन्ट बनाए अपने पीसी में लगाए और उससे अपना काम किए, हार्ड कॉपी तैयार किए । यह प्रणाली तब तक चलती रही जब तक कि सूचना प्रौद्योगिकी ने नेटवर्किंग द्वारा आंकड़ों/फाइलों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू नहीं किया । सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा उसमें क्रांति आने के साथ ही वैज्ञानिकी ने इसका हल तलाशा और अब ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है कि किसी भी कंप्यूटर पर बनाई गई टेक्स्ट फाइल रीयल टाइम में किसी अन्य स्थान पर किसी भी कंप्यूटर पर प्रोसेस की जा सकती है । वह प्रणाली है 'यूनीकोड पेज कन्वर्जन' प्रणाली ।

कई बैंकों में भी विंडोज प्रणाली पर ही काम हो रहे हैं । माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में Regional and Language Options नाम से एक सुविधा देना शुरू किया है जिसे सक्रिय कर देने से 'यूनिकोड' फान्टफ़ार्मैट में हिंदी में या भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट फाइलें तैयार की जा सकती हैं ।

यूनीकोड क्या है

यूनीकोड एक संघ है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी और जिसे अनेक देशों के कंप्यूटर उद्यमों ने अपने योगदान द्वारा परिचालित कर रहे हैं और विश्व के अनेक देश इसके सदस्य हैं ऐसी प्रणाली बनाम जिससे किसी भी स्थान पर किसी भी प्रणाली पर बनी फाइल कहीं पर भी, बिना किसी व्यवधान के भेजी जा सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके । इसने अपना पहला कोड (UTF8) 1999 में जारी किया था । अभी UTF16 फ़ार्मेट भी जारी किया जा चुका है जिसमें बैकवर्ड का पैटिबिलिटी भी है । भारत में कंप्यूटर का आगमन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में हुआ । शुरू शुरू में शत प्रतिशत कंप्यूटर आयात किए गए । अत: वे कंप्यूटर हम भारतीयों के लिए अजनबी, अनोखी वस्तु थे । उनका प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश में जाना पड़ता था । उस समय एक बड़े हॉल में एक कंप्यूटर लगता था, उसमें पंच किए गए कार्ड द्वारा डॉटा व प्रोग्राम फीड किए जाते थे । पी.सी. जैसी सशक्त और सुविधाजनक प्रणाली की शुरुआत तो 1984 के बाद ही हुई थी । भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर देश में कंप्यूटर प्रणाली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की । परंतु सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के विचार से उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और न ही कोई मानक निर्धारित किया । अत: सभी कंपनियां कॉपीराइट के चक्कर में अपने-अपने भिन्न उत्पाद बनाए जिसकी वजह से बाजार में कोई मानक नहीं प्रचलित किया जा सका । अमरीका ने उसी समय भारत सरकार को सुपर कंप्यूटर देने से इन्कार कर दिया और हमें अपनी सुरक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए था । 1987 में पुणे में सीडैक की स्थापना की गई तथा इंजीनियरों ने तीन साल के भीतर ही 'परम' नामक सुपर कंप्यूटर

***फ़्लैट नं. 002, प्लॉट नं. 17, जनहित गृह रचना संस्था, राजेंद्र नगर, नागपुर-440016**

बनाकर सरकार को दे दिया । उसी दौरान कानपुर आइआइटी ने आर्टीफिशियल लैंग्वेज प्रणाली में आधारभूत काम किया तथा हिंदी या भारतीय भाषाओं में काम करने की प्रणाली विकसित करके सीडैक को दे दिया कि उसे आगे बढ़ाए तथा बाजार में उपलब्ध कराएं । सीडैक ने ISCII (इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इन्फ़र्मेशन इंटरचेंज) फ़ार्मेट (7 बिट कोड) कस इस्तेमाल करते हुए भारतीय भाषा और असमिक, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु में मुद्रण की सुविधा प्रदान करते हुए जिस्ट नामक हार्डवेयर कार्ड बना दिया तथा ALP नामक सॉफ्टवेयर बनाए । परंतु सरकारी विभागों में वह सक्रियता नहीं देखने में आती है जोकि प्राइवेट कंपनियों में देखने में आती है । अत: रुचि के अभाव में सीडैक का काम प्रचारित नहीं हो सका । यदि सरकार उसी समय यह निर्धारित कर देती कि कंप्यूटर कंपनियों को DoE के फॉर्मेट में ही फॉन्ट बनाने हैं तो आज यह समस्या नहीं आती ।

रिज़र्व बैंक की राजभाषा नीति 1966 से ही प्रचलन में है । बैंक ने भी इस दिशा में पहल नहीं किया वरना अपना साफ़्टवेयर होता तथा बहुत नगण्य कीमत पर काम होता । आज हम एम.एस. ऑफिस पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं । हिंदी के लिए भी करोड़ों खर्च कर दिए हैं परंतु समस्या वहीं की वहीं है । अब हमारे पास कितनी ही फाइलें तथा डॉक्यूमेंट नॉन-यूनीकोडफ़ार्मैट में हैं जिन्हें यूनिकोड में बदलना होगा । साइट पर लाखों पृष्ठ हैं जिन्हें यूनिकोड में बदलना होगा । उसके लिए माइक्रोसाफ़्ट ने कोई यूटिलिटी नहीं बनाई है । भारत सरकार की साइट पर यूटिलिटी है जिसे वेबदुनिया ने बनाया है परंतु वह भी पूरी तरह काम नहीं कर पा रही है। इस बारे में बहुत गहन काम करने की आवश्यकता है । माइक्रोसाफ्ट का indic सक्रिय कर देने से पीसी कुछ विचित्र ढंग से व्यवहार करने लग जाता है क्योंकि स्थानीय कंपनियों का माइक्रोसाफ़्ट के साथ कोई समन्वय नहीं होता है । जब तक इन समस्याओं के बारे में गहन प्रयोग द्वारा निराकाय नहीं होगा तब तक यूनीकोड प्रचलित नहीं हो सकेगा । हमारा प्रयास फल तोड़ने का सा है वृक्ष लगाने या उसे फलीभूत होने के लिए तैयार करने का नहीं है । हम इंडिक को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में आगे चर्चा करेंगे परंतु इससे पहले इंडिक सक्रिय करने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें ताकि काम करते समय इनको ध्यान में रखा जा सके । उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

यूनीकोड एनेबल करने के बाद समस्याएं

1. एक्सेल में, जब तक स्पेसबार या एंटर कुंजी या टैब कुंजी न दबाई जाए टेक्स्ट डिस्पले नहीं होता है ।
2. जब कस्टुमाइज़्ड वर्ड लिस्ट बंद की जाती है तो स्क्रीन पर एक छोटी विंडों बनी रहती है ।
3. यदि टेक्स्ट की टाइपिंग बहुत तेजी से की जाती है तो फ्रंटपेज,माइक्रोसॉफ़्ट आउटलुक (एचटीएमएल की कंपाज़िंग) क्रैश हो जाती है।
4. एक्सेल कभी भी ऐसी कमी देखने में आ जाती है ।
5. फ्रंटपेज और माइक्रोसॉफ़्ट आउटलुक एचटीएमएल मेल की कंपोज़िंग धीमी हो जाती है ।
6. जब अंग्रेज़ी कीबोर्ड अथवा किसी अन्य आइ एम ई कीबोर्ड में स्विच किया जाता है तो टाइप किया गया अंतिम शब्द उड़ जाता है यदि उसके बाद एंटर, स्पेसबार या टैब न दबाया गया हो तो ।
7. फ्रंटपेज और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एचटीएमएल मेल की कंपोजिंग के समय नई लाइन में जाने के लिए एंटर कुंजी को दो बार प्रेस करना पड़ता है।
8. यदि टेक्स्ट टाइप करने के बाद एंटर, स्पेसबार या टैब न दबाया गया हो और ऐरो कुंजियां या पेज डाउन, पेज अप कुंजियां दबा दी जाती हैं उसके बाद वांछित स्ट्रोक के लिए हर कुंजी को दो-दो बार दबाना पडता है । यदि टेक्स्ट टाइप करने के बाद एंटर, स्पेसबार या टैब न दबा दिया जाता है तो यह समस्या नहीं आती है ।

इंडिक सक्रिय करना

अब हम विंडोज में दिए गए Regional and Language Option के बारे में चर्चा करेंगे । इन विकल्पों को सक्रिय करने के बारे में हम यहां सैद्धांतिक बातें बताएंगे । इनका अभ्यास करने के लिए हम कंप्यूटर लैब में जाएंगे ।

इंडिक Installation के लिए दो बातें आवश्यक हैं :–

1. यूनीकोड समर्थक (Unicode Complaint) ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए । वह ऑपरेटिंग सिस्टम :–

   क. विंडोज़ एक्सपी और उससे ऊपर क(वर्ष 2000 में या उसके बाद आया हुआ) संस्करण

   ख. यूनिक्स–वर्ष 2000 के बाद का संस्करण

   ग. लिनिक्स–वर्ष 2000 के बाद का संस्करण

2. यूनीकोड समर्थक आप्लिकेशन चाहिए, जैसे,

   क. वर्ड

   ख. एक्सेल

   ग. पावर प्वाइंट

   घ. लोटस आदि ।

आप्लिकेशन यूनीकोड कंप्लायंट नहीं होगा तो यूनीकोड में लिखा गया टेक्स्ट में वर्णों के स्थान पर बॉक्स या ????? दिखेगा । यदि यूनिकोड कंप्लायंट होगा तो टेक्स्ट पढ़ने में आएंगा ।

आप्लिकेशन को यूनीकोड कंप्लायंट बनाना

यदि आप्लिकेशने यूनीकोड कंप्लायंट न हो तो उसे कंप्लायंट बनाने के लिए पैचेज आते हैं । पैचेज–प्रोग्राम को कहते हैं जो साफ़्टवेयरों में त्रुटियों को दूर करने के लिए लिखे जाते हैं । अत: वेंडर से पैचेज मांगें या नवीनतम संस्करण के आप्लिकेशन सॉफ्टवेयर खरीदें ।

एक्सपी और उससे आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नोट पैड या वर्ड पैड यूनीकोड कंप्लायंट होता है । यदि नोट पैड या वर्ड पैड में टेक्स्ट यूनीकोड फांट में लिखा जाए और उसे नॉन यूनिकोड कंप्लायंट आप्लिकेशन में पेस्ट कर दिया जाए तो उस आप्लिकेशन – वर्ड, एक्सेल, लोटस आदि में यूनीकोड में लिखा गया टेक्स्ट पढ़ा जा सकता है । उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है । परंतु फार्मेटिंग की जा सकती है, जैसे, यदि वर्ड में पेस्ट कर लिया जाए तो वर्ड की सारी फार्मैटिंग सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

इन्स्टालेशन (अर्थात सक्रिय सूचना)

पी.सी. के कंट्रोल पैनल में वे सारे साफ्टवेयर दिए गए हैं जो आपरेटिंग सिस्टम के साथ प्राप्त होते हैं । उनमें से अपनी जरूरतों के मुताबिक हम उन साफ्टवेयरों को अपने पीसी में सक्रिय करते हैं जैसे, इंटरनेट या वेबसाइट के लिए हम IIS को सक्रिय करते हैं, फांट के लिए फांट इंस्टालर का इस्तेमाल करते हैं । उसी प्रकार अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में काम करना हो तो Regional and Languages Options में जाकर सेटिंग करना होता है, अर्थात् उस सेवा को सक्रिय करना होता है। जब हम 'रीजनल ऐंड लैंग्वेज आप्शंस' डायलाग पैनल में जाएंगे तो वहां–तीन टैब दिखेंगे –

Regional Options Languages Advanced

इनमें से पहले हमें Languages टेब को क्लिक करना है ।

जब Languages टैब पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स में परिवर्तन हो जाएगा और उसमें दो भाग तथा एक Details... टैब दिखेंगे। वे दोनों भाग होंगे :–

(i) Text Services and Input languages (blue colour) Details...

(ii) Supplemental Language Support (Blue color)

ध्यान रखें : इसमें हमें सर्व प्रथम दूसरे भाग को सक्रिय करना है । यदि गलती से या जानबूझकर पहले भाग को सक्रिय कर देंगे तो सेटिंग के लिए Hindi भाषा का ऑप्शन नहीं उपलब्ध होगा । अत: दूसरे भाग को पहले सेट करें ।

दूसरा भाग इस प्रकार होगा :

Supplemental Language Support

Most Languages are installed by default. To install additional languages, select the approriate check box below

1. Install files for complex script and right to left languages (including Thai)

2. Install files for East Ashian languages.

हमें पहले बॉक्स में टिक मार्क करना है । बाक्स में माउस रखकर क्लिक करना है । ध्यान रखें हमें बॉक्स को टिक करना है । उसे टिक करके OK बटन पर क्लिक करेंगे तो वह आपरेटिंग सिस्टम की सीडी मांगेगा । परंतु सीडी न हो तो आपके कंप्यूटर के रूट में विंडोज में i386 नामक फोल्डर (डायरेक्टरी) होगा । उसका पाथ बता दें । उसके

बाद आनका कंप्यूटर वहां से Indic नामक फाइल लेकर अपनी सेटिंग पूरी कर लेगी । यदि इस फोल्डर का लोकेशन बताने के बाद कंप्यूटर TTF ढूंढ रहा हो तो विंडोज में Fonts फोल्डर का रास्ता दिखा दें । उसके बाद वह फांट भी ले लेगा और आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर रीबूट करना है ? उसे रीबूट करें ।

इस सेटिंग के बाद हमारा कंप्यूटर हिंदी पढ़ने के लिए तैयार है । परंतु हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उससे टाइप भी कराना है । अत: अब टाइपिंग के लिए सेटिंग करना होगा । उसके लिए इस प्रकार की कार्रवाई करें :–

अब हम Languages टैब के पहले भाग, अर्थात Text Services and infant languages में जाऐंगे । उसमें Details... टैब पर क्लिक करेंगे । उसके बाद Text Services का डयलॉग बॉक्स खुलेगा । उसमें Settings टैब सेलेक्टेड होगा तथा उसमें दो भाग होंगे ।

(i) पहला भाग – Default Input language तथा

(ii) दूसरा भाग – Installed Services होगा ।

यहाँ ध्यान रखें कि Default Input languages में English (united statyes) ही रखता है । कोई और विकल्प चुनेंगे तो आपका पीसी कुछ दिखाएगा और आप परेशान भी हो सकते हैं क्योंकि की बोर्ड इसी अंग्रेजी के हिसाब से सेट किया गया है ।

उसके बाद दूसरे भाग में आएं–Installed services में Keyboard को जोड़ना है । उसके लिए Add टैब नी क्लिक करें । उसके बाद Add Input languages डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें चार भाग होंगे :–

(i) Input language

(ii) Hindi Keyboard layout/IME Hindi Indic IME

(iii) Handwriting recognitions

(iv) Drawing Pad Speech

ऊपर बताए गए अनुसार Hindi और Hindi Indic IME चुनकर OK करें तथा पीसी रीबूट/रीस्टार्ट करें ।

ये सभी सेटिंग करने के बाद IME की जरूरत होगी । यह IME तीन साइटों पर उपलब्ध हैं । वहाँ से डाउनलोड करें और इंस्टाल करें । वे साइटें हैं । – राजभाषा विभाग, जेडटीसी नई दिल्ली और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग/राजभाषा विभाग पर दी गई आईएमई केबल हिंदी के लिए है । अन्य दोनों साइटों पर दी गई आईएमई में हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, गुजराती में भी काम किया जा सकता है । अत: देखतें हैं कि आईएमई का आकार 5 एम बी तक हो तो वह पूरी है अन्यथा एकांगी है अर्थात् उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सी डी चाहिए ।

इंडिक में की बोर्ड

इंडिक आईएमई सक्रिय कर देने के बाद IME टूलबार विंडोज़ के टासक बार पर दाहिनी ओर शार्टकट रूप में आ जाता है । उसमें यह ज्ञात होता रहता है कि Hindi Mode में हैं या English Mode में । हिंदी और अंग्रेजी के बीच टॉगल के लिए Alt+Shift दबाना होगा । उपलब्ध की बोर्डों में से वांछित की बोर्ड चुनने के लिए टास्कबार पर बने की बोर्ड आइकन पर क्लिक करें और सूची में से वांछित की बोर्ड चुनें ।

कीबोर्ड

इंडिक आइ एम ई में छह किस्म के कीबोर्ड ले आउट उपलब्ध हैं :

हिंदी लिप्यंतरण : अंग्रेजी के स्टैंडर्ड कीबोर्ड के फोनेटिक लेआउट से रोमन में टाइप करने से देवनागरी स्क्रिप्ट (हिंदी) में टाइप होगा । यह उच्चारण के अनुसार लिप्यंतरण के लॉजिक पर काम करता है । इसमें 'आ' के लिए aa टाइप करना होता है तथा 'ी' के लिए ee टाइप करना होता है । ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं के लिए एक बार लॉजिक समझाने की ज़रूरत होगी । यदि सही उच्चारण करना सीख लिया जाएगा तो टाइपिंग सही ढंग से की जा सकेगी ।

हिंदी रेमिंगटन : इस कीबोर्ड की मैपिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिससे हिंदी की टाइपिंग सिखाने वाले इन्स्टीट्यूट से टाइपिंग सीखकर आने वाले लोग आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं । इस प्रकार के कीबोर्डों में कोई वैज्ञानिकता नहीं है । अत: इसे सीखने में अधिक समय लगता है जबकि फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट बहुत ही वैज्ञानिक तथा आसान है ।

हिंदी टाइपराइटर : हिंदी के कई कीबोर्ड प्रचलन में हैं क्योंकि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर बनाने वाली कंपनियों ने कॉपी राइट के कारण अपने–अपने कीबोर्ड बनाए जिनमें

आधारभूत बातें वही हैं परंतु दो-चार वर्णों या चिह्नों में कुछ अंतर पाया जाता है । ऐसे ही कीबोर्ड अक्षर, शब्दरत्न, सुलिपि, गोदरेज और अन्य अमानक फ़ॉन्टों के हैं ।

इन्स्क्रिप्ट कीबोर्ड : यह कीबोर्ड फ़ोनेटिक आधार पर बनाया गया है और इसमें अंग्रेजी फ़ोनेटिक से थोड़ी भिन्नता है । इसमें उच्चारण के आधार पर क्रमशः टाइप करते जाएँ और कंप्यूटर अपने आप ही मात्रा या संयुक्त व्यंजन बनाता जाएगा । यदि हमें 'विद्वान' टाइप करना है तो हमें यह नहीं सोचना है कि व द के नीचे लगेगा या द के साथ कैसे मिलाया जाएगा । यह काम पूर्व रचित कन्वर्सन टेबल में दिए गए ग्लिफ़ों के आधार पर अक्षरों का निर्माण करता रहेगा ।

ऐंग्लोनागरी कीबोर्ड : ऐंग्लोनागरी एक दूसरा कीबोर्ड लेआउट है जो फ़ोनेटिक जैसा है परंतु इसमें सभी मात्राएँ पाँचों अंग्रेज़ी की स्वर कुंजियों पर हैं । इसमें कुछ कुंजियों पर चार वर्ण अथवा मात्राओं का सम्मिश्रण दिया गया है जिसे बिना शिफ्ट, शिफ्ट + कुंजी, ऑल्ट + कुंजी, ऑल्ट + शिफ्ट + कुंजी के साथ चार लेयरों में टाइप करने की व्यवस्था है । इस कीबोर्ड का लेआउट आपको दिया जा रहा है ।

ज़ीरो विड्थ का उपयोग : जब किसी शब्द को लिखते समय आप चाहते हैं कि उसमें स्वर रहित वर्ण को हलंत के साथ टाइप किया जाए, जैसे, **उद्गार** उसके लिए इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड में सुविधा नहीं है । वहाँ पर इसे **उद्गार** इस रूप में टाइप करेगा । अतः Traditional keyboard में जाकर Zero Width joiner का उपयोग करके टाइप किया जा सकता है । Zero Width joiner अथवा Zero Width non-joiner का उपयोग करने के लिए क्रमशः Ctrl+Shift+1 तथा Ctrl+Shift+2 का उपयोग करना होगा । इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड में **उद्** टाइप करने के बाद Traditional Keyboard में जाएँ । Ctrl+Shift+2 दबाकर **ग** टाइप कर लें । उसके बाद इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड में आ जाएँ । इसी प्रकार यदि **अश्व** शब्द को इस रूप में लिखना हो तो Zero Width joiner का उपयोग किया जाए । Zero Width joiner का उपयोग करने के लिए **अ** टाइप करने के बाद Traditional Keyboard में जाएँ Ctrl+Shift+1 दबाकर **व** टाइप कर लें । अन्यथा **अश्व** इस प्रकार टाइप होगा ।

यूनीकोड में टाइप किया गया टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना : जब यूनीकोड में बना टेक्स्ट नोपैड या वर्ड पैड में पेस्ट करते हैं तो उसे **save** करते समय ध्यान रखें कि **Encoding** यूनीकोड (UNICODE) रखी जाए वरना आप टेक्स्ट पढ़ नहीं पाएँगे । वह यूनीकोड के कोड, अर्थात् &u2378 प्रकार दिखाएगा । ■

चित्र समाचार

नराकास, मदुरै द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2008 को आयोजित 39वीं अर्धवार्षिक बैठक में

दीप प्रज्ज्वलित करते हुए श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली साथ में उपस्थित श्री हितेन्द्र धूमाल, सदस्य सचिव, नराकास, डॉ. वी. वी. कुचरू, मुख्य अधिकारी-राभा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नई, डॉ. वी. बालकृष्णन, उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचिन, श्री आर. के. उपाध्याय, मुख्य प्रबंधक-राभा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई एवं श्री आर. सिवसुब्रमणीयन, अध्यक्ष नराकास, मदुरै ।

नराकास नवी मुंबई तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राजभाषा संगोष्ठी की एक झलक ।

शिलांग में पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लिपि सम्मेलन ।

बोकारो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की एक झलक ।

बाएं से: श्री एस. पी. तुमडाम, श्री एस. सी. जोशी (अध्यक्ष) एवं डॉ. एस. के. माथुर (सदस्य सचिव)
न.रा.भा.का.स. भंडारा चर्चा करते हुए।

नराकास कोयंबत्तूर की बैठक में "राजभाषा साधन" सी डी का विमोचन करते हुए दाएं से डॉ. सी. जयशंकर बाबू,
डॉ. वी. बालकृष्णन्, श्री के. श्रीनिवासन तथा श्री रुकमणी शव अमर।

10 जून, 2008 को नाईपर हिंदी कार्यशाला में विजयी प्रतिभागी को पुरस्कार देते संस्थान के कुलसचिव श्री सुब्रतो सरकार ।

बेंगलूर में 4 अप्रैल, 2008 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अधिकारीगण ।

शिक्षा व मनोविज्ञान

–डॉ. मुक्ता*

''शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो एक व्यक्ति में उस के जीवन काल में होते हैं'' डग्लस व हालैंड ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए बताया कि व्यक्ति जन्म के समय असहाय होता है और जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, वैसे-वैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना और अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। शिक्षा उसे केवल अनुकूलन करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन भी करती है, जिससे वह अपना व समाज का हित करने में सफल होता है। डॉ. राधाकृष्णन से सच्ची शिक्षा के बारे में लिखा है कि ''शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए । इस कार्य को किए बिना मनुष्य अनुर्वर और अपूर्व है ।''

फैंडसन के शब्दों में ''आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है।'' राबर्ट यूलिच ने ''शिक्षा-व्यक्तियों की, व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता'' भी व्यक्ति और समाज के हित की बात की है।

शिक्षा और मनोविज्ञान पर विषय पर यदि हम दृष्टिपान करें तो हमें यह स्वीकारना होगा कि Reyburn के मतानुसार मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र का एक अंग है और आधुनिक काल में इसे दर्शनशास्त्र से पृथक स्वीकारा गया है ।

'Psychology शब्द' की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। Psyche (साइकी) जिसका अर्थ है 'Soul' (आत्मा) और Logos लोगस का अर्थ है 'Study' (अध्ययन) । इसलिए इसे प्राचीनकाल में 'Study of the Soul' आत्मा का अध्ययन कहा गया। प्लेटो, अरस्तु और डिस्कार्टेस ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, परन्तु वे आत्मा के रंग रूप व आकार को परिभाषित न कर पाए और 16वीं सदी में इस अर्थ को अस्वीकार किया गया ।

मध्ययुग में इटली के दार्शनिक पोंम्पोनजी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के पृथक विषय हो गए। वी. एन. झा ने लिखा है कि 'मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं कीं ।

16वीं सदी के विलियम जेम्स, जेम्स सोली आदि विद्वानों ने इसे चेतना का विज्ञान कहा परन्तु वे 'चेतना' शब्द के अर्थ के बारे में एकमत नहीं हो सके। चेतन मन के अतिरिक्त 'अचेतन व अद्धर्चेतन मन' भी मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह परिभाषा भी सर्वमान्य नहीं हो सकी।

20वीं सती में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो सर्वाधिक प्रचालित हुआ। वुड ने मनोविज्ञान की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ''सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है।'' स्किनर ने इसे 'व्यवहार और अनुभव' का विज्ञान कहा है। मनु ने मनोविज्ञान का संबंध 'व्यवहार की वैज्ञानिक खोज' से बताया है तथा क्रो व फ्रो ने मनोविज्ञान को मानव-व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कहा है। जेम्स की परिभाषा को सर्वोत्तम कहा जा सकता है। उनके शब्दों में 'मनोविज्ञान चेतना का वर्णन और व्याख्या है। 'The definition of Psychology may be best given as the description and explanation of consiousnes as such.'

ब्राउन व पिल्सवरी ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा है तथा शिक्षा व प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है ।

*प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, भिवानी-(हरियाणा)

बी.एन. झा ने ठीक ही कहा है कि ''शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है, उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। "मनोविज्ञान ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर उनमें क्रांतिकारी परिर्वतन किए हैं। श्यान ने निष्कर्ष रूप में ठीक ही कहा है कि ''आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम मित्रता और संघर्ष कार्य का वातावरण पाते हैं। अब उनमें परंपरागत और औपचारिकता, मजदूरी मौन, तनाव और दण्ड के अधिकतर दर्शन नहीं होते हैं ।''

शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान द्वारा अनेक क्रांतिकारी परिर्वतन हुए हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान थी, जिसमें बालक के मस्तिष्क को खाली बर्तन समझ ज्ञान से भरना शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य था । मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल-केन्द्रित कर दिया है । अब शिक्षा बालक के लिए है, न बालक शिक्षा के लिए ।

बालकों को महत्व देने के साथ-साथ उनकी रूचियों व मूल-प्रवृत्तियों को भी प्रमुख स्वीकारा गया। प्राचीनकाल में सभी बालकों के लिए एक-सी शिक्षा व शिक्षण विधियों का प्राद्यान्य था, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने अनुचित व दोषपूर्ण मानकर नकार दिया । उनके अनुसार बालक के विकास अर्थात् बड़ा होने के साथ-साथ उसकी रूचियों व आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था की खेलने के रूचि किशोरावस्था तक आते-आते बदल जाती है और वह खेल और कार्य में अंतर समझने लग जाता है। इसलिए शिक्षा की विधि और स्वरूप में अंतर होने पर पृथक शिक्षण विधि पर बल देना शिक्षक का दायित्व बन जाता है।

प्राचीन काल में बालकों की रूचियों व मूल प्रवृत्तियों का स्थान नहीं था। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिखाया कि बालक रूचि वाले कार्य व विषय को जल्दी समझते हैं व वे कार्य करने में मूल प्रवृत्तियों से प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल की समान शिक्षा प्रणाली उचित नहीं थी । मनोविज्ञान ने बालकों की रूचियों, रूझानों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि-आदि को ध्यान में रखकर पिछड़े वर्ग व विकलांग राज्यों के लिए अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया । कुप्पुस्वामी के शब्दानुसार ''व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान ने इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने में सहायता दी है ।''

प्राचीन काल में सभी विषय अनिवार्य होते थे और वह ज्ञान पुस्तकीय होता था। मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोषों की आलोचना की तथा पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रूचियों का मानसिक योग्यताओं के अनुसार होने पर बल दिया। यही कारण है कि आठवीं के बाद पाठ्क्रम को कला व विज्ञान वर्ग में विभाजित कर दिया गया ।

मनोविज्ञान ने प्राचीन कालीन पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया जिसका उद्देश्य बालकों का मानसिक विकास करना था, के स्थान पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर विचार किया। वे सर्वांगीण विकास के महत्व को स्वीकारने के फलस्वरूप ही विद्यालयों में खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष व्यवस्था की जाती है।

मनोविज्ञान ने सीखने के नियमों पर प्रकाश डाला और अच्छे नियम बताए उनके प्रयोग से बच्चा कम समय में अधिक सीख सकता है। पहले मौखिक शिक्षण विधि से पढ़ाया जाता था और बालक मौन श्रोता के समान सुनते रहते थे। मनोविज्ञान ने स्वयं अनुभव द्वारा सीखना, रेडियो, टी. वी. पर्यटन व चलचित्र आदि के माध्यमों को अपनाने की योजना तथा इसके परिणाम सुखद हुए ।

प्राचीनकाल में भय व दण्ड की प्रधानता थी, परन्तु मनोविज्ञान ने दण्ड, भय और कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन प्रभावित कर दिया । उन्होंने प्रेम, सहानुभूति व प्रशंसा को अनुशासन को सूत्रधार बताया तथा उसके कारणों को खोज कर निदान करने का परामर्श दिया ।

प्राचीनकालीन मौखिक व लिखित प्रणाली के स्थान पर बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, व वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली अपनाने की सलाह दी ।

ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित नहीं करता बल्कि हर शिक्षक को बताता है कि वह अपनी लक्ष्यप्राप्ति में सफल हुआ है या नहीं । रिवर्न के अनुसार तीन प्रकार के संबंध होते हैं-'बालक और शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध एवं बालक एवं विषय का संबंध'' जब हम इन संबंधों का उचित दिशाओं में विकास करने कर प्रयत्न करते हैं' तब मनोविज्ञान हमें सबसे अधिक सहायता देता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। कोलेस्निक के अनुसार 'शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को उन समस्याओं का समाधान करने में सहायता

देना है जिनका संबंध प्रेरक, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंध, शिक्षण-विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र निर्माण से होता है।

शिक्षा व मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालना आवश्यक है। स्किनर के मतानुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षक को बालकों की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य विषयों व क्रियाओं का चुनाव करने में सहायता मिलती है। शिक्षक बालकों की मूलप्रवृत्तियों और संवेगो से परिचित होने के कारण उत्तम शिक्षण व निर्देशन दे सकता है। वह बालकों के चरित्र निर्माण के लिए उत्तम विधियों का प्रयोग कर नैतिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षक अपनी अद्‌वितीय योग्यताएं विषय-व्यापकता के द्‌वारा उनकी रूचियों, क्षमताओं व योग्यताओं को ध्यान में रखकर उनका स्वांगीण विकास कर सकता है।

शिक्षक की सफलता का रहस्य उसका मनोविज्ञान का ज्ञान है । वह उसे अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में हर घड़ी सहायता और उसका मार्गदर्शन करता है तथा त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है ।

अंतत: हम कह सकते हैं कि शिक्षा व मनोविज्ञान का अटूट संबंध है जो अक्षुण है। मनोविज्ञान के बिना शिक्षण कार्य असंभव है। शिक्षक की सफलता-असफलता का मापदन्ड बाल-मनोविज्ञान का ज्ञान है। शिक्षक आत्मनिरीक्षक व गाथावर्धक विधि को अपनाकर जहां सफल हो सकता है, वही तुलनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, परीक्षण, साक्षात्कार निरीक्षण व प्रश्नावली विधि को अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना सिक्का जमा सकता है। गैरेर के अनुसार ''सब विधियों के लिए नियोजित कार्य, नियंत्रित निरीक्षण और घटनाओं का सतर्क लेखा अनिवार्य है।'' ■

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक दिनांक 22 मई, 2008 का अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री प्रदीप कुमार मित्र, केंद्र निदेशक ने की। आरंभ में केंद्र निदेशक तथा समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार मित्र, ने सदस्यों का स्वागत करते हुए सदस्य सचिव डॉ. जगदीश लाल को बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा। सदस्य सचिव के निदेशानुसार हिंदी अनुवादक, श्रीमती शिखा भट्टाचार्य ने पिछले बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया। सदस्य सचिव ने उक्त बैठक में लिए गए निर्णायों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को अवगत कराया। विस्तृत चर्चा के उपरांत गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई।

सदस्य सचिव डॉ. जगदीश लाल, हिंदी अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचित किया कि जनवरी से मार्च, 2008 को समाप्त तिमाही के दौरान केंद्र से धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 32 पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए गए । केंद्राध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अनुभाग से आग्रह किया कि वे इस बात पर ध्यान रखे कि धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में साथ-साथ जारी हों।

जनवरी से मई, 2008 सत्र में केंद्र के कुल 4 कर्मचारी प्रवीण परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। आगामी जुलाई से नवम्बर, 2008 सत्र में भी केंद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करने की प्रक्रिया जारी है। हिंदी आशुलिपिक प्रशिक्षण में केंद्र के 2 प्रशिक्षार्थी नियमित रूप से प्रशिक्षण पा रहे हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय (गुवाहाटी) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष 2008 की प्रथम तिमाही बैठक दिनांक 8 अप्रैल 2008 को अपराह्न चार बजे श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, कार्यपालक निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र) की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को अनुदेश दिया कि वे राजभाषा हिंदी से संबंधित आंतरित तिमाही प्रगति रिपोर्ट, प्रत्येक तिमाही की [तिमाही (1) जनवरी, फरवरी एवं मार्च, (2) अप्रैल, मई एवं जून (3) जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर (4) अक्तूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर] समाप्ति के 15 दिनों के भीतर, राजभाषा अनुभाग को आवश्यक रूप से स्वत: भिजवा दें। इसके लिए राजभाषा अनुभाग से तिमाही-रिपोर्ट-फार्म की प्राप्ति तथा संबंधित अनुदेशों की प्रतीक्षा न करें। इस बाबत, प्रत्येक सदस्य तिमाही रिपोर्ट (सादा) की हार्ड, और सॉफट कॉपी अपने अनुभाग में रखना आवश्यक रूप से सुनिश्चित भी कर लें।

गत 3 अप्रैल 2008 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय का किए गए राजभाषा निरीक्षण का संदर्भ देते हुए, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जैसा कि अक्तूबर माह में ही राजभाषा अनुभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के फोटोस्टेट, सभी सदस्यों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं; अत: सभी सदस्यों से अपेक्षित है कि वे अगली तिमाही बैठक में उक्त प्रश्नावली को अच्छी तरह से पढ़कर आएँ जिससे कि उन्हें उसमें निहित प्रावधानों एवं उत्तरदायित्वों का ज्ञान हो सके।

आकाशवाणी-कडपा (आं.प्र.)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 5-5-2008 को आकाशवाणी, कड़पा केंद्र में श्री ए. मल्लेशवर राव, कार्यालयाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम, श्री ए. मल्लेश्वर राव, कार्यक्रम निष्पादक ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में पधारे सभी सदस्यों का स्वागत किया।

पहले पहल हिंदी अनुवादक ने पिछली बैठक का कार्यवृत पढ़ा और सभी उपस्थित सदस्यों को पिछली बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर अब तक की स्थिति से अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोद्य ने यह सूचित किया कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए कागजात जैसे परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, नियम, करार, संविदा, टैंडर, नोटिस आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषा में जारी किया जाए ।

अध्यक्ष जी ने यह सुझाव दिया कि आकाशवाणी के मुख-द्वारा पोर्टिगो पर त्रिभाषा सूत्र में तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में लिखने का प्रबंध किया जाए। इस विषय पर उपाध्यक्ष श्री एन. मुरली ने यह बताया कि एक महीने के अंदर यह काम पूरा किया जायेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, तेलंगखेड़ी रोड, सिविल लाईन, पोस्ट बैग नं. 81 : नागपुर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 14-3-08 को शाम 16.30 बजे केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त श्री एस. रमेश की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई।

आयुक्त कार्यालय में दिनांक 31-12-07 को समाप्त तिमाही में प्रभागीय कार्यालय एवं शाखावार हिंदी पत्राचार की जानकारी समिति के समक्ष रखी गई। समिति को बताया गया कि हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य 90% है जब कि प्राप्त लक्ष्य 62% है। इस लक्ष्य के अनुसार हिंदी पत्राचार हिंदी शाखा के अलावा लेखा राजस्व शाखा द्वारा ही किया जा रहा है, जहां पिछली दोनों तिमाहियों में 89% हिंदी में पत्राचार किया गया है। स्थापना II में भी पिछली दो तिमाहियों में क्रमशः 86 व 87% पत्र हिंदी में भेजे गए है। निम्नांकित शाखाओं में/प्रभागीय कार्यालय में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप नहीं है लेकिन औसत से बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नोटिंग में सुधार होने के लिए सरल व आम बोलचाल की भाषा में नोटिंग-ड्राफ्टिंग करें जिससे काम करने में कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, आइस हाउस, ई. डी. सी. कॉम्प्लैक्स, पाटो, पणजी-गोवा

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 98 वी तिमाही बैठक (जनवरी से मार्च 2008 तक) दिनांक 29-4-2008 को अप. 4.30 बजे श्री एस. के. विर्दी, संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गोवा की अध्यक्षता में पणजी स्थित मुख्यालय कार्यालय में आयोजित की गई।

आयुक्तालय में संबंधित कुल 33 अनुभाग में कंप्यूटर पर 'अक्षर नवींन' हिंदी सॉफ्टवेयर दिनांक 1-11-2007 को लगाये गये हैं, जिससे हर अनुभाग में सुचारु रूप से हिंदी कंप्यूटर टाईपिंग कामकाज हो सके।

इस तिमाही में 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में कुल 6 अधिकारीयों को प्रशिक्षण दिया गया। और दैनांदिन कामकाज संबंधी टिप्पणियां जारी की गई।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद-III (तृतीय)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, अहमदाबाद-III (तृतीय) के आयुक्त महोदय श्री बी के जुनेजा की अध्यक्षता में दि. 31-3-2008 को सुबह 11-00 बजे आयोजित हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 30-9-2007 और 31-12-2007 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय/बोर्ड को क्रमशः 23-10-2007 और 22-1-2008 को भेजी गई। मण्डल एवं अनुभाग से रिपोर्ट प्राप्तांक तालिका अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

30-9-2007 और 31-12-2007 को समाप्त तिमाही के दौरान क्रमशः 919 एवं 688 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए उनमें से किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि हिंदी रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं और उसी के अनुसार निपोर्ट में आँकड़े प्रस्तुत किए जाएं तथा इस स्थिति को बनाए रखा जाए।

उन्होंने आगे निर्देश दिए कि सभी मंडल/रैंज/अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभार की हिंदी

तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा अनुभाग में समाप्त तिमाही के आगामी माह की 7 तारीख तक अचूक रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि आयुक्तालय की समेकित रिपोर्ट बोर्ड/ महानिदेशालय को समय से भेजी जा सके। आगे यह रिपोर्ट भेजने से पूर्व संबंधित अधिकारी उनमें भरे गये आँकड़ों की सत्यता परख लें ।

यह सूचित किया गया कि 30-9-2007 को समाप्त तिमाही में ''क'' क्षेत्र को पिछली तिमाही 91.22% की तुलना में 76.71% पत्र हिंदी में भेजे गए किन्तु 14.51% कमी हुई। ''ख'' क्षेत्र को पिछली तिमाही 71.85% की तुलना में 70.12% पत्र हिंदी में भेजे जा सके किन्तु लक्ष्य से 20% के आसपास कमी हुई। जबकि ''ग'' क्षेत्र को दोनों तिमाहियों में 55% लक्ष्य से अधिक 100% पत्र हिंदी/द्विभाषी में भेजा जा सका ।

31-12-2007 को समाप्त तिमाही में ''क'' क्षेत्र को पिछली तिमाही 76.71% की तुलना में 31-11 पत्र हिंदी में भेजे गए। किंतु 45.60% कमी हुई जबकि इस मद के लिए लक्ष्य 90% है।

अध्यक्ष महोदय ने अपना असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिए कि सभी अनुभाग/मंडल/रैंज प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े हिंदी संबंधी रजिस्टरों के आधार पर ही दिखाए जाते हैं। आगे बताया गया कि ''ख'' क्षेत्र को पिछली तिमाही 71.89% की तुलना में 78. 56% पत्र हिंदी में भेजे गए किंतु लक्ष्य से 12% के आसपास बढोतरी हुई, जबकि लक्ष्य 90% है।

कार्यालय, मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर भवन, ऋषि नगर, लुधियाना

मुख्य आयकर आयुक्त लुधियाना की 21वीं बैठक दिनांक 23 मई, 2008 की आयुक्त कार्यालय के सभागार में श्री एम. एस. राय मुख्य आयकर आयुक्त लुधियाना की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों से कहा कि वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएं।

(II) जाँच बिंदुओं का अनुपालनः– सदस्य सचिव ने बताया कि उपर्युक्त वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कुछ जाँच बिन्दु बनाए गए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(1) सभी प्रकार की प्रकाशन सामग्री द्विभाषी रूप में ही तैयार की जाए।

(2) सामान्य आदेश तथा अन्य काम-काज आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किया जाए।

(3) ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्र आवश्यकतानुसार हिंदी अनुवाद के साथ भेजे जाएं।

(4) लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं।

(5) रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, आदि द्विभाषी रूप में बनाए जाएं।

(6) सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

(7) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

(8) राजभाषा अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिंदी में या हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में जारी होने चाहिए यह देखने की जिम्मेवारी पत्र/परिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

श्री वी. पी. सिंह, उप निदेशक (राजभाषा), उत्तरी जोन ने कहा कि ये जाँच बिंदु बहुत पुराने हो चुके हैं इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाने की जरूरत है।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना प्रभार की दिनांक 31-3-2008 तथा 31-12-2007 को समाप्त तिमाहियों की प्रगति रिपोर्टों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध करवाए गए। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना से हिंदी पत्राचार में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक में भाग लेना तभी सार्थक सिद्ध हो सकता है यदि हम अपने-अपने कार्यालयों में सच्चे मन और गहरी आस्था से राजभाषा के प्रचार और प्रसार की ओर ध्यान दें। हिंदी में कार्य करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि वे राजभाषा अधिकारी के तौर पर पिछले कई वर्षों से कार्यरत रहे हैं। हमें

हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए।

कार्यालय आयकर आयुक्त, आयकर भवन, मक्बूल रोड, अमृतसर-143001

मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 13 मई, 2008 को 3.30 बजे बाद दोपहर मुख्य आयकर आयुक्त श्री सुनील चोपड़ा की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई।

- संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां सभी सदस्यों को प्रदान की गईं। वार्षिक कार्यक्रम की प्रत्येक मद पर विस्तृत चर्चा की गई तथा तदनुसार निर्णय किए गए।
- प्रत्यक्ष कर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली की 65वीं बैठक में किए गए निर्णयों तथा उनके अनुपालन हेतु की जानी वाली कार्यवाही पर विचार किया गया। विशेष रूप से अमृतसर क्षेत्र में हिंदी पत्राचार को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया।
- 31-3-2008 को समाप्त तिमाही के बारे अधीनस्थ कार्यलयों से प्राप्त राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया गया, तथा इन्हें दूर किए जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया गया।
- समिति की 14 फरवरी, 2008 को आयोजित तिमाही बैठक में किए गए निर्णयों की समीक्षा की गई।

अमृतसर क्षेत्र में/हिंदी पत्राचार को बढ़ावा दिए जाने हेतु अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि:-

क. सभी प्रकार की रिपोर्टों/परिपत्रों के अग्रेषण पत्र हिंदी में ही जारी किए जाएं।

(उपस्थित अधिकारियों को हिंदी अग्रेषण पत्रों के नमूने भी प्रस्तुत किए गए ।)

ख. प्रशासन संबंधी सभी आदेश हिंदी में/द्विभाषी जारी किए जाएं।

ग. स्थानान्तरण/तैनाती संबंधी सभी आदेश द्विभाषी/हिंदी में जारी किए जाएं।

घ. सभी अधिकारी छोटी-छोटी टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

ड. कर निर्धारण के क्षेत्र में भी राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि:-

1. धारा 143(1) के आदेश का प्रोफार्मा द्विभाषी है, इस पर हिंदी की मोहर लगाकर, निर्धारण अधिकारी हिंदी में हस्ताक्षर किया करें।
2. धारा 143(3) के अंतर्गत भी कुछ छोटे-छोटे आदेश हिंदी में पारित किए जाएं।
3. कर निर्धारण संबंधी द्विभाषी फार्मों केंद्र का हिंदी भाग भरा जाए और हिंदी की मोहर का प्रयोग किया जाए।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी परिस्थितियों और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने हेतु सार्थक प्रयास करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

कार्यालय, महाप्रबंधक/राजभाषा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31-12-07 को समाप्त तिमाही की बैठक दिनांक 16-4-2008 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य माल भाड़ा परिवहन प्रबंधक, श्री रण विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक मे अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक श्री रण विजय सिंह ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यहां के अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकांश कार्य हिंदी में कर रहे हैं। उन्होंने सभी का ध्यान विशेष रूप से वेबसाइट की ओर दिलाया। उन्होंने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड द्वारा वबेसाइटें पूरी तरह से द्विभाषी रूप में शीघ्र कराने का आश्वासन दिया गया है, रेलवे बोर्ड ने इसके लिए मई 2008

का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने आग्रह किया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समयावधि में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे सामने MMIS, PRIME, AFRES तथा FOIS जैसे सिस्टम साफ्टवेयरों में भी हिंदी के प्रयोग की चुनौती है इसे स्वीकार कर हमें भारतीय रेल में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना है।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा संबंधी विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सभी से हिंदी में कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी सदस्यों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति निगरानी रखने का निर्देश दिया ताकि इस रेल पर हिंदीमय वातावरण बरकरार रहे।

कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा), पूर्व मध्य रेल हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 21वीं एवं 22वीं संयुक्त बैठक दि. 4-6-2008 को महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर श्री गिरीश भटनागर की अध्यक्षता में महाप्रबंधक सम्मेलन कक्ष, हाजीपुर में संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महाप्रबंधक श्री गिरीश भटनागर ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और सभी सरकारी कामकाज हिंदी में करना हमारा कर्त्तव्य है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी रेल राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति सचेत है और यही कारण है कि हमारे रेल में अधिकाधिक कार्य हिंदी में हो रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे कार्यालयों/मंडलों/कारखानों आदि में राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशालाएं तथा तकनीकी गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। सभी विभागीय बैठकें तथा समारोह आदि की कार्रवाई हिंदी में की जाती है। मुख्यालय के विभिन्न विभागों में हिंदी प्रयोग के प्रति प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए दिए जाने वाले अंतर्विभागीय राजभाषा शील्ड योजना की सराहना की। उन्होंने सभी से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का पूर्णतया अनुपालन करने, फाइलों में अधिकतम टिप्पणी हिंदी में लिखने, फाइल व रजिस्टर कवरों पर विषय द्विभाषी लिखने तथा रजिस्टरों/डायरियों/सेवा पंजियों में हिंदी में प्रविष्टियां करने, हिंदी पुस्तकालयों को सुव्यवस्थित करने, निरीक्षण के दौरान राजभाषा निरीक्षण करने, कंप्यूटरों द्वारा अधिकतम कार्य हिंदी में करने और अधीनस्थ राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को सुनिश्चित करने को कहा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद की माह 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च, 2008 तक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 5-6-2008 को अपराह्न में 12.00 बजे से श्री प्रशांत कुमार, आयुक्त महोदय (विभागाध्यक्ष पदेन)राजभाषा कार्यान्वयन समिति संरक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्तालय, गाजियाबाद के मण्डलों एवं शाखाओं से प्राप्त माह 1 जनवरी, 2008 से 31 मार्च 2008 तक की 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं की समीक्षा की गई । इन 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं के समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम द्वारा निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष आयुक्तालय, गाजियाबाद में हिंदी में कार्य की प्रगति का प्रतिशत इस तिमाही 81.25 रहा है, जो कि पिछले तिमाही 76.83 प्रतिशत से 4.42 प्रतिशत अधिक रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए उपस्थित शाखा प्रभारियों एवं मंडल प्रभारियों को यह निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा शासकीय कार्य हिंदी में करने के निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अनवरत प्रयास किए जाते रहने चाहिए तथा जिन शाखाओं में हिंदी कार्य का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम या उनके पिछली तिमाही से कम हो गया है, वे अगली तिमाही में इसमें निश्चित रूप से संतोषजनक सुधार करें। इस संबंध में संबंधित शाखा प्रभारियों/मंडल प्रभारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अगली तिमाही में और भी संतोषजनक परिणाम दिया जाएगा तथा प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाएगा।

आकाशवाणी, शिमला

आकाशवाणी शिमला की राजभाषा का कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 22 अप्रैल 2008 को

दोपहर बाद 2:15 बजे सम्मेलन कक्ष में केंद्र निदेशक, श्री तेज कृष्ण रावल की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित की गई । 2008 को आयोजित पिछली तिमाही बैठक का उल्लेख करते हुए सदस्यों को सूचित किया कि वर्ष 2007 में हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 27 फरवरी 2008 को आयोजित हिंदी कार्यशाला के दौरान नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया । हिंदी टंकण का अभ्यास करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए केंद्र के पांच कंप्यूटरों पर द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) कुंजी पटल लगाए गए हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन कर्मचारियों की अब इन कुंजी पटलों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए । इसके पश्चात् सभी सदस्यों ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर अपना संतोष प्रकट किया और पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि कर दी गई ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा नियमों के अनुसार "क","ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से क्रमश 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और 65 प्रतिशत पत्राचार मूल रूप में हिंदी में करना अनिवार्य है। सदस्य सचिव ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 की अवधि के दौरान "क" और "ख" क्षेत्रों में 91 प्रतिशत और "ग" क्षेत्रों में 86 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया । अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी पत्राचार करने का आग्रह किया ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को जो भी पत्र भेजा जाए उनके लिफाफों पर पता हिंदी में लिखना अनिवार्य है। कार्यवाहक लेखाकार ने सूचित किया कि जब कोई पत्र किसी अनुभाग से अंग्रेजी में प्राप्त होगा तो प्रेषण अनुभाग का कर्मचारी उसका हिंदी अनुवाद गलत कर सकता है और पत्र को गणतव्य तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूंकि यह केंद्र ''क'' क्षेत्र में स्थित है इसलिए प्रत्येक अनुभाग को अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में ही करना चाहिए।

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली

दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक : 20-3-08 को पूर्वाह्न 12.00 बजे निदेशक सुश्री दीपा चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

सर्वप्रथम बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई । उसके उपरांत राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) डा. सरोज कुमार त्रिपाठी द्वारा इस केंद्र में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण के उपरांत भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई ।

निरीक्षण रिपोर्ट में केंद्र में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में और भी गतिशीलता लाने के लिए राजभाषा विभाग के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा विशेष सुझाव दिया गया था जो इस प्रकार है :-

1. रिपोर्ट में केंद्र के अधिकांश अनुभागों को हिंदी में कार्य करने हेतु विनिर्दिष्ट किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई थी ।
2. केंद्र में आशुलिपिक एवं टंकण प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को इस वर्ष प्रशिक्षित करवाने का निदेश दिया गया था ।
3. केंद्र में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु जांच बिंदु बनाएं जाने के संबंध में संतोष व्यक्त किया गया था तथा यह निदेश दिया गया था कि जांच बिंदु का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए ।
4. केंद्र में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने का निदेश दिया गया था ।
5. कंप्यूटर प्रणालियों में द्विभाषी कार्य करने की व्यवस्था उपलब्ध होने की प्रशंसा की गई थी ।
6. फाइलों में 75 प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में ही लिखे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई थी ।
7. शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकों की कार्रवाई पूर्ण रूप से हिंदी में होने की प्रंशसा की गई थी ।
8. हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए उपलब्ध कुल बजट का आधे से अधिक हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करने की भी प्रशंसा की गई थी ।
9. केंद्र में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि हेतु लागू प्रोत्साहन योजनाओं तथा एक विशेष

पुरस्कार योजना लागू किए जाने की भी प्रशंसा की गई थी ।

10. केंद्र द्वारा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों में से शेष दो आश्वासनों को पूरा करने का निदेश दिया गया था ।

11. केंद्र में अनेक आयोजनों के साथ हिंदी पखवाड़े के आयोजन की प्रशंसा की गई थी ।

निदेशक महोदया द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., बोकारो स्टील प्लान्ट

बोकारो स्टील प्लांट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2007-08 की चतुर्थ बैठक 29 मार्च, 2008 को इस्पात भवन स्थित प्रबंध निदेशक सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई । श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बोकारो स्टील प्लांट ने बैठक की अध्यक्षता की ।

आवश्यक औपचारिकताओं के बाद आरम्भ में विगत बैठक (7-1-2008) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया । बैठक में 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त तिमाही में हुई हिंदी की प्रगति गहन समीक्षा की गई । तद्नुसार "क" क्षेत्र में वर्तमान हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 90.28 है जबकि "ख" क्षेत्र में 89.64 प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत 69.52 है ।

श्री सुरेन्द्र मिश्र, उप महाप्रबंधक प्रभारी (संपर्क एवं प्रशासन) ने जनवरी–मार्च, 2008 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें 17 विभागों का निरीक्षण, 10 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, 20 कार्मिकों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण, छः विभागों के कंप्यूटर पर अक्षर फॉर विन्डोज पैकेज की लोडिंग तथा 18 मार्च को राँची नराकास एवं मेकॉन द्वारा आयोजित दिनकर की राष्ट्रीयता पर राजभाषा सेमिनार में बोकारो स्टील की ओर से दो प्राधिकारियों की आलेख प्रस्तुतियों को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त आदि का उल्लेख शामिल था ।

विचार-विमर्श के उपरान्त हिंदी कार्यान्वयन को गति देने के लिए बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिन में- प्रत्येक वर्ष 3-4 विभागों से हिंदी पत्रिका का प्रकाशन, माह में दो वार अधिशासी निदेशक (परि.) से मिलकर हिंदी प्रगति की चर्चा, 2 विभागों को अगली तिमाही तक 100 प्रतिशत हिंदी पत्राचार के स्तर तक लाने तथा सभी विभागों से टंकण मशीनों को अप्रैल, 2008 तक हटा लेने के निर्णय उल्लेखनीय हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं विभागीय प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने विभागों में हिंदी कार्यान्वयन में तेजी लायें ताकि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

चेन्नई

चेन्नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 44वीं अद्र्धवार्षिक बैठक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, के स्टाफ कालेज में दिनांक 19-5-2008 को सायं 3 बजे आयोजित की गई । बैठक में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली की संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वाय. एल. मदान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे । चेन्नई नराकास के अध्यक्ष श्री वेंकट रेड्डी, महाप्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने बैठक की अध्यक्षता की ।

बैठक का शुभारंभ प्रार्थना एवं दीप प्रज्वलन से हुआ । उसके बाद समिति के सदस्य सचिव डॉ शेख अब्दुल कादर, मुख्य प्रबंधक, आई ओ बी ने माननीय अतिथियों एवं विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से पधारे कार्यपालकगण एवं राजभाषा प्रभारियों का स्वागत किया । उसके बाद वर्ष 2007-08 के दौरान समिति के कार्यकलापों पर पावर पाइंट प्रस्तुति की गई । सदस्य सचिव ने मार्च 2008 तक समाप्त

अर्ध वर्ष के दौरान समिति की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्ची के उप निदेशक डॉ. वी. बालकृष्णन जी ने मार्च 2008 तक समाप्त अर्ध वर्ष के लिए समिति के सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त छमाही रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की । उन्होंने बैठक में सभी सदस्य कार्यालयों से सहभागिता होने की सराहना की । समिति के अध्यक्ष श्री टी. वेंकट रेड्डी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सबका स्वागत करते हुए समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सभी सदस्य कार्यालयों के सहयोग से ही समिति सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर रही है ।

विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वाय. एल. मदान जी ने अपने संबोधन में बताया कि सभी बैंकों को वित्तीय समावेशन व माइक्रो फाइनान्स के लिए आम आदमी तक पहुंचना है । इसके लिए आम आदमी की भाषा को अपनाना चाहिए । इसके लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को जानना जरूरी है । उन्होंने यह भी कहा कि हमें पुरस्कारों के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि वास्तव में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काम करना चाहिए । पुरस्कार तो अपने आप मिलेंगे।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी ने अपने संबोधन में बताया कि तमिलनाडु में कार्य संस्कृति है और यदि वे सच्चे मन से हिंदी भाषा सीखेंगे तो हिन्दी भाषियों से भी अच्छी हिंदी सीख लेंगे । उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सभी को हिंदी को एक अतिरिक्त भाषा को जानने के रूप में सीखने का प्रयास करना चाहिए । उन्होंने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों की प्रशंसा की ।

मुख्य अतिथि श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी ने वर्ष 2007-08 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को राजभाषा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए । उसके बाद उन्होंने समिति द्वारा प्रकाशित "चेन्नै भारती" पत्रिका के 12वें अंक का विमोचन किया । साथ ही इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की हिंदी गृहपत्रिका "वाणी" के मार्च 2008 के अंक का भी विमोचन किया ।

शिलचर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, शिलचर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की 37वीं बैठक संयोजक कार्यालय - हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के अतिथि गृह में 23 मई, 2008 को अपराह्न 3.00 बजे मिल के मुख्य अधिशासी एवं समिति के अध्यक्ष श्री मोहन झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई । इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में प्रगति हुई है किंतु अब भी वह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जिसकी अपेक्षा की जा रही थी । सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है किंतु अभी भी बहुत-सा काम अंग्रेजी में हो रहा है । लक्ष्य यह है कि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी का ही प्रयोग हो । यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा ।

आगे उन्होंने कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं कि जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी । आप लोग अपने-अपने कार्यालयों के प्रमुख हैं । आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से उठाए गए कदम निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी को नई दिशा देंगे । हमारा विश्वास है कि इस बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उनका आपके कार्यालयों में अनुपालन होने से राजभाषा हिंदी की प्रगति अवश्य होगी । संघ की राजभाषा नीति का आधार भले ही प्रेरणा और प्रोत्साहन है किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए । अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र, शिलचर द्वारा प्रकाशित पत्रिका "पूर्वाशा" की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों को भी अपने-अपने कार्यालयों से ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन करना चाहिए ।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से कार्यालय प्रमुखों को हिस्सा लेना चाहिए । सिर्फ अपना प्रतिनिधि अथवा राजभाषा अनुभाग के कार्मिकों को भेज देने से उनकी

जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती । जब कार्यालय प्रमुख स्वयं आएंगे, तभी वे जानेंगे कि राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु किस प्रकार के कदम उठाना आवश्यक है ।

कोलकाता (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 45वीं बैठक दिनांक 30-5-2008 को अपराह्न 3.30 बजे मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन कक्ष, 15बी, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता संयोजक बैंक (युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) के उप महाप्रबंधक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) श्री आर. के. महान्ति ने की । बैठक में विभिन्न सदस्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

(क) सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किया है ।

(ख) सभी सदस्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने हिंदी पत्रों का हिंदी में उत्तर देने के मामले में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 एवं 7(2) का शत प्रतिशत अनुपालन किया है ।

(ग) हिंदी में मूल पत्राचार के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी सदस्य कार्यालय प्रयत्नशील हैं । सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्टों के आधार पर उक्त अवधि के दौरान 22 बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और शेष 3 सदस्य कार्यालय लक्ष्य से काफी दूर हैं इनमें हैं इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स । मूल पत्राचार के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में इंडियन बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि अगली छमाही तक वे अपने प्रयासों को जारी रखते हुए क्रमशः 40% तथा 50% मूल हिंदी पत्राचार करेंगे । स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके बैंक द्वारा इस संबंध में अवश्य प्रयत्न किया जाएगा और हिंदी में मूल पत्राचार के अंतर्गत वृद्धि की जाएगी ।

श्री अजय मलिक, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, कोलकाता ने सर्वप्रथम इस बात पर संतोष व्यक्त किया और धन्यवाद दिया कि बदले गए कैलेंडर के मुताबिक इतने कम समय में समिति की बैठक आयोजित कर ली गई है । तदन्तर उन्होंने इस बैठक में सहभागिता करने के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि हिंदी का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा सद्भावना से किया जाना चाहिए तथा रिपोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए । बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा उप निदेशक (कार्यान्वयन) के कार्यालय में रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि बैंक द्वारा व्यवसाय किया जाता है, अधिक से अधिक जनता को व्यवसाय के साथ जोड़ना बैंक का लक्ष्य है । वित्तीय समावेशन का भी उद्देश्य यही है । हिंदी भाषा के द्वारा बैंकिंग के कामकाज में वृद्धि हो सकती है ।

तृश्शूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर की 40वीं बैठक 26-5-2008 के 3.00 बजे अपराह्न सहायक आयकर आयुक्त, तृश्शूर श्री पी. ए. मुरलीधरन की अध्यक्षता में संस्थान के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। सहायक आयकर आयुक्त व इस बैठक के अध्यक्ष श्री पी. ए. मुरलीधरन ने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत किया । अपने संबोधन में राजभाषा व राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की अहं भूमिका पर जोर देते हुए, हिंदी में अधिकाधिक कार्य किए जाने के माध्यम से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सभी के अनन्य सहयोग के लिए आग्रह किया ।

श्री कृष्णा कॉलेज हिंदी विभागाध्यक्ष (सेवा निवृत्त) श्रीमती ओमना इस बैठक की मुख्यातिथि थी । राजभाषा के रूप में हिंदी की अहं भूमिका पर विस्तृत रूप से मुख्यातिथि महोदया ने वर्णन किया तथा आग्रह किया कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी का नियमित रूप से प्रयोग करें । इसके अतिरिक्त, मुख्यातिथि महोदया ने हिंदी भाषा के विकास के इतिहास का विस्तृत चित्र प्रस्तुत किया तथा प्राचीन हिंदी व आधुनिक हिंदी के प्रयोगों में व्याप्त अंतर का विस्तृत चित्रण किया । हिंदी भाषा के शुद्ध व सही उच्चारण पर उन्होंने ज़ोर दिया तथा यह

बताया कि देवनागिरि लिपि पूर्णत: वैज्ञानिकतायुक्त है क्योंकि इस लिपि में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है तथा जो बोला जाता है वही लिखा जाता है । अत: लेखन और उच्चारण में सीधा संबंध है ।

अपने संक्षिप्त संबोधन के उपरांत मुख्यातिथि महोदया ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता सदस्यों को अपने स्थान के अनुसार रोलिंग ट्रॉफी/शील्ड/कप आदि से सम्मानित कर अनुग्रहीत किया । 1-4-2007 से 31-3-2008 तक कि वार्षिक रिपोर्टों का मूल्यांकन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचीन के उप निदेशक (क) डॉ. बालकृष्णन द्वारा किया गया ।

वार्षिक रिपोर्टों के मूल्यांकन का परिणाम घोषित करते हुए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचीन से उप निदेशक (क) डॉ बालकृष्णन ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन सदस्यों की अभिरूचि के लिए हर्ष प्रकट करते हुए मत व्यक्त किया कि अन्य सदस्य, जिनको पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए हैं को यह समझना उचित नहीं कि उनका निष्पादन उत्कृष्ट नहीं है । इसके विपरीत राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना समीचीन होगा ।

डॉ. बालकृष्णन ने अपने संबोधन में न रा का स की बैठकों में अनुपस्थिति एवं तिमाही रिपोर्टों के नियमित रूप से प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति को गंभीरतापूर्वक नोट किया । उनका विचार था कि रिपोर्टों के अभाव में गत छ: महीने के दौरान किए गए कार्य की समीक्षा करना संभव नहीं होगा ।

चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-5-2008 को सायं 3.00 बजे किसान भवन, सैक्टर-35, चण्डीगढ़ में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री पी.के. चोपड़ा मुख्य आयकर आयुक्त, उ.प. क्षेत्र, चण्डीगढ़ ने की । बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व श्री जसवंत सिंह सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) ने किया ।

बैठक में सदस्य कार्यालयों से 149 कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया । राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री जसवंत सिंह ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस समिति की बैठक में दूसरी बार शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह हर्ष की बात है कि इस समिति की गणना देश की अच्छी समितियों में की जाती है । बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई फिर भी वे पुन: यह अनुरोध करना चाहते हैं कि धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित बनाया जाए, कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित करवाया जाए और नियम 8(4) के अधीन व्यक्तिश: आदेश जारी किए जाएं । राजभाषा नियम 12 के अनुसार सभी कार्यालय प्रधान अपने दायित्व को निभाते हुए नियमों का अनुपालन करवाएँ । राजभाषा विभाग भी पत्रिकाओं की प्रतियोगिता करवाता है, अत: इसके लिए विभागीय पत्रिकाएँ भेजी जाएँ । आंतरिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो । बैठक में हुई चर्चा के अनुसार सभी कार्यालय कार्रवाई करें ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में **श्री** पी.के.चोपड़ा जी ने कहा कि "सर्वप्रथम मैं आप सबका बैठक में उपस्थित होने और चर्चा में भाग लेने तथा समिति के कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ । यह समिति हम सबकी है और हम सबके लिए है तथा सबके सहयोग से ही इसकी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है ।"

भंडारा

भंडारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 4-6-2008 को श्री एस. सी. जोशी, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, भंडारा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुआ ।

बैठक में कार्यालय प्रधानों ने अपने-अपने कार्यालयों में अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2008 तक की छ:माही की अवधि में राजभाषा में किए गए कार्यों एवं आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया, जिसकी समीक्षा अध्यक्ष श्री एस. सी. जोशी एवं सदस्य सचिव डॉ. एस. के. माथुर वैज्ञानिक-डी,

केंद्रीय रेशम बोर्ड ने की । उन्होंने इस बात की प्रसन्नता व्यक्त की कि भंडारा स्थित लगभग सभी केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों में राजभाषा नियमानुसार 85 प्रतिशत से अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है । उन्होंने यथा स्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया

डॉ. एस. के. माथुर ने सूचित किया कि इस समिति द्वारा हर वर्ष की भांति वर्ष 2007-2008 के लिए हिंदी में सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों को पुरस्कृत करने की योजना है ।

अध्यक्षीय भाषण में श्री एस. सी. जोशी ने कंप्यूटर द्वारा राजभाषा में ज्यादा से ज्यादा काम करने एवं नये सरल साफ्टवेटर के विकास पर जोर दिया । उन्होंने कार्यालय प्रधानों को राजभाषा कार्यान्वयन लक्ष्य प्राप्ति के लिए धन्यवाद दिया एवं यथा स्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया । कार्यक्रम का संचालन श्री एस. के. तुमडाम ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एस. के. माथुर ने किया ।

पटियाला

पटियाला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 7-5-2008 को सायं 3.30 बजे आयकर भवन, पटियाला के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता श्री जी. सी. नेगी, आयकर आयुक्त, पटियाला एवं अध्यक्ष, नराकास पटियाला ने की ।

बैठक में 40 कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक के कार्यवृत सदस्यों को भेज दिए गए थे । किसी भी कार्यालय से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त न होने से इनकी सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी गई । अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री जी. सी. नेगी ने उपस्थित सदस्यों का बैठक में आने के लिए धन्यवाद किया । उन्होंने कहा कि आज अच्छे निर्णय लिए गए हैं, इनके दूरगामी परिणाम होंगे और सदस्य कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ेगा । अत: सभी सदस्य लिए गए निर्णय को सच्चे मन से लागू करवाएं । जिन कार्यालयों में राजभाषा में कम कार्य हो रहा है, वे चाहे कार्यशालाएं लगाकर अथवा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाकर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाएं । जिन कार्यालयों में अच्छा कार्य हो रहा है, अन्य कार्यालय उनसे प्ररेणा लें । सभी के सकारात्मक सहयोग से निश्चय ही समिति की गतिविधियों में वृद्धि होगी । समिति के कार्यों के लिए सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है । उन्होंने आश्वासन दिया कि अध्यक्ष कार्यालय की ओर से सभी सदस्यों को अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा ।

शिमला

शिमला नराकास की बैठक दिनांक 14-05-2008 को सायं 3 बजे मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, रेलवे बोर्ड भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त एवं समिति अध्यक्ष श्री एस. सी. गुप्ता जी ने की।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक सक्रिय समिति है और इसमें बहुत ही सार्थक और गहन चर्चा होती है। सभी कार्यालय प्रमुख स्वंय बैठकों में उपस्थित हों तथा कार्यालयों में समिति के निर्णयों और सरकार के आदेशों का अनुपालन कराएं । तिमाही रिपोर्टों की प्रतियाँ नियमित तौर पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तथा अध्यक्ष कार्यालय को भेजी जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि ''मैं त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि बैठक में गहन चर्चा हुई । मैं समिति के वार्षिक समारोह से भी बहुत प्रभावित हुआ था। चर्चा में सभी सदस्यों ने भाग लिया और कार्यक्रमों में सबकी भागीदारी रही। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। हमें अपने मन से हिंदी का प्रयोग करना है, केवल आदेशों से स्थिति नहीं बदलेगी। आज भारत की स्थिति बदल रही है। दुनिया में भारत को जानने की इच्छा बढ़ रही है। भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। अत: हमें अपनी भाषा की पहचान भी विश्व में बनानी है। इसके लिए हमें इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। मुझे आशा है कि समिति के कार्यक्रमों में सबका सक्रिय सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहेगा ।"

(ग) कार्यशालाएं

मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) कार्यालय, पूर्वोतर क्षेत्र, गुवाहाटी

मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी) कार्यालय, पूर्वोतर क्षेत्र गुवाहाटी में दिनांक 11 से 17 मार्च, 2008 तक पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय हिंदी कार्यशाला चलाई गई। कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 11 मार्च, 2008 को 11.00 बजे (पूर्वाह्न) श्री ए. के. सिन्हा, भा.रा.से. आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.) पूर्वोतर क्षेत्र, गुवाहाटी ने दीप प्रज्जवलित करके किया। उन्होंने कार्यशाला का उद्देश्य एवं महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों को सक्रियता से भाग लेने का अनुरोध किया।

कार्यशाला में प्रतिदिन दो-दो घण्टे के दो-दो का सत्र चलाए गए। श्री अशोक कुमार मिश्र, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, क्षेत्रिय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी, श्री शरद विधु शुक्ल, राजभाषा अधिकारी, महाप्रबंधक (निर्माण) पू.सी. रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी, श्री शेष मणि शुक्ल, सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा सचिव, नराकास (कें. कार्या.), मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, गुवाहाटी श्री ए.के. चौहान, सहायक निदेशक (टं/आशु.) हिंदी शिक्षण योजना (पूर्वो) पू.सी. रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी तथा श्री रामलाल शर्मा, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न विषयों पर तथा कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने हेतु व्याख्यान दिया गया तथा अभ्यास कराया गया।

भारी पानी संयंत्र, तालचेर, डॉ. विक्रमपुर जिला अनगुल : (उड़ीसा) 759106

भारी पानी संयंत्र, तालचेर में दिनांक 20 जून, 2008 को 16वीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन समारोह प्रात: 09 : 50 बजे प्रशिक्षण कक्ष में किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री पी.आर. महान्ति, अध्यक्ष, राभाकास, भापास, तालचेर ने की । अपने उद्बोधन में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने का तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

इस कार्यशाला में विभिन्न अनुभागों से नामित 17 कार्मिकों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में श्री सुदर्शन तराई, प्रबंधक (रा.भा.) नालको द्वारा ''संघ की राजभाषा नीति'', और ''मानक वर्तनी'', श्री ए.के. सिन्हा, निजी सचिव, महानदी कोलफील्ड्स लि. जगन्नाथ क्षेत्र, डेरा द्वारा ''टिप्पण-आलेखन'', श्री रमेशचंद्र नंद, वरिष्ठ लिपिक द्वारा ''विभिन्न अवकाश'' तथा श्री धनेश परमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा ''हिंदी में विभिन्न पत्राचार'' और ''पऊवि की प्रोत्साहन योजनाएँ'' पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए गए। कार्यशाला के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों को लिखने का अभ्यास कराया गया।

समापन समारोह में इस कार्यशाला के प्रतिभागियों को श्री पी.आर. महान्ति, महाप्रबंधक के करकमलों से अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए । सभी को संबोधित करते हुए अध्यक्ष, रांभाकास, भापासं, तालचेर ने इस कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग करने तथा अपने सहकर्मियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद-1

'डी' ब्लॉक, नौवीं मंजिल, आयकर शिखर, ऐ. सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500 004

दिनांक 04-06-2008 से 06-06-2008 तक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में हिंदी भाषा को अधिक से अधिक उपयोग में लाने हेतु बहुत ही सरल तरीके से प्रतिभागियों को परिचित कराया गया । कार्यशाला का उद्घाटन आयकर आयुक्त सह राजभाषा अधिकारी, श्री अतुल प्रणय के कर कमलों द्वारा किया गया ।

कार्यशाला के समापन समारोह में आयकर आयुक्त, श्री के. के. त्रिपाठी ने हिंदी को एक बोलचाल के द्वारा कार्यालय उपयोग में लाने वाली भाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया ।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
बहरमपुर - 742101 (पश्चिम बंगाल)

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर में दिनांक 25-04-2008 को संस्थान के तकनीकी संवर्ग के पदधारियों के लिए एक पूर्ण-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में कुल 25 पदधारी प्रशिक्षित किए गए । कार्यशाला में कुल 06 कक्षाएं संचालित की गई ।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के वैज्ञानिक-डी., श्री एस.एस. मन्ना महोदय द्वारा किया गया । उन्होंने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कार्यशाला की आवश्यकता व महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के तरह ही लाभकारी होता है और इससे अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने में प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के विविध प्रावधानों के प्रगामी प्रयोग में एक नई दिशा भी प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रतिभागियों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित करें । इस कार्यशाला में व्याख्याता के तौर पर उपस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉ. जी. के. मिश्रा, द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि हिंदी एक सरल एवं सहज भाषा है और सतत प्रयास के जरिये इसे सहजतापूर्वक अपनाया जा सकता है । इस दौरान व्याख्याता के रूप में आमंत्रित डॉ. अनिता बंसल, शाखा भर्ती कार्यालय, थल सेना बहरमपुर ने सहभागियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि ज्ञान-विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्रों के लोक प्रचलित शब्दों को यथावत देवनागरी लिपि में लिखने व अंगीकार करने का प्रयास किया जाना चाहिए इससे सरकारी कार्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी राजभाषा हिंदी के प्रयोग व प्रसार में गति आएगी । इस संस्थान के उप-निदेशक (प्रशा. व लेखा), श्री एच.सी. हाईबुरु ने अपने अभिभाषण में कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पदधारियों को हिंदी के प्रति व्याप्त झिझक को दूर करना है । हमें अपनी झिझक त्याग कर सरकारी कार्यों में हिंदी को अपनाना चाहिए ।

तत्पश्चात्, आमंत्रित व्याख्याताओं द्वारा कार्यशाला में राजभाषा नियम एवं अधिनियम तथा ''टिप्पण-लेखन व आवतियों के निष्पादन की प्रक्रिया, 'पत्राचार के विविध स्वरूप एवं तत्संबंधी कार्रवाई' '', तकनीकी शब्दावली एवं उसके प्रचार तथा राजभाषा नीति एवं इसके अनुपालन जैसे विविध विषयों पर व्याख्यान के साथ-साथ उन विषयों को सहजतापूर्वक हिंदी में प्रस्तुत करने की सरल पद्धति पर प्रकाश डाला गया । सर्वशेष में उनके द्वारा उक्त विषयों से जुड़े विविध पहलुओं पर एक जांच परीक्षा भी आयोजित की गई जिसमें सभी प्रतिभागीगण उत्सुकता के साथ सम्मिलित हुए ।

अंत में प्रतिभागियों ने इस अवसर पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए तथा इसी के साथ संस्थान के श्री आर. बी. चौधरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हिंदी कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की गई ।

लोकताक पावर स्टेशन, कामकैराप, मणिपुर-795124

वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 में निर्धारित लक्ष्यों की अनुपालना की स्थिति से अवगत कराने के लिए लोकताक पावर स्टेशन के अतिथि गृह में दिनांक 19-06-2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिविल, वित्त, मां. संसा., लाइन, मेडिकल, भंडार, क्रय आदि विभिन्न विभागों से कुल 18 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

श्री पवन कुमार सिंह, सहा. प्रबंधक (आई.टी.) कार्यशाला के फैकल्टी थे । उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्साहित करते हुए प्रतिभागियों को कार्यालयीन काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विश्लेषण करते हुए हिंदी लिखने, सीखने और कार्यालय का काम अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षक की सराहना करते हुए इस प्रकार की हिंदी कार्यशाला आयोजित किए जाने की

प्रशंसा की । अन्त में हिंदी अनुभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में भाग लेने और सहयोग देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करके कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के अगरतला गैस टरबाइन प्लांट, रामचंद्र नगर, अगरतला में दिनांक 21 और 22 मई, 2008 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन श्री बी. सी. चौधुरी, उप-महाप्रबंधक (वै./यां) द्वारा किया गया । श्री पी. एल. जोशी, हिंदी अधिकारी, कारपोरेट कार्यालय शिलांग ने हिंदी कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम के उपबंधों की भी जानकारी प्रदान की गई । श्री पी.एल. जोशी, हिंदी अधिकारी, कारपोरेट कार्यालय शिलांग एवं श्री नरेन्द्र सिंह राठौर, वरि. हिंदी अनुवादक, असम राइफल्स, अगरतला के द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण के दौरान टिप्पण तथा प्रारूप लेखन का अभ्यास करवाया गया तथा प्रशासनिक शब्दावली, कार्यालयीन कार्यों में प्रयुक्त होने वाली अभिव्यक्तियों के साथ-साथ सरकारी पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी भी दी गई । कार्यशाला में कुल 19 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रतिभागियों को उत्साहित करने हेतु मूल्यांकन सत्र भी रखा गया जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

कार्यशाला के अंत में श्री ए.ए.पी. कुजुर, प्रबंधक (का. व प्रशा.) ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि इस कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान को कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग करें और प्लांट में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में योगदान देकर अपने संविधानिक दायित्वों का पालन करें । अंत में उन्होंने प्लांट में हिंदी कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया । असम राइफल्स के अधिकारियों को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया । इसके साथ ही दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला सम्पन्न हुई ।

गुवाहाटी रिफाइनरी

हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा कार्यालयीन कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु गुवाहाटी रिफाइनरी प्रशिक्षण केंद्र में 28 अप्रैल, 2008 को गुवाहाटी रिफाइनरी के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा हिंदी संयोजकों तथा नराकास सदस्य कार्यालयों के सदस्यों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । गुवाहाटी रिफाइनरी के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण) श्री कैलाश चन्द्र ने कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में कहा कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में इस प्रकार की कार्यशालाओं के नियमित आयोजन से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की लिखावट, एवं पत्राचार में सार्थक सुधार हो सकते हैं । उन्होंने आशा व्यक्त की, कि सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला का भरपूर लाभ उठायेंगे और कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा का प्रयोग करेंगे ।

हिंदी कार्यशाला के प्रथम सत्र में हिंदी शिक्षण योजना से संकाय सदस्य के रूप में पधारे श्री राधेश्याम उपाध्याय ने टिप्पणी एवं मसौदा लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी दी । द्वितीय सत्र में यूको बैंक से संकाय सदस्य के रूप में पधारे श्री अजयेन्द्र त्रिवेदी ने वाक्य रचना के विविध रूपों की विस्तृत जानकारी दी । इसी अवसर पर प्रतिभागियों के बीच हिंदी कहानी पाठन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया ।

हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड

कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम - 788 802

हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड़, कछाड़ पेपर मिल, पंचग्राम के प्रशासनिक भवन में 12 एवं 13 मई, 2008 को ''राजभाषा कार्यशाला'' का आयोजन किया गया, जिसमें 17 कार्मिकों ने भाग लिया । कार्यशाला के प्रथम दिन क्रमशः श्री संजीव सिंह, संपादक, वराक वार्ता, शिलचर एवं सुश्री मौसुपी मालाकार, व्याख्याता, महिला महाविद्यालय, शिलचर ने ''हिंदी के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका'' तथा ''जन-संचार माध्यमों का हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान'' विषय पर प्रकाश डाला । श्री मदन सिंघल, सचिव एवं प्राचार्य, अग्रसेन हिंदी संस्थान, शिलचर ने ''हिंदी के लेखन-वाचन की कठिनाई तथा समाधान'' विषय पर प्रतिभागियों को लाभान्वित किया । कार्यशाला के दूसरे दिन अर्थात् 13 मई को जगन्नाथ सिंह, महाविद्यालय, उधारवंद (शिलचर) के हिंदी व्याख्याता श्री संतोष चतुर्वेदी तथा श्री दिलीप ठाकुर ने क्रमशः ''हिंदी की व्याकरणिक समस्याएं और समाधान'' एवं ''प्रयोजन मूलक हिंदी'' पर

प्रकाश डाला । श्री सुरेश चंद्र द्विवेदी, हिंदी शिक्षक, डीएनएनकेजी हायर सेकेंडरी स्कूल, शिलचर ने ''हिंदी की व्याकरिणक समस्याएँ एवं समाधान'' विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर प्रतिभागियों को हिंदी व्याकरण की बारीकियों से अवगत कराया । कार्यशाला की व्यवस्था में उप प्रबंधक (मा.सं. एवं का. से.) व प्रभारी (राजभाषा) श्री जगदीश देवनाथ की विशेष सराहनीय भूमिका रही । जबकि मिल के वरिष्ठ सहायक एसजी (राजभाषा) श्री चितरंजन लाल ने उपस्थितों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन किया ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई हवाई अड्डा, चेन्नई-600027

कार्यालय में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से भा.वि.प्रा., क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में दिनांक 17-06-2008 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

17 जून, 2008 को 10.00 बजे उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें श्री एल.एल. कृष्णन, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., दक्षिणी क्षेत्र, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि राजभाषा नीति के सशक्त कार्यान्वयन के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के हिंदी कार्यक्रमों, जैसे कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन लगातार किया जाना जरूरी है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी से प्रभावी राजभाषा कार्यान्वयन लाने में हम सफल बन जाएँगे । श्री टी. एस. चन्द्रमौली, महाप्रबंधक (इंजी.), श्री डी. अनबलगन, महाप्रबंधक (सं.दि.नि.-चेन्नई), श्री ए.के. राव, महाप्रबंधक (वि.-चेन्नई) एवं श्री एन. गणेश, महाप्रबंधक (वि.-द.क्षेत्र) ने हिंदी कार्यशाला के लिए आर्शीवचन दिए । श्री पी. राजशेखर, वरिष्ठ सहायक (रा.भा.) के धन्यवाद ज्ञापन से उद्घाटन समारोह का समापन हुआ ।

उद्घाटन के पश्चात् हिंदी कार्यशाला के प्रथम सत्र के अतिथि व्याख्याता डॉ. वी.वी. कुचरु, मुख्य अधिकारी (राजभाषा), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नई ने ''राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन'' विषय पर प्रभावशाली व्याख्यान दिया है । दूसरे सत्र की अतिथि वक्ता के रूप में श्री पी. जीवदर्शन, हिंदी अधिकारी, क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, चेन्नई ''प्रारंभिक हिंदी, व्याकरण, सामान्य वाक्य संरचना'' आदि विषयों पर व्याख्यान दिया और हिंदी व्याकरण को लेकर प्रतिभागियों से अभ्यास करवाया । तीसरे सत्र में ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली'' विषय पर प्रबंधक (रा.भा.) ने जानकारी दी । उन्होंने परिचर्चा के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया । कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के विभिन्न अनुभागों के 20 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया । अंतिम सत्र में प्रतिभागियों ने कार्यशाला के बारे में अपना विचार व्यक्त किया । कार्यशाला में नामित प्रशिक्षणार्थियों के लिए हिंदी निबंध, संदर्भ साहित्य एवं शब्दावली पुस्तकें वितरण किए गए । हिंदी कार्यशाला कार्यक्रम का समापन डॉ. इन्दिरा रानी थॉमस, प्रबंधक (रा.भा.) के मार्गदर्शन रूपी उद्गारों से हुआ ।

मुख्यालय, मुख्य अभियंता, सेवक परियोजना, पिन-031 714 द्वारा 99 सेना डाकघर

दिनांक 22 मई, 2008 से 24 मई, 2008 तक एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला की अवधि प्रतिदिन 11.30 बजे से दोपहर 13.30 बजे तक दो घंटे की थी । हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन परियोजना के हिंदी अधिकारी श्री दलजीत कुमार कश्यप, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ने की ।

इस कार्यशाला में परियोजना सेवक मुख्यालय तथा स्थानीय यूनिटों के 14 कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला में, कार्यशाला आयोजित करने के उद्देश्य, हिंदी लिपि, वर्तनी, पत्र, परिपत्र, नोटिंग, अन्तर-कार्यालय-टिप्पणी, आदि के अभ्यास के साथ पत्र व्यवहार तथा दैनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों का अभ्यास कराया गया तथा हिंदी में प्रोत्साहन योजनाओं एवं राजभाषा नियम/अधिनियम/संकल्प आदि के बारे में भी कर्मचारियों को जानकारी दी गई ।

कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर बोलते हुए परियोजना के हिंदी अधिकारी श्री दलजीत कुमार कश्यप, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ने कहा कि आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने दैनिक सरकारी कार्य में सरल हिंदी का प्रयोग करें जिससे कि आपकी बात दूसरों की समझ में आसानी से आ सके तथा इस कार्यशाला में बताई गई बातों का उपयोग अपने दैनिक सरकारी

काम काज में करें और आप अपने अंदर हिंदी में कार्य करने की इच्छा जगाएं व अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करें ताकि हम अपने 55 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकें ।

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) सेक्टर-9, चंडीगढ़

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) चंडीगढ़ के मुख्य कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना दैनिक कार्य हिंदी में सुविधाजनक ढंग से करने के प्रयोजन से दिनांक 22-5-2008 एवं 23-5-2008 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में मुख्य कार्यालय में कार्यरत 42 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला का उद्घाटन रक्षा लेखा अपर नियंत्रक श्री राज कुमार अरोड़ा द्वारा किया गया । अपने वक्तव्य में उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्य, लयीन काम-काज में इसके समुचित प्रयोग करने हेतु समस्त प्रशिणार्थियों से आग्रह किया । उद्घाटन सत्र के पश्चात् हिंदी अधिकारी श्री गंगादास बासिया द्वारा संविधान में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के विषय में जानकारी दी । उन्होंने अपने व्याख्यान में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हिंदी संबंधी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2008-2009 में निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्यों की जानकारी भी दी । कार्यशाला के दूसरे दिन कार्यालयीन पत्राचार पर चर्चा की गई । हिंदी अधिकारी ने विस्तार से चर्चा के दौरान पत्राचार के विभिन्न मसौदे प्रस्तुत किए एवं मूलरूप से हिंदी में टिप्पणी तथा प्रारूप तैयार करना भी सिखाया । सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और हिंदी में पत्र लेखन का अभ्यास किया ।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, फर्टिलाइजर नगर, बड़ोदरा-301750

भारी पानी संयंत्र, बड़ौदरा में दिनांक 11-6-2008 को वित्त वर्ष 2008-2009 के पहली हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । यह कार्यशाला संयंत्र के ट्रेड्समेन तथा अन्य वर्ग के लिए आयोजित की गई थी । कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, संयंत्र के महाप्रबंधक श्री आदित्य भौमिक ने कहा कि हिंदी के राजभाषा होने के कारण ज्यादा से ज्यादी काम हिंदी में करना चाहिए । लेकिन प्रचलित परिपाटी के कारण तकनीकी क्षेत्र में अंग्रेजी में काम-काज चल रहा है । शाब्दिक अनुवाद के स्थान पर मूल भावार्थ को समझ कर हिंदी का प्रयोग करना चाहिए । इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति ने अपने निरीक्षण के बाद हमारे कामकाज की सराहना करते हुए पत्र प्रेषित किया है, जो बहुत बड़ी बात है ।

श्री प्रकाश चंद्र जैन, उप महाप्रबंधक ने कार्यशाला में वितरण हेतु कुछ वाक्यांशों की सूची देते हुए कहा कि यह सूची अत्यंत उपयोगी रहेगी क्योंकि कई बार मालूम होते हुए भी वक्त पर हिन्दी पर्याय याद नहीं आते हैं । इसके अलावा, सरकारी कामकाज करने में सुविधा की दृष्टि से सभी को हिंदी फोंट सॉफ्टवेयर ISM-2000 की ध्वन्यात्मक कुंजियों के चार्ट तथा भारी पानी शब्दावली की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गईं ।

इस हिंदी कार्यशाला में ISM-2000 के साथ-साथ यूनीकोड पर भी प्रकाश डाला गया । सिद्धांत पक्ष के अलावा व्यवहार पक्ष को ध्यान में रखते हुए सभी से हिंदी में टिप्पण लेखन, आदि का अभ्यास कराया गया । इस कार्यशाला में, डेंजर (अंग्रेजी)-खतरा (हिंदी)-भय (गुजराती) के माध्यम से हिंदी पर क्षेत्रीय भाषा अर्थात् गुजराती के प्रभाव की रोचक तथा ज्ञानवर्धक चर्चा की गई, क्योंकि हिन्दी में भय का प्रयोग डेंजर के स्थान पर डर के संदर्भ में किया जाता है । अत: डेंजर के लिए हिंदी में भय शब्द का प्रयोग सही प्रयोग नहीं है ।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड

अधिकारियों में हिंदी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रणालय में पहली बार अधिकारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का दिनांक 22 और 23 अप्रैल, 2008 को आयोजन किया गया । उप महाप्रबंधक श्री एन. जे. सन्नी ने कार्यशाला का शुभारंभ किया । उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनभाषा में अर्थात् हिंदी में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए जिससे वे अपने कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे । उन्होंने कहा कि इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में सभी आवश्यक भाषाओं का ज्ञान रखना समय की आवश्यकता है । उन्होंने चीन का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि चीन जैसे देश ने भी अब अपने विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षकों को आमंत्रित किया है और अब अनेक बड़े देश भारत के साथ व्यापार करने के

लिए हिंदी सीख रहे हैं । उन्होंने हिंदी को अधिक व्यवहारिक और सरल बनाने के लिए सभी अधिकारियों से हिंदी सीखने और उसका उपयोग अपने सरकारी कार्य में करने की अपील की । उन्होंने कहा कि इसका अच्छा प्रभाव अधीनस्थ स्टाफ पर पड़ेगा । कार्यशाला में राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं, हिंदी शब्दलेखन और हिंदी पत्राचार तथा हिंदी में कार्य आरंभ कैसे करें ? इत्यादि विषयों पर व्याख्यान दिए गए । कार्यशाला का समापन श्री मनिष शंकर, कार्य प्रबंधक ने किया और उन्हीं के करकमलों से अधिकारियों को प्रमाणपत्र दिए गए । अधिकारी प्रतिभागियों ने भी कार्यशाला के आयोजन और प्राप्त हिंदी ज्ञान के प्रति संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की और सफल आयोजन के लिए श्री शेखर वि. मुर्हेकर, सहायक निदेशक (राजभाषा) और हिंदी स्टाफ को धन्यवाद दिया ।

भारतीय प्रसारण निगम आकाशवाणी, नागपुर

आकाशवाणी, नागपुर में बुधवार, दिनांक 4 जून, 2008 को ''हिंदी कार्यशाला'' का आयोजन किया गया । आकाशवाणी नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारम्भ, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह, अधिक्षण अभियन्ता की उपस्थिति में संपन्न हुआ । कार्यक्रम प्रमुख श्री चंद्र मणि बेसेकर विशेष रूप से उपस्थित थे । कार्यशाला का संचालन कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी हिंदी अधिकारी श्री संजय एस.भक्ते ने किया ।

कार्यशाला का मार्गदर्शन मुख्य अतिथि डॉ. यादव बाबनकुले, सहायक निदेशक राजभाषा, भारत संचार निगम लिमिटेड, झिरो माईल्स, नागपुर ने किया । ''राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन'' विषय पर पावर पॉइन्ट प्रेझन्टेशन द्वारा बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, राजभाषा नीति तथा नियम अधिनियम की जानकारी के बिना राजभाषा कार्यान्वयन में लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है ।

कार्यशाला में आकाशवाणी, नागपुर के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अधिक संख्या में उपस्थित थे ।

बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा 441904 (महाराष्ट्र)

केंद्रीय रेशम बोर्ड की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वधान में केंद्रीय रेशम बोर्ड में तकनीकी सह प्रदर्शन केंद्र में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 27-4-2008 को किया गया । कार्यशाला में केंद्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित सभी कार्यालयों के 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री एस. एस. तायडे, जिला विकास अधिकारी, नाबार्ड, भंडारा थे, जिन्होंने पारम्पारिक दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एस. के. माथुर, वैज्ञानिक-डी (संयुक्त निदेशक), केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा ने की ।

डॉ. एस. के. माथुर ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में चल रहे राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में, विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं हिंदी कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डाला । इस कार्यशाला में राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक विभिन्न प्रपत्रों के प्रारूपों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं उन्हें परिचालित किया गया ताकि कार्यालयीन कार्यों में एकरूपता एवं गति प्रदान की जा सके ।

श्री एस. एस. तायडे ने राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये एवं केंद्रीय रेशम बोर्ड के भंडारा स्थित कार्यालयों में 100% कार्य हिंदी में करने एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें पुरस्कृत करने के लिए डॉ. एस. के. माथुर के नेतृत्व में किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की एवं उन्हें बधाई दी ।

कार्यक्रम का संचालन श्री एस. एस. कडू ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय स्तर अनुसंधान केंद्र भंडारा के डॉ. आर. एस. कटियार, वैज्ञानिक-सी ने किया ।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सैक्टर-67, एस.ए.एस. नगर (मोहाली)-160062 चंडीगढ़

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), एस.ए.एस. नगर में वर्ष 2008 की द्वितीय हिंदी कार्यशाला दिनांक 10 जून 2008 को आयोजित की गई । कार्यशाला में संस्थान के छात्रों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया । कार्यशाला में दो प्रतियोगिताएं आयेजित की गई जिसमें अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद तथा स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता शामिल थी । स्वरचित कविता में डॉ. प्रमोद मेश्राम, वैज्ञानिक ने हाल ही में संपन्न हुए पंजाब में जिला एवं ग्राम पंचायत के चुनावों पर अपनी स्वरचित कविता 'नाईपर के चुनावी सहभाग' का वाचन किया जिसे कार्यशाला में उपस्थित लोगों द्वारा काफी सराहा गया ।

कार्यशाला के समापन समारोह पर श्री सुब्रतो सरकार, कुलसचिव ने कहा कि कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों की स्वरचित कविताएं बहुत ही अच्छी थीं तथा इन कविताओं को नाईपर दर्पण में प्रकाशित होने के लिए हिंदी कक्ष को भेजी जाएं। तथा इसके साथ ही उन्होंने दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रमाण पत्र तथा प्रतीक चिन्ह वितरित किए। इस अवसर पर डॉ. अभय पांडे, सहायक प्रोफेसर तथा श्री संतोष सोहगौरा, प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) एवं जनसंपर्क अधिकारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यशाला में प्रतियोगिताओं के निर्णयक सदस्यों के रूप में डॉ. अभय पांडे एवं श्री संतोष सोहगौरा ने कार्य निष्पादित किया। उक्त अवसर पर श्रीमती प्रौमिला ठाकुर, सहायक (हिंदी) सहित संस्थान के अनेक कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जहाज निर्माणकर्ता, वास्को-द-गामा, गोवा-403802

दिनांक 21 मई, 2008 को गोशिलि के अधिकारी वर्ग के लिए एक प्रयोजन मूलक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन अतिथि वक्ता डॉ. हरि सिंह राणा, अपर निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैंगलोर ने किया।

अतिथि वक्ता डॉ. राणा ने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग, सरल एवं सहज बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी। छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग, टिप्पणियों का उचित प्रयोग, शब्द रचना, वाक्य रचना हिंदी लिखते समय होने वाली त्रुटियां से बचाव आदि के लिये उचित तरीके बताए। इस कार्यशाला में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारी, अभियंता आदि पदनामों वाले कुल 103 अधिकारियों ने अत्यधिक उत्साह और रुचिपूर्वक भाग लेकर कार्यशाला का लाभ उठाया। हिंदी के प्रयोग से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान भी उन्होंने कार्यशाला के दौरान प्राप्त किया।

संघ की राजभाषा नीति के सही अनुपालन हेतु गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हिंदी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी के बढ़ते चरण के क्रम में गोशिलि में हिंदी के पत्राचार को बढ़ाने की दृष्टि से, शुद्ध हिंदी में टिप्पणी लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टेबल कैलेन्डर के रूप में मानक टिप्पणियां हिंदी अनुभाग द्वारा तैयार कर प्रकाशित की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कार्य हिंदी में करने सहायक मानक टिप्पणियां टेबल कैलेन्डर का विमोचन भी समारोह में मुख्य अतिथि श्री अनंतशयनम, निदेशक (वित्त) के करकमलों से इस कार्यशाला में किया गया। सभी उपस्थित अधिकारियों को टैबल कैलेन्डर की एक-एक प्रति वितरित की गई। इससे न केवल शुद्ध हिंदी लिखने में मदद मिलेगी वरन अधिकारी वर्ग की झिझक मिटाने में भी सहायता मिलेगी। यह टेबल कैलेन्डर हिंदी भाषा का सही प्रयोग जानने के लिए इच्छुक तथा अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में उसके प्रयोग करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, 74-75, दक्षिण मार्ग, सैक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में 16 मई, 2008 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री स्वतंत्र कुमार, महाप्रबंधक ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजभषा के कार्यक्रम महज एक औपचारिकता ही नहीं होनी चाहिए बल्कि हम सबको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी भाषा को महत्व देते हुए हिंदी में काम करना चाहिए हमें अपनी भाषा में काम करते हुए गौरवान्वित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी कार्यशालाओं और हिंदी के अन्य कार्यक्रम जिनसे कार्मिकों में हिंदी में कार्य करने के प्रति रुचि बढ़े, नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।

कार्यशाला के प्रथम सत्र, में डॉ. पंकज अनेजा, हिंदी अधिकारी, पीजीआई, चंडीगढ़ ने आत्म विकास में हिंदी का योगदान विषय पर प्रभावशाली व्याख्यान दिया जिससे सहभागियों की कई शंकाओं का समाधान हुआ।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में श्री अर्नेष्ट तिर्की, प्रमुख (मानव संसाधन) ने हिंदी पत्राचार-नोटिंग, अर्ध-शासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश एवं पत्र लेखन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने अभ्यास सत्र के दौरान सहभागियों से नोटिंग ड्राफ्टिंग, अर्धाशासकीय पत्र, परिपत्र और कार्यालय आदेश आदि लिखना सिखाया। सहभागियों ने इस सत्र को बहुत उपयोगी बताया।

कार्यशाला के तीसरे सत्र में श्री देश राज, सहायक राजभाषा अधिकारी ने वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 के अनुपालन और राजभाषा निरीक्षण पर आवश्यक मदों की जानकारी दी। ■

प्रेरणा पुंज

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, उपक्रम, बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां तथा राजभाषा हिंदी से जुड़ी गैर-सरकारी संस्थाएं आदि राजभाषा हिंदी के विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं । इसके पीछे उनकी क्या कार्यनीति रही है, इसका जायजा लेने के लिए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कुछ कतिपय कार्यालयों के प्रमुखों से भेंटवार्ता की जाए । संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वस्तुस्थिति भेंटवार्ता के दौरान उनकी व्यस्तता को देखते हुए स्वयं बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों से जानना यद्यपि कोई सरल कार्य नहीं है । फिर भी उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया । यह उनके राजभाषा हिंदी प्रेम का परिचायक है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), चेन्नई के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक के श्री टी. वेंकट रेड्डी, इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) मदुरै के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री के. सीताराम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मदुरै से बातचीत के दौरान कई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां उभर कर आई हैं । आशा है राजभाषा भारती के पाठकों को इस जानकारी से राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी । इस अंक में ''राजभाषा भारती'' के सहायक संपादक श्री शान्ति कुमार स्याल द्वारा की गई भेंटवार्ता के अंश यहां प्रस्तुत हैं ।

–संपादक

श्री टी. वेंकट रेड्डी, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), चेन्नई, एवं महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नई के साथ भेंट वार्ता

राजभाषा भारती : *श्रीमान्, सबसे पहले आपके व्यस्ततम कार्यक्रम में से कुछ समय देने पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से ''राजभाषा भारती परिवार'' आपका आभारी है । आपके नेतृत्व में आपके बैंक को भारत सरकार व अन्य संस्थानों से अनेक पुरस्कार मिले हैं, इसके पीछे आपने कौन सी कार्यनीति अपनाई है ?*

श्री रेड्डी : **मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गत चार-पांच सालों से इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम हर स्तर पर पुरस्कारों की सूची में शुमार है । कभी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से तो कभी भारतीय रिज़र्व बैंक से राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमारे बैंक को पुरस्कार मिले हैं एवं हमारे बैंक द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'वाणी' को**

हर वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से पुरस्कार मिलते आए हैं । इन उपलब्धियों के पीछे दो मुख्य कारण बताना चाहूंगा–एक, उच्च प्रबंधन का सक्रिय सहभागिता और अटूट समर्थन और दूसरा कारण राजभाषा से जुड़े अधिकारियों की टीम भावना एवं काम के प्रति समर्पित भावना । हमारे बैंक में उच्च प्रबंधन राजभाषा नीति को गंभीरता से लेता है और उसके कार्यान्वयन के प्रति कटिबद्ध है । उच्च प्रबंधन सिर्फ बातों में विश्वास नहीं रखता है । कार्य में व्यवहारिकता लाने का प्रयास करता है ।

राजभाषा भारती : *बैंक नराकास के अध्यक्ष होने के नाते नियमित रूप से बैठकों तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कैसा सहयोग मिलता है ?*

श्री रेड्डी : **चेन्नई नगर समिति के पैंतीस सदस्य हैं । सभी सदस्य बैंकों से हमें पूर्ण सहयोग मिलता है । यह आसान काम नहीं है । फिर भी समिति के सदस्य सचिव डॉ. शेख अब्दुल कादर जी की मुख्य भूमिका रहती है, वह अपने व्यक्तिगत संबंधों एवं लगातार अनुवर्तन की वजह से हम अपनी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने में सफल हुए हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि न सिर्फ बैठकों में बल्कि समिति की ओर से आयोजित सभी कार्यक्रमों में सभी सदस्य बैंकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है ।**

राजभाषा भारती : *बैंक के शीर्ष प्रबंधन को हिंदी में कामकाज करने व करवाने के लिए कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?*

श्री रेड्डी : **भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति को लागू करने के प्रति हमारा उच्च प्रबंधन कटिबद्ध है । इसलिए जो भी मुश्किलें आती हैं उनका समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं ।**

राजभाषा भारती : *बैंकों में हिंदी के काम-काज बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए ?*

श्री रेड्डी : **बैंकों में हिंदी में कामकाज को बढ़ाने के लिए सब से पहले अनुशासन आवश्यक है । बैठकों में यदि उच्च कार्यपालक भाग लेंगे, तो उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी काम करने में प्रेरित रहेंगे और अनुशासनबद्ध रहेंगे ।**

राजभाषा भारती : *बैंकों के कारोबार को बढ़ाने में हिंदी की क्या भूमिका है ?*

श्री रेड्डी : ***बैंकों के कारोबार को बढ़ाने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है । जनता की भाषा में काम करने में व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है ।***

राजभाषा भारती : *बैंकिंग सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या योगदान है ?*

श्री रेड्डी : **क्षेत्रीय भाषाओं का कुछ खास योगदान नहीं रहता है । क्योंकि हम केंद्रीय सरकार के अधीन हैं । अधिकांश हिंदी और अंग्रेजी में ही काम होता है ।**

राजभाषा भारती : *हिंदी के प्रचार-प्रसार में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की हिंदी गृह पत्रिकाओं की क्या भूमिका है ?*

श्री रेड्डी : **हिंदी के प्रचार-प्रसार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिंदी पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनमें बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिखित साहित्यिक लेखों, कहानियों, कविताओं के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर मिलता है । कार्यालय के समस्त कार्यकलापों की जानकारी संस्था के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तक आसानी से पहुंचती है ।**

राजभाषा भारती : *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने आगामी दिनों में कड़ी चुनौतियां आएंगी । इन चुनौतियों में व्यावसायिक और सेवा भावना की दृष्टि से हिंदी भाषा की क्या भूमिका होगी ?*

श्री रेड्डी : **व्यावसायिक दृष्टि से हिंदी में काम करने की बहुत आवश्यकता होगी । अब बैंकिंग ग्राहकों के घरों तक पहुंच रही है । इसलिए माध्यम ग्राहकों की भाषा ही होगी । अतः भविष्य में भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की भाषा महत्वपूर्ण रहेगी ।**

राजभाषा भारती : *हिंदी के व्यापक प्रचार और प्रसार व कार्यान्वयन में आपकी भावी योजनाएं क्या हैं ?*

श्री रेड्डी : **कंप्यूटरों का युग है । अब सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रवेश हो चुका है । सूचना प्रौद्योगिकी एक मशीन है । लेकिन उसकी भाषा अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है । भारतीय जनता के हित में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तो वहां उसकी भाषा हिंदी या क्षेत्रीय भाषा ही होनी है । इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी बहुत समय तक हिंदी और भारतीय भाषाओं से अलग नहीं रह सकती । इंडियन ओवरसीज बैंक का लक्ष्य भी यही है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आईटी विभाग के साथ योजनाएं, उपाय बना रहे हैं । जैसे हमारी वेब साइट हिंदी में है । हमारे बैंक द्वारा तैयार आईओबी प्रवीण पाठ्यक्रम ऑनलाइन कर दिया है । बैंक के अनुदेश पुस्तक के छः खंड, जिसके लगभग तीन हजार पृष्ठ हैं, ऑनलाइन कर दिया है । हिंदी में नोटिंग सहायिका ऑनलाइन कर दिया गया है अब हम नेमी पत्राचार को भी द्विभाषिक कर ऑनलाइन करने वाले हैं ।**

राजभाषा भारती : *राजभाषा भारती के माध्यम से आप हमारे पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं ?*

श्री रेड्डी : **बैंकिंग क्षेत्र में तो हिंदी में काम हो रहा है । अब समय है कि हम अपना काम जनता के साथ जनता की भाषा में करें । इसके लिए ''क'' क्षेत्र में जहां हिंदी उनकी मातृभाषा है, वहां से सबसे पहले हिंदी में काम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए । उसके बाद इन प्रयासों को ''ख'' और ''ग'' क्षेत्र में किए जाने चाहिए ।**

■

श्री के. सीताराम, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मदुरै एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ मदुरै के साथ भेंटवार्ता

राजभाषा भारती : *श्रीमान जी, आप जी के द्वारा भेंटवार्ता हेतु अमूल्य समय देने के लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की ओर से ''राजभाषा भारती परिवार" आपका आभारी है । नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होने के नाते नियमित रूप से बैठकों तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कैसा सहयोग मिलता है ?*

श्री सीताराम : **हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि नराकास की बैठकें भारत सरकार द्वारा जारी कैलेण्डर के अनुसार आयोजित हों । बैठक की सूचना सदस्य कार्यालयों को बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दी जाती है। चूंकि बैठक में सदस्य कार्यालय के वरिष्ठ कार्यपालक भाग लेते हैं, अतः बैठक के स्थान का चयन भी उनकी गरीमा के अनुसार किया जाता है। सदस्य कार्यालयों को बैठक की सूचना शासकीय पत्र के साथ-साथ अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से कूरीयर से भेजी जाती है। इसके अलावा भी बैठक की तिथि पर सभी कार्यालयों को ई-मेल के माध्यम से बैठक का अनुस्मरण कराया जाता है ।**

हमने पाया है, कि अधिकांश कार्यालय बैठक को गंभीरता से लेते हैं और बैठक की कार्यवाही में सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं। इस संबंध में मैं विशेष रूप से भारत संचार निगम लिमिटेड, आकाशवाणी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं दक्षिण रेलवे का नाम लेना चाहूंगा, जिनके कार्यालय प्रमुखों की प्रत्येक बैठक में सक्रिय भूमिका रही है। समीक्षा के दौरान बताई गई कमियों को संबंधित कार्यालय गंभीरता से नोट करते हैं और अगली बैठक से पूर्व इनका निराकरण भी करते हैं ।

राजभाषा भारती : *बैंक के शीर्ष प्रबंधन को हिंदी में काम-काज करने व करवाने के लिए कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है?*

श्री सीताराम : **बैंकिंग व्यवसाय पूर्णतः ग्राहक सेवा पर आधारित है, अतः ग्राहक की भाषा ही हमारे व्यवसाय की भाषा है। इस रूप में तमिलनाडु में हिंदी, तमिल के साथ मिलकर चलती है। जो बड़ी समस्या हमारे समक्ष आती है वह है स्टाफ को हिंदी में कार्य करने में प्रवीण बनाने की। चूंकि शैक्षिक स्तर पर स्टाफ हिंदी भाषा के ज्ञान से वंचित रहे हैं, अतः उन्हें भारत सरकार की प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के माध्यम से हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान दिलाकर इस योग्य बनाया जाता है, कि वे हिंदी में कार्यालयीन कार्य कर सकें। स्टाफ को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना नराकास का प्रमुख लक्ष्य रहा है ।**

राजभाषा भारती : *कार्यालयों एवं बैंकों में हिंदी का काम-काज बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिएं?*

श्री सीताराम : — सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी कार्य हिंदी में किया गया हो उसे वरीयता मिले, इससे स्टाफ-सदस्यों की मानसिकता हिंदी में कार्य करने की बनेगी ।

— कार्यालय/बैंक अपने स्तर पर हिंदी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर छोटी-छोटी प्रोत्साहन योजनाएं चलाएं ।

— हिंदी में किए गए कार्य को संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी के माध्यम से सभी सदस्यों की जानकारी में लाया जाए ।

— पत्रों के द्विभाषिक प्रारूप तैयार करें एवं सभी से इसे प्रयोग करने का आग्रह करें ।

— तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा कर इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सदस्यों के विचार लेकर अनुपालन सुनिश्चित करें ।

— सुनिश्चित करें, कि सभी नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट, साइन बोर्ड त्रिभाषी हों तथा रबर की मुहरें, रजिस्टर, फार्म एवं अन्य प्रिंटिंग सामग्री त्रिभाषी/द्विभाषी मुद्रित हों ।

— कार्यालय प्रमुख की मानसिकता पर ही अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों की मानसिकता निर्भर करती है, अतः अगर कार्यालय प्रमुख स्वयं हिंदी कार्यों में रुचि लेंगे तो स्टाफ अवश्य उनका अनुसरण करेंगे। अतः कार्यालय प्रमुखों/विभाग प्रभारियों द्वारा अनिवार्य रूप से पत्रों पर द्विभाषी टिप्पणी लिखी जाएं ।

राजभाषा भारती : *बैंकों के कारोबार को बढ़ाने में हिंदी की क्या भूमिका है ?*

श्री सीताराम : आज की बैंकिंग आम जनता से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। चाहे देश का किसान, मजदूर हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से बैंक के द्वारा की जा रही है । बैंकिंग व्यवसाय पूर्णतः लाभोन्मुख व्यवसाय है, जहाँ बैंक को व्यवसाय के लिए आम जनता से जुड़ना पड़ता है। हमारे देश के आम लोगों की भाषा हिंदी है, इसे देश की 75% जनता जानती, बोलती या समझती है। अतः सामान्य जनता से जुड़ने हेतु हिंदी भाषा की अहम भूमिका है । सामान्य जन की भाषा ही बैंक के व्यवसाय की भाषा है और हिंदी की उपेक्षा कर कोई भी बैंक अपने व्यवसाय में प्रगति नहीं कर सकता ।

राजभाषा भारती : *बैंकिंग सेवाओं में क्षेत्रीय भाषाओं का क्या योगदान है ?*

श्री सीताराम : जैसा कि मैने पहले ही कहा है, जनता की भाषा का बैंकिंग व्यवसाय में अहम रोल है । भारत एक ऐसा देश है, जहाँ क्षेत्रीय स्तर पर विविध भाषाएं बोली जाती हैं । हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जहाँ देश के सभी लोगों को एक दूसरे से बाँधे रखती है, वही क्षेत्र विशेष की भाषा उस क्षेत्र की सामान्य जनता को बैंक से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है । अतः हिंदी के साथ-साथ बैंक के व्यवसाय वृद्धि में क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है ।

राजभाषा भारती : *हिंदी के प्रचार-प्रसार में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की हिंदी गृह पत्रिकाओं की क्या भूमिका है ?*

श्री सीताराम : हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी के प्रति जन-सामान्य को जागरुक बनाने में पत्रिकाओं की उपयोगिता को कोई नकार नहीं सकता । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों

द्वारा अपने आंतरिक परिचालन हेतु विभिन्न हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं, जो कि देश में उपलब्ध शाखाओं/कार्यालयों के प्रत्येक भाषा-भाषी स्टाफ को प्रदान की जाती हैं । जहाँ एक ओर ये पत्रिकाएं गैर हिंदी भाषी पाठकों को हमारी राजभाषा हिंदी से जोड़कर हिंदी का प्रचार-प्रसार कर रही हैं, वही दूसरी ओर आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को सरल एवं सहज भाषा में परोसकर स्टाफ सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि कर रही हैं ।

राजभाषा भारती : *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामने आगामी दिनों में कड़ी चुनौतियाँ आएंगी, इन चुनौतियों में व्यावसायिक और सेवा भावना की दृष्टि से हिंदी भाषा की क्या भूमिका होगी ?*

श्री सीताराम : हाँ यह विदित ही है, कि आगामी समय में बैंकों को देशी एवं विदेशी बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे हिंदी की अस्मिता को कदापि खतरा नहीं है । बैंक कोई भी हो उसे यदि सामान्य जन से जुड़ना है, यदि अपने व्यवसाय में वृद्धि करनी है तो उसे हिंदी को अपनाना ही होगा । विदेशी भाषा के साथ देश में व्यवसाय नहीं किया जा सकता । इसका स्पष्ट उदाहरण आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक निजी बैंक है, का विज्ञापन है ''मैं हूँ ना'' इसी तरह देश में व्यवसाय कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिंदी को अपनाकर ही अपने व्यवसाय को बढ़ाया है-दिल मांगे मोर, ठंडा मतलब कोका कोला, यही है राइट च्वाइस बेबी, आदि हिंदी की महत्ता और शक्ति को व्यक्त करते हैं ।

राजभाषा भारती : *हिंदी के व्यापक प्रचार और प्रसार व कार्यान्वयन में आपकी भावी योजनाएं क्या है ?*

श्री सीताराम : नराकास मदुरै के संयोजन के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा हमें दी गई है, और समिति के अध्यक्ष होने के नाते अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में इस गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र में हमारा रास्ता आसान नहीं है किंतु सदस्य कार्यालयों की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सकारात्मक मानसिक सोच के साथ हम अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों की आवश्यकतानुरूप कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। हम भारत सरकार की अनुवाद कार्यशाला एवं शब्दावली कार्यशाला के आयोजन की भी तैयारी कर रहे हैं, समय की मांग के अनुसार समय-समय पर हम द्विभाषी कंप्यूटर कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे ।

राजभाषा भारती : *राजभाषा भारती के माध्यम से आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ?*

श्री सीताराम : मैं राजभाषा भारती के सभी प्रबुद्ध पाठकों से यही कहना चाहूँगा कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत की इस बहुमूल्य धरोहर हिंदी की गरिमा को महसूस करें और इसकी प्रगति, इसके प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन में बढ़-चढ़ कर भाग लें । राजभाषा के रूप में हिंदी तभी फल-फूल सकती है जब सभी कार्मिक भाषायी भेद-भाव को भूलकर दिल से इसे अपनायेंगे ।

■

हिंदी के बढ़ते चरण

दक्षिण में हिंदी के बढ़ते कदम

परिवर्तन सृष्टि का नियम है, समय के घूमते हुए चक्र के साथ जन-समूह की भावनाएं और विचारों में भी परिवर्तन होता है, कभी जहाँ से हिंदी के सर्वाधिक विरोध की आवाजें उठती थीं, आज वहाँ के ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हिंदी संबंधी रिपोर्टें न केवल हमारी राजभाषा की गरिमा का बल्कि राष्ट्र की भाषायी एकता और भारतीयों की सहिष्णुता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में स्थित मंदिर नगरी मदुरै की, जहाँ केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की हिंदी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अनवरत अपने प्रयासों में लगी हुई है और आज इन प्रयासों का ही परिणाम है कि तमिल समाचार-पत्र भी प्रमुखता से हिंदी कार्यक्रमों को प्रकाशित कर रहे हैं ।

● மதுரை ● வியாழன், மார்ச் 6, 2008

தினகரன்

ஒரு புதிய அனுபவம்

அலுவலக மொழி பயன்படுத்துதல் குறித்து செண்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியா சார்பில் நடந்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் மத்திய அரசு உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

தினமணி

சனிக்கிழமை
3 மே, 2008
மதுரை

'பிராந்திய மொழிகள் உதவியுடன் ஹிந்தி மொழியைப் பரப்ப வேண்டும்'

மதுரை, மே 2: பிராந்திய மொழிகள் உதவியுடன் ஹிந்தி மொழியை அலுவலகங்களில் பயன்படுத்துவதை அதிகரிக்க வேண்டும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் அலுவலக மொழித் துறை இணைச் செயலர் பி.வி.வல்சலா குட்டி கேட்டுக்கொண்டார்.

மதுரையில் நடைபெற்ற நகர ஆட்சி மொழி அமலாக்கக் குழுவின் 39-வது கூட்டத்தில் அவர் பேசியது:

...

இதேபோன்று மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பொதுத் துறை வங்கிகள், சாதாரண மக்களை சென்றடைவதில் இம் மொழிக்கு இருக்கும் பங்கினை புரிந்துகொண்டு செயல்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.

அலுவலக மொழிக் கொள்கையை சிறப்பாக செயல்படுத்திய பாரத் சஞ்சார் நிகம் நிறுவனம், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, ... ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு கேடயங்களை வல்சலா குட்டி வழங்கினார்.

இந்தக் கொள்கையை சிறப்புற செயல்படுத்திய பிற அரசு நிறுவனங்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

இந்தக் கூட்டத்தில் நகர ஆட்சி மொழி அமலாக்கக் குழுவின் தலைவரும் செண்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியாவின் உதவிப் பொது மேலாளருமான ஆர். சிவசுப்பிரமணியன், ... செண்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா மும்பை அலுவலகத் தலைமை மேலாளர் ஆர்.கே.உபாத்யாயா, மதுரை வருமான வரித் துறை துணை ஆணையர் இந்திரகுமார், மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஹேமந்த்குமார் உள்ளிட்ட பலர் பேசினர்.

தினமலர்

நிறுவனர் : டி. வி. ராமசுப்பையர்

சென்னை, வேலூர், புதுச்சேரி, சேலம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில்

■ மதுரை ■ புதன் டிசம்பர் 12 2007

மதுரையில் இந்தி ஆட்சி மொழியாக்கக் குழு சார்பில் விளக்க கையேட்டை மத்திய அமைச்சக பிரிவு மண்டல துணை இயக்குனர் பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்டார். அருகில் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஹேமந்த்குமார், ஆட்சி மொழியாக்கக் குழுத்தலைவர் சிவசுப்ரமணியன், செயலாளர் ரவீந்திரகுமார்.

தினகரன்

ஒரு புதிய அனுபவம்

● மதுரை ● செவ்வாய், டிசம்பர் 25, 2007

செண்ட்ரல் வங்கி ஸ்தாபகர் தின விழா

மதுரை, டிச. 25: மதுரையில் சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியின் 97வது ஸ்தாபகர் தின விழா நடந்தது. சென்ட்ரல் வங்கியின் ஸ்தாபகர் சொராப்ஜி போசகன் வாலா படத்திற்கு ... சிவசுப்பிரமணியன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

வங்கி தலைமை இயக்குநர் தாருவாலா சென்ட் சுவாபிமான் (மூத்த குடிமக்களுக்கான கடன் திட்டம்), சென்ட் உதான் (விமான மாலுமி படிப்பிற்கான கடன் திட்டம்), சென்ட் பால பவிஷ்ய (12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு திட்டம்) போன்ற புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார்.

இவை குறித்து சிவசுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்தார். துணைக் கோட்ட மேலாளர் அய்யாசாமி நன்றி கூறினார்.

தினமணி மதுரை 3

வெள்ளிக்கிழமை, 5 மார்ச், 2004

ஆட்சி மொழி அமலாக்க குழுத் தலைவர் பொறுப்பேற்பு

மதுரை, மார்ச் 5: மதுரை மாநகர ஆட்சி மொழி அமலாக்கக் குழுவின் தலைவராக பாரத சென்ட்ரல் வங்கியின் மண்டல மேலாளர் ... பொறுப்பேற்றார்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக மதுரை வருமான வரி ஆணையர் ரவீந்திரநாத் தலைமையில் இக் குழு செயல்பட்டு வந்தது.

அண்மையில் நடைபெற்ற குழுக் கூட்டத்தில் ஆட்சி மொழி அமலாக்கக் குழுத் தலைவர் பொறுப்பை வருமான வரி ஆணையர் ரவீந்திரநாத்திடமிருந்து ... ஏற்றுக் கொண்டார்.

■ மதுரை ■ வியாழன் ஜூன் 14 2007

தினமலர்

நிறுவனர் : டி. வி. ராமசுப்பையர்

இந்தி மென்பொருள் பயன்பாடு குறித்து பணிமனை

மதுரை, ஜூன் 14:

भाषा की गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित करने में समाचार-पत्रों का योगदान अतुलनीय है, लोगों को जोड़ने में और उन्हें वर्तमान से अवगत कराने में समाचार-पत्रों की महती भूमिका को कोई नकार नहीं सकता, देश की गुलामी के दौरान इन्हीं समाचार-पत्रों ने स्वतंत्रता के प्रति आम लोगों में जागृति लाकर क्रांति की ज्वाला फैलाई थी और आज यहीं समाचार-पत्र हमारी राजभाषा हिंदी के प्रति अपनी सकारात्मक सोच को प्रदर्शित कर जन-जागृति की दिशा में कदम बढ़ा रहे है, मैं नमन करता हूँ तमिल समाचार-पत्र दीनमनी, दीनमलर, दीनकरन और दीनतंदी के इन प्रहरियों को, जो कि आज इस दक्षिण क्षेत्र में हमारी राजभाषा को इतना सम्मान दे रहे हैं ।

राजभाषा के कार्यान्वयन में प्रगति के लिए जितना आवश्यक प्रशिक्षण है उतना ही आवश्यक इसका प्रचार-प्रसार है और आज आवश्यकता भी इसी बात की है कि क्षेत्रीय भाषाओं को साथ में लेकर हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि देश का प्रत्येक भाषा-भाषी इस भाषा की गरिमा और महत्त्व को समझ सके ।

–हितेन्द्र धूमाल

सदस्य-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति मदूरै

■

संगोष्ठी/सम्मेलन

भारत संचार निगम लिमिटेड, चेन्नई टेलीफोन राजभाषा विभाग, 10, मिल्लर्स रोड, चेन्नई-600010

भारत संचार निगम लिमिटेड के परिमंडल, चेन्नई टेलीफोन के राजभाषा अनुभाग द्वारा, तारीख 18-6-08 को ''हॉल ऑफ इन्स्पिरेशन'' में मुख्य महाप्रबंधक एवं जिला राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री. एम. पी. वेलुसामी की अध्यक्षता में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया ।

डॉ. बालशौरी रेड्डी, विख्यात हिंदी लेखक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया । डॉ. वी. वी. कुचरू, मुख्य अधिकारी (राजभाषा), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अतिथि प्रवक्ता के रूप में तथा श्रीमती प्रिया रामचंद्रन, सहायक, एसबीआई व श्रीमती पद्मा किशोर को अंत्याक्षरी संचालकों के रूप में आमंत्रित किया गया ।

श्री के. चंद्रन, उप महाप्रबंधक (प्रशासन) व मुख्य राजभाषा अधिकारी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । इसके पश्चात्, पावर पॉइंट शो के जरिए, श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 को प्रस्तुत किया ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में चेन्नई टेलीफोन के मुख्य महाप्रबंधक, श्री एम. पी. वेलुसामी, ने कहा कि भाषा देश की गरिमा का प्रतीक है। हिंदी भाषा राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति है। सम्मेलन का उद्देश्य, हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों से अधिकारियों का अवगत कराना है ।

मुख्य अतिथि, डॉ. बालशौरी रेड्डी, विख्यात हिंदी लेखक ने अपने प्रवचन में कहा कि हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए, तमिलनाडु राज्य में सराहनीय काम हो रहा है। उन्होंने, हिंदी भाषा के उद्भव विकास तथा संप्रति की स्थिति आदि विभिन्न प्रावस्थाओं को अपने भाषण में समेट लिया। भरी सभा से उन्होंने निवेदन किया कि वे तहे दिल से हिंदी को अपनाएं तथा कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें ।

प्रथम सत्र के दौरान, अतिथि प्रवक्ता के तौर पर आमंत्रित डॉ वी. वी. कुचरू, मुख्य अधिकारी (राजभाषा), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ''राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम'' पर अपना प्रवचन प्रस्तुत करते हुए, राजभाषा हिंदी की अहमीयत तथा संविधान के भाग 17 के विभिन्न अनुच्छेदों में विवरित, राजभाषा हिंदी नीति कार्यान्वयन के प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत किया । श्रीमती मीरा श्रीनिवासन, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने सत्र के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित किया ।

द्वितीय सत्र श्री शशांक भालेकर, उप महाप्रबंधक (आई पी) के स्वागत भाषण से शुरू हुआ। हिंदी अंत्याक्षरी का अगला कार्यक्रम बहुत मनोरंजक रहा । इसका संचालन श्रीमती प्रिया रामचंद्रन सहायक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा श्रीमती पद्मा विशोर ने बखूबी से किया । पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ, राजभाषा सम्मेलन समाप्त हुआ ।

पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी रेडियो कॉलोनी, पो. रिन्जा, शिलांग-793 006 (मेघालय)

जनजातीय भाषाओं के लिए नागरी लिपि उपयुक्त

उत्तर पूर्वी परिषद् (भारत सरकार), शिलांग के सौजन्य से पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी, शिलांग द्वारा दिनांक 14 एवं 15 जून, 2008 को मेघालय की राजधानी शिलांग के डॉनबॉस्को यूथ सेंटर के सेमिनार रूम में दो दिवसीय भारतीय लिपि सम्मेलन का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान शिलांग केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रो. विद्या शंकर शुक्ल तथा अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर इस संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया । इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रो. शुक्ल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक लिपि का होना आवश्यक है । हिंदीतर नेताओं ने नागरी लिपि को राष्ट्र लिपि बनाने का प्रयास किया था और हमारा यह दायित्व है कि इस लिपि के प्रचार-प्रसार पर बल देना

चाहिए । उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की भाषाओं में लिखे गए साहित्य को नागरी लिपि में लिखने का प्रयास करना होगा ताकि इस क्षेत्र के साहित्य को देश के अन्य भागों में ले जाया सके । साथ ही यह भी आवश्यक है कि यहाँ की जनजातीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद हिंदी भाषा में किया जाना चाहिए । एक लिपि में लिखा गया साहित्य देश की मुख्य धारा से जुड़ सकता है । इसके माध्यम से आप यहाँ के साहित्य को देश की मुख्य धारा के साहित्य से जोड़ सकते हैं ।

विशिष्ट अतिथि डॉ. यू. के. मिश्रा ने अपना उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि नागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्‌ध है । अनेक विद्‌वानों ने इस लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना है और इसके प्रचार-प्रसार पर बल दिया है । राष्ट्र की एकता के लिए एक भाषा और एक लिपि का होना आवश्यक है । वैसे तो हर लिपि में थोड़ी बहुत समानता है, फिर भी नागरी लिपि एक अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है । हर भाषा-भाषी को इसे अपनाकर देश की एकता को मज़बूत करनी चाहिए । डॉ. मिश्र ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में जो लिपि विहीन भाषाएं हैं उनके लिए नि:संदेह नागरी लिपि उपयुक्त है । विशिष्ट अतिथि श्री जगन्नाथ बावरी ने कहा कि वास्तव में भाषा और लिपि का प्रश्न भावना से अधिक संबंध रखता है । उन्होंने सभी भारतीय लिपियों के प्रचार-प्रसार पर बल दिया ।

इस संगोष्ठी की अध्यक्षता पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार शर्मा ने की तथा संचालन डॉ. अकेलाभाइ ने किया । अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. शर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार के लिए नागरी लिपि परिषद् तथा पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के प्रयास को सराहा जाना चाहिए । पिछले पाँच वर्षों से परिषद् और अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी और प्रशिक्षण के कई कार्यक्रमों का आयोजन निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण है । डॉ. शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि सभी भारतीय लिपियों में समानता है फिर भी राष्ट्रलिपि का सम्मान नागरी को दिया गया है और नागरी पूर्णत: वैज्ञानिक है । अन्य भारतीय भाषाएं भी इस लिपि में लिखी जा सकती हैं । श्री जानमोहम्मद के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही इस सत्र का समापन हुआ ।

द्‌वितीय सत्र की अध्यक्षता डॉ. सुशील कुमार शर्मा ने की । विशेषज्ञ डॉ. शिप्रा बासु ने नागरी लिपि की वैज्ञानिकता, गुण, दोष आदि पर विस्तृत चर्चा करते हुए नागरी लिपि परिषद् के गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला और पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी के संयोजक से अपील की कि पूर्वोत्तर भारत में नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार की गति को तीव्र किया जाना चाहिए । उन्होंने पूर्वोत्तर की भाषाओं में उपलब्ध साहित्य के लिप्यांतरण पर काफी जोर दिया ।

कृषि अनुसंधान परिषद् के उप निदेशक राजभाषा श्री सुरेन्द्र कुमार उनियाल ने अपने शोध पत्र 'लिपि के माध्यम से भाषाओं का विकास' के माध्यम से कहा कि भाषा, वर्णमाला और लिपि के पारस्परिक भेद को स्पष्ट करने के बाद सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आज हिंदी भारत के संविधान में एक मान्य राजभाषा है और उसकी वर्णमाला देवनागरी है ।

हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मुख्यालय, माली गाँव, असम के सहायक निदेशक डॉ. रूस्तम राय ने 'पूर्वोत्तर भारत की भाषाएँ एवं लिपियाँ' विषय पर अपने शोध-पत्र के माध्यम से कहा कि पूर्वोत्तर भारत भाषाई दृष्टि से जितना समृद्‌ध है लिपि की दृष्टि से उतना ही विपन्न ।

सिल्चर, असम के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री चितरंजन भारती ने अपने शोध पत्र 'असमिया और नागरी लिपि का संबंध' विषय पर प्रस्तुत किया । उन्होंने अपने शोध पत्र के माध्यम से असमिया भाषा को काफी समृद्‌ध बताया तथा इस भाषा के प्रमुख विद्‌वानों की चर्चा की । आयकर विभाग के सहायक निदेशक राजभाषा श्री बी. एन. प्रसाद, सुश्री नमी दास, डॉ. अरूणा कुमारी उपाध्याय, उपनिदेशक राजभाषा, हिंदी शिक्षण योजना, सीमा सुरक्षा बल, श्री हरिनारायण त्रिवेदी, पावरग्रिड निगम के राजभाषा सहायक निदेशक श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र डॉ. सुशील कुमार शर्मा, डॉ. ए. एच. अकेला आदि विद्‌वानों ने भी अपने-अपने शोध पत्रों का वाचन किया ।

दिनांक 15 जून, को भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे से बहुभाषी काव्यगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न भाषाओं के लगभग 30 कवियों ने अपनी-अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया । इस गोष्ठी की अध्यक्षता श्री अतुल कुमार माथुर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक, मेघालय राज्य ने की तथा अतिथि के रूप में प्रो. प्रबोध झींगन उपस्थित थे । इस काव्यगोष्ठी में आमंत्रित कवि सर्वश्री प्रो. प्रबोध झिंगन, माजीद खलील,

प्रो. एस. के. शर्मा, बीरबल धींवा, डॉ. अवनिंद्र कुमार सिंह, जान मोहम्मद जान, डॉ. अकेलाभाइ, जे. एस. नेगी विवेकानंद पंडित, प्रदीप कुमार यादव, दिवाकर सेन, सीमा शर्मा, एस. पी. सिंह, मंजु चक्रवर्ती, मंजु गुप्ता, सुस्मिता दास, शिलबी पासाह, यशपाल सिंह चौहान, हेम जोशी, राम बुझावन सिंह, डॉ. अरुणा कुमारी उपाध्याय, फाल्गुनी चक्रवर्ती, विक्रमवीर थापा, स. च. झा कुमार, कमलेन्दु दास, एच. एन. त्रिवेदी, शौभिक दत्त, मंजू लामा, डॉ. श्यामानंद भट्टाचार्जी, सपन भवाल, रामकुमार वर्मा, तनजीम अहमद, बिमल कुमार बज़ाज़, रंजना अवस्थी, चितरंजन भारती, बी. सी. काण्डपाल आदि ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया । इस काव्यगोष्ठी का संचालन सीमा सुरक्षा बल के सहायक समादेष्टा श्री यशपाल सिंह चौहान तथा श्री अकेलाभाइ ने किया ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

(1) दिनों की चर्चा के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि देवनागरी लिपि को सिर्फ नागरी लिपि के नाम से प्रचालित किया जाए ।

(2) पूर्वोत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं और बोलियाँ हैं उनके लिए नागरी लिपि उपयुक्त है और संप्रति जिस लिपि में उन भाषाओं को लिखा जा रहा है साथ-साथ नागरी लिपि में भी लिखा जाए ताकि देश के अन्य भागों के पाठक उस भाषा को पढ़ने में समर्थ हो सके ।

(3) पूर्वोत्तर भारत के साहित्य को हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाए तथा इस साहित्य को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए ।

(4) पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं में रचे गए साहित्य को नागरी लिपि में भी लिखा जाए तथा उसका हिंदी में अनुवाद किया जाए ।

(5) पूर्वोत्तर की भाषाओं के साहित्य का पूरा प्रचार-प्रसार देश के अन्य भागों में किया जाए ।

(6) नागरी लिपि में जो भी दोष हैं उनका समाधान किया जाए तथा लेखन के लिए उसे आसान बनाया जाए ।

(7) भारतीय लिपियों के विकास के लिए इस तरह के सम्मेलनों का नियमित आयोजन किया जाए ।

(8) मेघालय राज्य से किसी पत्र-पत्रिका का प्रकाशन नहीं होता है जिसके कारण यहां की साहित्यिक गतिविधियों के विषय में जानकारी नहीं मिलती है । इस दिशा में भी प्रयास होना चाहिए ।

इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए संयोजक से विद्वानों ने निवेदन किया । संयोजक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इन सुझावों को अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा ।

नवी मुंबई नराकास के तत्वावधान में राजभाषा संगोष्ठी

नवी मुंबई नराकास द्वारा पंजाब नेशनल बैंक-स्टाफ कॉलेज के सहयोग से 6 जून, 2008 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया । आरंभ में डॉ. रीता कुमार, सदस्य सचिव ने अध्यक्ष नराकास, माननीय अथितियों और विभिन्न कार्यालयों से उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि नवीं मुंबई नराकास की ओर से यह संगोष्ठी समकालीन विषयों पर हिंदी में चर्चा के लिए रखी गयी है , जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम और ग्राहक अधिनियम को शामिल किया गया है । यह दोनों विषय आज कितना महत्व रखते हैं हम सभी जानते हैं । इसके बाद अध्यक्ष, नराकास श्री सुभाष ग्रोवर ने संबोधित करते हुए नवी मुंबई नराकास द्वारा संचालित कार्यक्रमों की चर्चा की और कहा कि नवी मुंबई नराकास का विभिन्न आयोजनों में यह प्रयास रहता है कि समकालीन ज्वलंत विषयों पर हिंदी में चर्चा रखी जाए । आज की संगोष्ठी भी इस प्रयोजन से रखी गयी है । प्रथम सत्र में श्री शैलेष गांधी जी ने सूचना अधिकार अधिनियम पर चर्चा आरंभ करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश में बदल गया किंतु यह ट्रांसफर सिर्फ राज का ट्रांसफर हुआ था । हमें लोकशाही का अर्थ अभी तक पता नहीं था । हम अपने अधिकारों की जानकारी से अनभिज्ञ परतंत्र नागरिक बने रहे हैं । सूचना अधिकार अधिनियम ने हमें यह याद दिलाया है कि सरकार के कार्यों के प्रति शासन के किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति से उसके कार्यों की जवाबदेही/स्पष्टीकरण मांगने का हमें अधिकार है । इसी तरह यह अधिनियम लोकशाही को मजबूत करते हुए आम नागरिक को शहनशाही दिलाता है । वर्ष 2005 में विजयदशमी के दिन यह अधिनियम प्रभावित हुआ है । श्री शैलेष गांधी जी ने इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद विभिन्न घटानाओं की चर्चा करते हुए इस बात

पर बल दिया कि यदि प्रत्येक नागरिक इस अधिनियम का पालन करेगा तो 3-4 साल के अंदर ही हम स्वराज को ला सकते हैं । हमें वह औजार मिल गया है जो 3 साल में देश में बदलाव ला सकता है । उनके अभिभाषण के बाद प्रश्नोत्तरी के दौरान श्रोताओं ने इस अधिनियम के बारे में अपनी शंकाओं का समाधान भी पाया ।

दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए एडवोकेट आनंद पटवर्धन जी ने ग्राहक अधिनियम की भूमिका उसके निर्माण का इतिहास बताते हुए कहा कि नागरिकों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता जरूरी है । उन्होंने इस अधिनियम के लिए उनकी संस्था द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तर की भी चर्चा की, जहां पर एक सामान्य नागरिक अपनी समस्याओं का निदान पा सकता है । उनके अभिभाषण के बाद प्रश्नोत्तरी में श्रोताओं ने इस अधिनियम के विस्तार और समाधान के बारे में भी चर्चा की । इसके बाद डॉ. एम. एल. गुप्ता, उप निदेशक राजभाषा विभाग ने इस संगोष्ठी के विषय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नवी मुंबई नराकास के प्रयत्नों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार की उपयोगी और प्रभावशाली संगोष्ठियां आयोजित होती रहेंगी ।

संगोष्ठी के अंत में श्री सी. एस. तेवतिया, निदेशक (विपणन) द्वारा उपस्थित अधिकारियों, अथितियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया । उन्होंने विशेष रूप से पंजाब नेशनल बैंक-क्षेत्रिय स्टॉफ कॉलेज के प्रधानाचार्य/उप प्रबंधक श्री एस. के. मदान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस संगोष्ठी के संपूर्ण आयोजन में सहायता दी है ।

केनरा बैंक, राजभाषा कक्ष, अंचल कार्यालय, डोरंडा, राँची

राज्य स्तरीय राजभाषा प्रतिनिधि सम्मेलन

दिनांक 1-3-2008 को केनरा बैंक ने झारखंड स्थित अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों के राजभाषा प्रतिनिधियों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया । यह एक दिवसीय सम्मेलन राँची स्थित बैंक के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुआ । सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए झारखंड अंचल के मण्डल प्रबंधक श्री वी. मंजूनाथ ने बैंकों में राजभाषा हिंदी की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान बैंकिंग दौर जटिल प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है; जहाँ जिसके पास जितने उपभोक्ता -बैंकिंग दौड़ में वह उतना ही आगे । सर्वेक्षण के अनुसार भारत में तीस करोड़ का मध्यमवर्गीय उपभोक्ता बाजार उपलब्ध है जहाँ बैंकों द्वारा अपने खुदरा ऋण के नेटवर्क का विस्तार संभव है । भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अगले साल तक कृषि ऋण का विस्तार भी दुगुना करना है । झारखंड राज्य में एन. पी. ए. वसूली या निर्धन तबके के लिए चलाए जाने वाले जमा योजना यथा 'केनसरल' आदि ऐसे कार्य हैं जिसके लिए राजभाषा हिंदी ही अति लाभकारी है ।

इस सम्मेलन में वार्षिक समीक्षा के साथ प्रतिनिधियों के केनरा बैंक झारखंड अंचल में बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निम्न सुझाव भी प्रदान किया जिसे अंचल स्तर पर कार्यान्वयन हेतु नोट किया गया :

(क) हिंदीभाषी क्षेत्र के लिए विशेषरूप से नए खाता खोले जाने के बाद खाताधारी व परिचयदाता को भेजे जाने वाले/एनआरआई ग्राहकों को भेजे जाने वाले/ऋण दाताओं को भेजे जाने वाले आदि कंप्यूटरजनित पत्र की जगह मुद्रित प्रोफार्मा उपलब्ध कराया जाए जिसमें भाषा हिंदी हो तथा इसमें ग्राहक-सेवा संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो । इससे बैंक में नए ग्राहक लाने में सुविधा होगी ।

(ख) संबद्ध राजभाषा पदाधिकारी द्वारा शाखाओं का नियमित निरीक्षण हो रहा है । संबद्ध राजभाषा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय शाखा-कर्मियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित कर राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम प्रयासों की जानकारी दी जाए ।

(ग) ऐसे सम्मेलन राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । भविष्य में भी इसे जारी रखा जाए ।

(घ) लाइनेक्स होने के कारण शाखाओं के कंप्यूटरों में लगे द्विभाषिक पैकेज बैंक स्क्रिप्ट तकनीकी समस्या आ रही है । इस संदर्भ में प्रधान कार्यालय के साथ अनुवर्तन यथाशीघ्र दूर कराया जाए ।

(ङ) शाखाओं में आयोजित होने वाले राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक में शाखाएँ मैन्वुअल ढंग से किए जा रहे कार्यों में शतप्रतिशत हिंदी प्रयोग हेतु कार्यबद्ध योजना तैयार करें और इस कार्य में राजभाषा प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाऐं ।

(च) पूर्व की तरह एस. टी. आर. 18 तथा रा. का. स. बैठक की रिपोर्ट का प्रोफार्मा समय रहते शाखा को प्रेषित किया जाए ।

(छ) सभी शाखा प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी शाखाओं के निरक्षर ग्राहकों को हिंदी में अपना नाम लिखना सिखाएँ ।

(ज) राजभाषा संबंधी सभी पत्रों की प्रति शाखा प्रबंधक के साथ-साथ शाखा के राजभाषा प्रतिनिधि को भी अलग से दी जाए ।

(झ) सभी शाखाओं में ग्राहकों की सूचना के लिए प्रदत्त स्टिकर यथा ''आप हमसे हिंदी में कार्य-व्यवहार करें, हमें खुशी होगी'' छोटा है । इसे और बड़ा या फिर बोर्ड के रूप में तैयार कर शाखाओं में प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाए ।

सम्मेलन के अन्त में राजभाषा प्रतिनिधियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करते हुए अंचल के राजभाषा कक्ष के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पी. आर. देव ने बताया कि झारखंड अंचल की सभी शाखाओं में समस्त फ्रंट आफिस कार्य हिंदी में करने के लिए ''बैंक स्क्रिप्ट पैकेज'' प्रदान किया जा चुका है । ग्राहकों की माँग पर उन्हें बैंकिंग सेवा हिंदी में ही उपलब्ध कराई जाए । साथ ही एम. एस. वर्ड पर समस्त कार्य हिंदी में करने के लिए बैंक द्वारा प्राप्त ''**आकृति**'' के कारपोरेट लाइसेंस की चर्चा करते हुए प्रतिनिधियों से इसके अधिकतम उपयोग का अनुरोध किया ।

उक्त स्थल पर अंचल के राजभाषा कक्ष की तरफ से हिंदी में प्रकाशित विभिन्न बैंकिंग सामग्रियों की एक आकर्षक प्रदर्शनी भी लगायी गई थी ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में 21वीं आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन

भारत सरकार की राजभाषा नीति का व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के राजभाषा अनुभाग द्वारा समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं/राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन, देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान, स्तरीय हिंदी पत्रिका 'विकल्प' के अनेकानेक महत्वपूर्ण विशेषांकों के प्रकाशन के समानांतर प्रत्येक तिमाही में आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों का सतत आयोजन किया जाता है । इसी कड़ी में गत दिवस **21वीं ''आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी''** का आयोजन संस्थान के सर सी. वी. रमन व्याख्यान-कक्ष में संपन्न हुआ ।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. मधुकर ओंकारनाथ गर्ग ने कहा कि किसी कार्य को प्रारंभ करना जितना सरल है, उसके स्तर को अंत तक गुणवत्तापूर्ण बनाए रखना उतना ही कठिन व चुनौतीपूर्ण है । राजभाषा अनुभाग अबाध गति से हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन कर इस चुनौती पर खरा उतर रहा है, यह प्रशंसा की बात है । उन्होंने कहा कि विज्ञान व विचारों के संप्रेषण के लिए अपनी भाषा का प्रयोग जरूरी है । उन्होंने शोधपत्र प्रस्तुतकर्ता वैज्ञानिकों को प्रस्तुति के साथ ही मूलरूप में आलेख लिखने की भी बात कही । उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम जैसे उपयोगी क्षेत्र पर हिंदी संगोष्ठियों में प्रस्तुत आलेखों के पुस्तकाकार प्रकाशित होने पर शोधपत्रों की पहुंच अधिक लोगों तक हो सकेगी । इस प्रकार के सतत आयोजनों पर उन्होंने राजभाषा अनुभाग के प्रयासों की सराहना की ।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं संगोष्ठी के संयोजक डॉ. दिनेश चमोला ने कहा कि प्रयोगशाला की चहारदीवारी से बाहर बहुपयोगी ज्ञान-विज्ञान तथा महत्वपूर्ण अनुसंधानों को जन-जन तथा वृहद समाज तक पहुंचाने में उत्प्रेरक का कार्य करती है भाषा । हिंदी में वह सर्वग्राह्यता व संप्रेषणीयता का गुण मौजूद है कि वह विज्ञान के जटिलतम विषयों को भी सहज तरीके से अभिव्यक्त करने में सक्षम है । ऐसी संगोष्ठियों का ही प्रतिफल है कि आज हमारा हर दूसरा वैज्ञानिक, कुछ प्रभाग शतप्रतिशत, अपना शोधन हिंदी में प्रस्तुत करने में संगोष्ठी सत्र में विद्वानों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी गई । ■

विविध

गृह राज्य मंत्री द्वारा राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक

दिनांक 16 जुलाई, 2008 को भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद ने आज राजभाषा विभाग के सम्मेलन कक्ष में एक समीक्षा बैठक ली । बैठक में राजभाषा विभाग के सचिव रंजीत ईस्सर और संयुक्त सचिव महोदय श्रीमती पी.वी. वल्सला जी कुट्टी ने डॉ. शकील अहमद का स्वागत किया । राजभाषा विभाग सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वे केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं । इसके पश्चात् संयुक्त सचिव श्रीमती कुट्टी जी ने विभाग की गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी ।

डॉ. शकील अहमद ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि भाषाएं प्रतिस्पद्‌धा नहीं करतीं, अपितु वे एक-दूसरे की पूरक होती हैं । उन्होंने कहा कि अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करके ही हिंदी के शब्द भण्डार को समृद्‌ध कर सकते हैं ।

हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक लोगों द्‌वारा बोली जाती है इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे संघ के रूप में स्वीकार किया था । उन्होंने कहा कि हमें सरल, सहज, सुबोध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी अधिकारी कर्मचारी उसे आसानी से समझ सकें । अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय भी हमें क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए । यदि हमें अपने सरकारी कामकाज में कठिन हिंदी का प्रयोग करेंगे तो इससे राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार का मार्ग अवरुद्‌ध होगा । अखिल भारतीय स्तर पर संवाद करने के लिए हिंदी की परम आवश्यकता है जिससे कि हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान-प्रदान सहजता से कर सकें ।

डॉ. शकील अहमद ने सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए सूचना प्रौद्‌योगिकी के प्रयोग पर बल दिया । उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना तकनीकी का युग है । विश्व के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग बढ़ रहा है । इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देना है और विश्व में सूचना प्रौद्‌योगिकी के क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उन्हें इस तरह से अपनाना है कि हम हिंदी कार्य में सहायक सॉफ्टवेयरों का निर्माण कर सकें । समीक्षा बैठक में विभाग द्‌वारा पावर प्वाइंट पर एक प्रस्तुति दी गयी जिसमें सूचना प्रौद्‌योगिकी के क्षेत्र में तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में विभाग द्‌वारा किए गए कार्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया । बैठक में राजभाषा विभाग के प्रभागाधिकारियों ने अपने-अपने प्रभागों की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की ।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्‌वारा बेंगलूर में राजभाषा संबंधी कार्यकलापों एवं गतिविधियों की समीक्षा

बेंगलूर में दिनांक 30 जून, 2008 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री डॉ. शकील अहमद ने रविवार को यहां नगर में स्थित भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निगमों, प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि में राजभाषा संबंधी कार्यकलापों एवं गतिविधियों की समीक्षा की । उन्होंने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के साथ-साथ अनुवाद प्रशिक्षण, हिंदी प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन संबंधी उपलब्धियों को लेकर संतोष प्रकट किया । उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषिक देश है इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि देशभर में सभी भाषाओं से शक्ति ग्रहण करते हुए ऐसी हिंदी का विकास किया जाए, जो भारत की सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली हो ।

डॉ. अहमद ने भाषा के सवाल को देश की अभिव्यक्ति और पहचान से जोड़ते हुए इस बात पर बल दिया कि कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगू जैसी समृद्‌ध और सशक्त भाषाओं

के सहयोग और समन्वय से हिंदी कामकाज को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है । इस बैठक में एचएएल, बीईएल, बीएचईएल, बीईएमएल, आईएससी, कुद्रेमुख, बैंक मुख्यालयों सहित सीपीएमजी, सीपीआरआई और आयकर विभाग के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा अधिकारियों ने भाग लिया ।

डॉ. अहमद ने कहा कि राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना है । किन्तु कार्यालयों में राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी सरकारी कार्मिकों का कर्तव्य है । गृह राज्यमंत्री डॉ. अहमद ने अपने उद्बोधन में बताया कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में काफी प्रगति हुई है । फिर भी लक्ष्य से अभी हम काफी पीछे हैं । जनता की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होती है और प्रशासन में पारदर्शिता आती है । इसलिए राजभाषा में कामकाज करने के प्रति सभी सरकारी कर्मचारियों को उत्साहित रहना चाहिए ।

प्रारंभ में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक बी. सी. मंडल ने मंत्री का स्वागत करते हुए बताया कि बेंगलूर में राजभाषा विभाग के तीनों कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित हैं और अपने-अपने उत्तरदायित्वों का पूरी क्षमता से निर्वाह कर रहे हैं । केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एस. एन. सिंह ने बैठक में उपस्थित विभिन्न संस्थानों, निगमों, बैंकों के शीर्ष अधिकारियों का राजभाषा विभाग की ओर से स्वागत किया । क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उपनिदेशक डॉ. बी. एन. झा ने सभी उपस्थितों को धन्यवाद देते हुए विश्वास प्रकट किया कि मंत्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी कार्यालय अपने-अपने शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि भवन, डॉ. बाल सुंदरम रोड, कोयंबत्तूर-641018

राजभाषा साधन सी.डी. का विमोचन

कोयंबत्तूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव डॉ. सी. जय शंकर बाबु द्वारा संकलित एवं प्रस्तुत 'राजभाषा साधन' कंपैक्ट डिस्क का विमोचन राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोच्चिन के उप निदेशक (कार्यान्वयन) डॉ. बी. बालकृष्णन द्वारा दिनांक 22 मई, 2008 को कोयंबत्तूर में आयोजित नराकास की अद्ध-वार्षिक बैठक के अवसर पर किया गया । इस सी.डी. में राजभाषा कार्यान्वयन तथा हिंदी ज्ञानवद्धन में उपयोगी साधनों का संकलन किया गया है । विमोचन के पश्चात् अपने वक्तव्य में डॉ. बालकृष्णन ने कहा कि कोयंबत्तूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का यह एक अनूठा प्रयास है । इस प्रयास हेतु समिति के सदस्य-सचिव की प्रशंसा में उन्होंने कहा कि डॉ. सी. जय शंकर बाबु राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में प्रगतिशील नाम है । उन्होंने कहा कि हिंदी के साथ रागात्मक तरीके से जुड़ना चाहिए । ऐसा न होकर यदि सिर्फ संवैधानिक मापदंडों के लिए हिंदी बढ़ेगी तो वह मजबूरी से ही बढ़ेगी । विमोचन के अवसर पर अपने वक्तव्य में समिति के अध्यक्ष श्री के. श्रीनिवासन ने कहा कि कोयंबत्तूर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपनी विशिष्ट गतिविधियों से एक संस्थान का रूप ले लिया है । राजभाषा कार्यान्वयन के विविध आयामों में सदस्य-कार्यालयों को साधन संपन्न बनाने के उद्देश्य से समिति के सदस्य-सचिव डॉ. सी. जय शंकर बाबु द्वारा बनाई गई सी.डी. का उपयोग करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में आने वाली समस्याओं के लिए समाधान ढूँढ पाना तथा सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में एकरूपता लाना भी संभव है । उन्होंने नराकास के सदस्य कार्यालयों से अपील की कि इस सी.डी. का सही रूप में उपयोग करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति हासिल करने का प्रयास किया जाए । सी.डी. के संबंध में अपने वक्तवय में डॉ. सी. जय शंकर बाबु ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी ने आज हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित किया है । भाषाओं के विकास की दिशा में यह वरदान साबित हुआ है । सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों का ध्यान भाषाओं की ओर भी आकृष्ट हुआ है परिणामत: भाषाओं के विकास में उपयोगी कई उपकरण इनके द्वारा विकसित किए गए हैं । इनके प्रयोग से हम अपने कामकाज में गतिशीलता एवं गुणात्मकता सुनिश्चित कर सकते हैं । राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार के लिए आज कई साधन उपलब्ध हैं । ऐसे साधनों के प्रति जागरूकता के अभाव में इनका प्रयोग एवं

सदुपयोग नहीं हो पाता है । विकसित तकनीकों का ही प्रयोग करते हुए अत्यंत कम खर्च से अधिकाधिक उपयोगी साधन 'राजभाषा साधन' के नाम से इस कंपैक्ट डिस्क के रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । इससे नराकास के सदस्य-कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए उपयोगी साधन उपलब्ध रहना सुनिश्चित हो पाएगा । सी.डी. की विषय-वस्तु के संबंध में विस्तृत प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी, राजभाषा विभाग द्वारा जारी नियम पुस्तकें, वार्षिक कार्यक्रम, हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण कैलेंडर, महत्वपूर्ण परिपत्र, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली, हिंदी व्याकरण ई-पुस्तक, कई उपयोगी प्रपत्र, ई-पत्रिका 'कोंगु निधि', शब्दकोश और उपयोगी साफ्टवेयर उपकरणों की कड़ियाँ आदि भी इसमें शामिल की गई हैं । इनके अलावा हिंदी के संबंध में कुछ लेख भी हैं जिसमें एक लेख के माध्यम से हिंदी के लिए यूनिकोड का उपयोग करने हेतु प्रेरित भी किया गया है । इस सी.डी. का वितरण नराकास, कोयंबत्तूर के सभी सदस्य-कार्यालयों के बीच किया गया है । राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में एक महत्वपूर्ण साधन एवं उपकरणों के संकलन के रूप में यह कंपैक्ट डिस्क कारगर सिद्ध होगा । ■

पाठकों के पत्र

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित राष्ट्रभाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास में आलोक स्तम्भ की तरह मातृभाषा हिंदी के उन्नयन के लिए आहुति प्रदान कर रही त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा भारती'' विगत तीस वर्षों से जानकर अत्याधिक प्रसन्नता है ।

–प्रयाग नारायण अग्रवाल, अध्यक्ष,
भारतीय साहित्यिक संस्थान (पंजीकृत), पो. करवी (चित्रकूट), उत्तर प्रदेश-210205

''राजभाषा भारती'' अंक 118 की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई । हिंदी की ज्योति जो इस परिवेश में विकीर्ण हो रही है इसके मूल में संपादक महोदय की भूमिका अत्यन्त सराहनीय है । मैं ऐसे सरल, सजग एवं निष्ठावान व्यक्तित्व के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ यही चाहूँगा कि उनके हृदय में हिंदी प्रेम का प्रदीप सदा प्रकाशित हो तथा जिसके दिव्यलोक में हिंदी वाटिका का प्रसून पल्लवित एवं पुष्पित होता रहा है ।

मैं कामना करता हूँ कि इसके माध्यम से सदैव हम सबों का ज्ञानवर्द्धन होता रहे ।

शुभकामनाओं के साथ,

–आशीर्वाद राय,
उप प्रबंधक वानकी/प्रभारी राजभाषा
नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड, पेपर नगर, जोरहाट-785001

''राजभाषा भारती'' का जुलाई-सितम्बर, 2007 अंक पत्रिका का राजभाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है । यह पत्रिका आधुनिक विचारों की वाहिनी है । देश भर के कार्यालयों में होने वाली विविध गतिविधियों को उजागर करती है ।

पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं उच्चकोटि के विद्वानों द्वारा लिखी गई होती हैं । पत्रिका के लेख पठनीय तथा संग्रहणीय हैं ।

–सूर्यप्रकाश, सहायक निदेशक (रा.भा.)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप कम्प्लेक्स,
1897, त्रिची मार्ग, राम नाथ पुरम, कोयंबतूर-641045

''राजभाषा भारती'' अंक 118 (जुलाई-सितम्बर, 2007) में विश्व हिंदी दर्शन खण्ड के दो लेख ''भारत और संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी'' एवं ''विश्व मंच पर हिंदी'' जो कि क्रमशः श्री गिरीश पाण्डे एवं श्री दि. कु. शर्मा द्वारा लिखे गए हैं, प्रेरणादायक हैं । वर्तमान घड़ी में स्वदेश में हिंदी की सत्य वस्तुस्थिति के दर्पण हैं ये दोनों लेख । काश ! ये विचार दैनिक हिंदी समाचार पत्रों और मीडिया के जरिए आम जनता के समक्ष प्रसारित हों । बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार प्राथमिक चरण में ही बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए ।

इसी प्रकार राजशेखर व्यास के लेख ''प्रेम से भरे थे भगतसिंह'' युवा पीढ़ी के लिए देश प्रेम व जागृति की चिंगारी सम है, एक नव-चेतना दायक विचारों का लेख है । पत्रिका के अन्य लेख भी स्तरीय एवं समयोचित हैं । अनेक कई जानकारियों से ओतप्रोत संग्रहणीय है । संपादक मण्डल व सभी लेखक बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं ।

–हरिशचंद्र सागरमल अग्रवाल,
शिवकृपा भवन, वानखेडें नगर, डाबकी रोड, अकोला, (विदर्भ), महाराष्ट्र-444002

''राजभाषा भारती'' के 118वें अंक की यह विशेषता है कि, इसमें हिंदी के संदर्भ में सभी क्षेत्रों का समन्वय किया हुआ दिखाई देता है । जैसे-भाषा शिक्षण, विरही क्षेत्र, मनोरंजन, साहित्य, जनसंचार, पर्यावरण आदि । इस पत्रिका में जो चित्र दिए जाते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है, मानो वे अपने साथ बोल रहे हों, उनमें सजीवता प्रतीत होती है । दूसरी बात यह है कि इसमें जो महापुरुषों के भाषा संबंधी विचार दिए गए हैं उनका संग्रह कर हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और बोलते समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं । श्रीमती कुसुम वीर का ''भाषा शिक्षण'' बहुत अच्छा लगा । ऐसे ही भाषा से संबंधित ज्ञानवर्धक लेखों का समावेश करें तो हम जैसे एम. फिल. शोध छात्रों को नया ज्ञान प्राप्त होगा ।

–रोहिदास गवारे,
मु.पो. पाथ्री, जा. फुलंबरी, जि. औरंगाबाद

''राजभाषा भारती'' का जुलाई-सितम्बर, 2007 अंक का संपादकीय का पहला पैराग्राफ अच्छी जानकारी देता है । बधाई !

डॉ. परमानन्द पांचाल का आलेख देवनागरी लिपि के अनेक नए आयाम उद्‌घटित करता है । विधि के क्षेत्र में हिंदी में डॉ. बसन्तीलाल बाबेल ने विधि के क्षेत्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की वकालत की है । दि. कु. शर्मा का आलेख अपने मन्तव्य के स्पष्टीकरण में असमर्थ है । डॉ. शुभंकर बनर्जी, डॉ. संतोष अग्रवाल, सुधाकर गायकवाड और विश्वमोहन तिवारी के आलेख भी विचारोत्तेजक, सामयिक और लोकोपयोगी हैं ।

–डॉ भगवानशरण भारद्वाज,
चित्रकूट, 43, सिन्धु नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243005

''राजभाषा भारती'' के 118वें अंक में सम्मिलित सभी लेख उत्कृष्ट एवं उपयोगी हैं । यह पत्रिका हिंदी के बहुमुखी विकास तथा प्रचार-प्रसार की दिशा में एक अहम भूमिका निभा रही है । देश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में होने वाली राजभाषा संबंधी गतिविधियां, हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें तथा हिंदी दिवस एवं हिंदी कार्यशालाओं की चित्रों सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है । श्री सुधाकर किशनराव गायकवाड द्वारा लिखा हुआ लेख ''पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण'' में पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न नवीन बीमारियों की जानकारी दी गई तथा इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि बहुत उपयोगी है, मुख पृष्ठ का छायांकन आकर्षक है । सभी रचनाकार एवं संपादक मंडल को बधाई देता हूँ, पत्रिका के सफल विकास की शुभकामनाएँ ।

–रवि कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा),
मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, डी-ब्लाक, नौवीं मंजिल, आयकर शिखर, ऐ.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-50004

''राजभाषा भारती'' का 118वां अंक प्राप्त हुआ जिसे पढ़कर न केवल हमारा मन अभीभूत हुआ बल्कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजभाषा भारती हिंदी भाषा की प्रगति में अहम भूमिका निभा रही है । इसमें प्रकाशित लेखों और आलेखों को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हमें हिंदी भाषा के प्रयोग में लाने में जो संकोच है उसे तुरन्त त्याग देना चाहिए तथा दिन-प्रतिदिन हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने की यह पत्रिका सुखद प्रेरणा देती है ।

–प्रेम कुमार कुलदीप,
टाईप-3/30-बी, अणुप्रताप कॉलोनी, पोस्ट : भाभानगर, रावत भाटा, वाया कोटा-323307

''राजभाषा भारती'' में ज्ञान-विज्ञान से संबंधित विविधमुखी उत्प्रेरक सामग्री प्रकाशित होती रहती है ।

''राजभाषा भारती'' ने अपनी प्रकाशित सामग्री के आधार पर यह संदेश देने का सार्थक प्रयास किया है कि गृह पत्रिकाएं कविता, कहानी व मनोरंजक लेखन से ऊपर उठकर कुछ ज्ञान-विज्ञान के विभागीय महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक लेखन की पहल करें ताकि पाठकों को नए-नए विषयों पर चिंतन की सामग्री प्राप्त हो ।

–दिनेश चमोला,
प्रभारी, राजभाषा विभाग, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक तथा
औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005

आपके संपादन में प्रकाशित ''राजभाषा भारती'' का अंक 118 मिला, धन्यवाद !

सदैव की भांति इसमें भी रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी सामग्रियों का समावेश किया गया है । राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक लेखादि और सरकारी उपक्रमों में राजभाषा से संबंधित गतिविधियों को पढ़कर यही लगता है कि अपनी हिंदी प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर हैं । भविष्य में यह अपना पूर्ण अस्तित्व पा लेगी, ऐसा विश्वास है ।

राजभाषा के समुचित विकास की दिशा में केंद्रीय कार्यालय, मंत्रालय आदि से हिंदी में पत्रिकाओं का प्रकाशन करके महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है । गृह मंत्रालय की लोकप्रिय हिंदी पत्रिका ''राजभाषा भारती'' इसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में कही जा सकती है । विद्वान हिंदी कर्मियों द्वारा इसके संपादन में पूरा सहयोग दिया गया है । ''विधि के क्षेत्र में हिंदी'' एवं ''देश समृद्धि में हिंदी मनोरंजन का योगदान'' लेख पसंद आए । कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद पर बहुउपयोगी सामग्री दी है आपने । आपके कुशल संपादन में पत्रिका प्रगति करे, हिंदी के विकास का रास्ता तय करती रहे । इसी शुभकामना के साथ !

–मोहम्मद मुमताज़ हसन द्वारा,
डॉ. मानो बाबू, रिकाबगंज, टिकारी, जिला-गया, (बिहार)-824236

■

राष्ट्रभाषा व राजभाषा

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है । स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हिंदी भाषा के माध्यम से समूचे भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चाहे वे किसी भी प्रांत के हों, आपसी विचार विनिमय करते थे ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिंदी संघ की राजभाषा है । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकारा गया है । संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था । परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्रधिकृत कर पाएंगे । संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी, जो ऐसी विधि में प्रयोग किए जाएं ।

राजभाषा हिंदी के समुचित विकास व प्रसार के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख है कि-संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्टत भारत की अन्य 22 भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें ।

प्रस्तुति:

हरीश कुमार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

संविधानः राजभाषा एक दृष्टि में

राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से क्षेत्र वर्गीकरण

संपूर्ण देश को राजभाषा प्रयोग के आधार पर तीन क्षेत्रों में रखा गया है ।

"क" क्षेत्रः उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अडमान-निकोबार व दिल्ली ।

"ख" क्षेत्रः महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब व चंडीगढ संघ-राज्य ।

"ग" क्षेत्रः आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, गोवा, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर-हवेली, दमण-दीव, लक्षदीव, पाण्डिचेरी ।

सविंधान की अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाएं

1. असमिया	2. उड़िया	3. उर्दू
4. कन्नड	5. कश्मीरी	6. गुजराती
7. तमिल	8. तेलुगु	9. पंजाबी
10. बंगला	11. मराठी	12. मलयालम
11. संस्कृत	14. सिंधी	15. हिंदी
16. नेपाली	17. कोंकणी	18. मणिपुरी
19. डोगरी	20. मैथिली	21. संथाली
22. बोडो		

प्रस्तुतिः
डा. देवेन्द्र तिवारी
वरिष्ठ पर्यवेक्षक राजभाषा
एन एच पी सी, चमेरा पावर
स्टेशन-II, करियां चम्बा (हि.प्र.)

भारत रत्न और अन्य नागरिक सम्मान

- देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र से संबंधित किसी उपलब्धि के लिए दिया जाता है जिससे देश सेवा भी जुड़ी हो।

- तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 में इस सम्मान की स्थापना की गई। अब तक 40 हस्तियों को [10 मरणोपरन्त] इस सम्मान से सम्मानित कर चुका है।

- अब तक देश से बाहर के दो नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान [पाकिस्तान 1987] और नेल्सन मण्डेला [दक्षिण अफ्रीका-1990] और एक भारतीय नागरिकता प्राप्त विदेशी मदर टेरेसा [रिपब्लिक ऑफ मैक्डेनिया-1980] को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।

- शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान और पार्श्व गायिका लता मंगेशकर [2001] इस सम्मान से सम्मानित आखिर शख्सियत हैं।

- पद्म सम्मानों के साथ भारत रत्न को जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक निलम्बित रखा गया।

- इस सम्मान के तहत एक प्रमाण पत्र और पीपल के पत्तेनुमा आकृति का स्वर्ण पदक दिया जाता है, जिसकी परिधि 35 मि.मी होती है। मेडल पर एक तरफ सूर्य की आकृति के साथ भारत रत्न लिखा है तो दूसरी ओर अशोक स्तम्भ और सत्यमेव जयते। मेडल गले में लटकाने के लिए सफेद रंग का रिबन होता है।

- भारत रत्न के आलावा तीन तरह के अन्य नागरिक सम्मान हर साल दिए जाते हैं। इन्हें पद्म सम्मान के नाम जाना जाता है। ये हैं–पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री।

- पद्म सम्मान सरकारी नौकरियों में लगे लोगों सहित किसी क्षेत्र के व्यक्ति को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिए जा सकते हैं।

- इन पुरस्कारों की अनुशंसा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश शासन, केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, संस्थान आदि के द्वारा की जाती है। जिस पर केंद्रीय स्तर पर यह सम्मान देने के लिए गठित समिति विचार कर निर्णय लेती है। अवार्ड कमेटी के फैसले पर केंद्रीय गृहमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है इसके बाद 26 जनवरी की शाम को इनकी घोषणा होती है।

प्रस्तुति :
स्टेल्ला मेरी,
कार्मिक व प्रशासन विभाग
एच. ए. एल. बेंगूलर

निज भाषा उन्नति अहै...

अंग्रेजी अरू फारसी अरबी संस्कृत ढेर ।
खुले खजाने तिनहिं क्यों लूटत लावहु देर ॥

बैठिनि, बोलनि, उठनि पुनि हंसनि मिलनि बतरान ।
बिना पारसी आवही यह जिय निश्चय जान ॥

अंग्रेजी पढ़ि के जदपि सब गुन होत प्रवीन ।
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन ॥

करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु सूल ।
निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल ॥

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥

पढ़ो, लिखो कोउ लाख बिध, भाषा बहुत प्रकार ।
पै जबहीं कुछ सोचिहो निज भाषा अनुसार ॥

—भारतेंदु हरिश्चंद्र

MGIPRRND—3165 HA/2008—5000

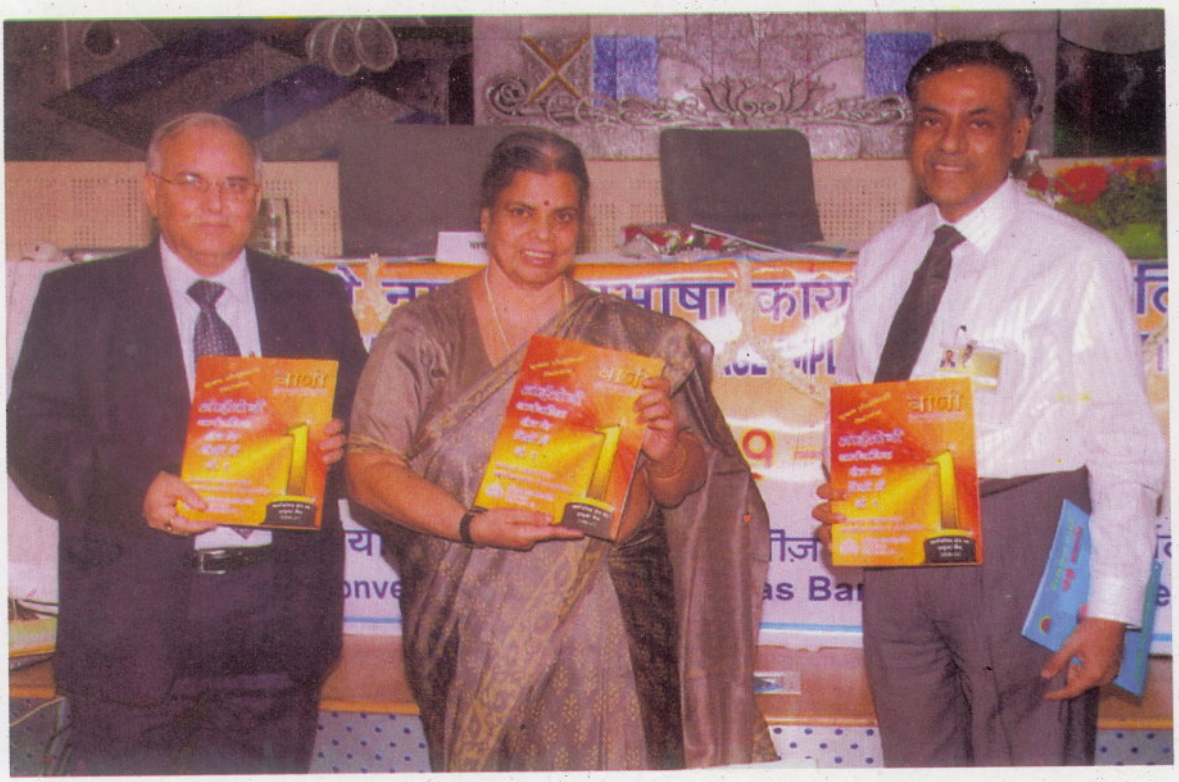

नराकास (बैंक) चेन्नई की बैठक में इंडियन ओवरसीज बैंक की हिंदी पत्रिका "वाणी" का विमोचन करते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पी. वी. वल्सला जी कुट्टी, साथ में हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यपालक श्री वाय एल मदान तथा महाप्रबंधक श्री टी. वेंकट रेड्डी ।

हिंदी कार्यशाला की महत्ता एवं उपयोगिता पर अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए डॉ. एस. के. माथुर, वैज्ञानिक–डी., केंद्रीय रेशम बोर्ड, भंडारा ।

पं.सं. 3246/77

आई एस एम एन 0970-9398

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभ कामनाएँ

संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्तर प्रदान किया है। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग को राजभाषा के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। विभाग इस दायित्व को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव की नीति अपनाते हुए निभाता है। राजभाषा विभाग के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों सहित संपूर्ण देश में 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए गए हैं। वे भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों का दौरा करते हैं तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करते हैं। राजभाषा विभाग की प्रमुख उपलब्धियों की एक झलक इस प्रकार है:

- **राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए गठित समितियों संबंधी उपलब्धियाँ**
  - माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की 29 बैठकों का सफल आयोजन।
  - संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर अपनी सिफारिशों के 8 खंड प्रस्तुत किए, जिन पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए एवं इन आदेशों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।
  - भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं और आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।
  - केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और बैठकों में राजभाषा संबंधी प्रगति की मॉनिटरिंग की जाती है।
  - लगभग 260 से अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है और नियमित बैठकें की जाती हैं।
- **राजभाषा के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।**
  - 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी भाषा सीखने के लिए "लीला" राजभाषा सॉफ्टवेयर का विकास।
  - 8 विषय क्षेत्रों में अंग्रेजी से हिंदी में तत्काल अनुवाद के लिए मंत्र-राजभाषा सॉफ्टवेयर का विकास।
  - हिंदी स्पीच से हिंदी टेक्स्ट के लिए श्रुतलेखन-राजभाषा सॉफ्टवेयर का विकास।
  - अंग्रेजी डिक्टेशन को कंप्यूटर द्वारा अनुवाद करके हिंदी टेक्स्ट देने के लिए "वाचांतर" नामक सॉफ्टवेयर।
  - उच्चारण सहित द्विभाषीय एवं द्विदिशीय शब्दकोष।
  - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन लगभग 16,00,000 कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया गया।
  - कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग संबंधी 654 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा 16350 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
  - केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त कोड/मैनुअल आदि के लगभग 22,00,000 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया जा चुका है।
- **प्रोत्साहन योजनाएं और प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करना।**
  - राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार।
  - ज्ञान-विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार।
  - भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के उत्कृष्ट हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए पत्रिका पुरस्कार।
- **प्रकाशन**
  - राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वर्ष 2005 तक के आदेशों के संकलन का प्रकाशन।
  - राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का नियमित प्रकाशन।
- **अन्य उपलब्धियाँ**
  - देश के चारों कोने में प्रति वर्ष क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन और उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार वितरण।
  - प्रशिक्षण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।
  - समय-समय पर कार्यशालाओं का नियमित आयोजन।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।